

BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

Original Application No. 130 of 2025

IN THE MATTER OF:

Varun Gulati

..... Applicant

Versus

State of Uttar Pradesh & Ors.

..... Respondents

INDEX

S.NO.	PARTICULARS	PAGE NOS.
1	Additional Affidavit on behalf of Respondent No. 2, Uttar Pradesh Pollution Control Board	2-3
2	ANNEXURE 2/1: A true copy of the reports pertaining to the calculation of Environmental Compensation.	4-93
3	ANNEXURE 2/2: A true copy of the photographs of affixation	94-138

**RESPONDENT NO. 2
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD**

THROUGH



AMIT SHUKLA, ADV.

D-54, SECTOR-48

NOIDA – 201303

Ph. No. 9999933220; 9999333220

Email: amit.shukla@lexweb.in

Date: 25.04.2026

Place: New Delhi

BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

Original Application No. 130 of 2025

IN THE MATTER OF:

Varun Gulati

..... Applicant

Versus

State of Uttar Pradesh & Ors.


..... Respondents

ADDITIONAL AFFIDAVIT ON BEHALF OF THE RESPONDENT

NO. 2 UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

I, D.K Gupta, S/o Sh. Bibhuti Prasad Gupta, aged about 58 years, presently posted as the Regional Officer, Moradabad, Uttar Pradesh Pollution Control Board at Lucknow do hereby solemnly affirm and state on oath as under:

1. That in the official capacity mentioned above, I am acquainted with the facts and circumstances of the case and as such I am competent and authorized to swear this affidavit.
2. That the Hon'ble Tribunal has vide its order dated 28.01.2026 directed as under:
 4. *Learned counsel for the UP PCB is directed to ascertain the period of violation of other Respondents units also and place on record the calculation of environmental compensation against those units.*




6. In the meanwhile, the Applicant is also permitted to serve the unserved Respondents through UP PCB which can adopt affixture as a mode of service.

3. That in compliance of the order dated 06.01.2026, the Respondent has made the calculation of Environmental Compensation for all units in question.

A true copy of thereports pertaining to the calculation of Environmental Compensation is annexed herewith and marked as **Annexure 2/1 (Colly)**.

That the Board has affixed the notice / order at the door of the subject units. A true copy of the photographs of affixation is annexed herewith and marked as **Annexure 2/2 (Colly)**.



[Signature]
DEPONENT

VERIFICATION:

Verified at Moradabad on this the 25th day of April 2026 that the contents of above affidavit are true and correct to my knowledge based on records and information received and believed to be true, no part of it is false and nothing material has been concealed therefrom.

[Signature]
DEPONENT

Solemnly affirmed before me by Sr. Advocate
deponent who is identified by Sr/S Advocate
Ch. [Signature] / [Signature]
I have reviewed my statement and the deponent
That he/she understood the contents of the affidavit and the
same has been read over & explained to him
[Signature] as fees
[Signature]
Shiv Kumar Gaur
Notary Public
25/4/2026
Moradabad



क्षेत्रीय कार्यालय
उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
1-ए/आई.एन.एस.-1, आवास विकास कालोनी, बौद्ध विहार,
दिल्ली रोड, गुरादाबाद

पत्र संख्या: 36 / N-3 / 130 / 25 / जनसं.

दिनांक 7.01.2026

सेवा में,

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-7),
उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
लखनऊ।

विषय- माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित O.A. No. -130/2025 (I.A. No. -224/2025) वरुण गुलाटी बनाम स्टेट आफ उत्तर प्रदेश व अन्य में पारित आदेश दिनांक 06.11.2025 के अनुपालन में मो० फैसल पुत्र मो० नन्हें, मोहल्ला- हयातनगर, तहसील व जनपद -सम्भल के विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की गणना किये जाने के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक का सदम ग्रहण करने का कष्ट करें। तत्कम में अवगत कराना है कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित O.A. No. -130/2025 (I.A. No. -224/2025) वरुण गुलाटी बनाम स्टेट आफ उत्तर प्रदेश व अन्य में पारित आदेश दिनांक 06.11.2025 के अनुपालन में मो० फैसल पुत्र मो० नन्हें, मोहल्ला- हयातनगर, तहसील व जनपद -सम्भल के विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की गणना किये जाने के संबंध में उक्त स्थल मो० फैसल पुत्र मो० नन्हें, मोहल्ला- हयातनगर, तहसील व जनपद -सम्भल का अद्यतन निरीक्षण इस कार्यालय द्वारा दिनांक 31.12.2025 को किया गया। मो० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा उक्त प्रकरण में दिनांक 06.11.2025 को पारित आदेश के अनुपालन में उक्त इकाई मो० फैसल पुत्र मो० नन्हें, मोहल्ला- हयातनगर, तहसील व जनपद -सम्भल के विरुद्ध रु० 17,50,000.00 (सत्रह लाख पचास हजार रुपये मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की गणना की गयी है। आख्या आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

भवदीय

सलग्नक यथोपरि।

(देव कुमार गुप्ता)
क्षेत्रीय अधिकारी

07.01.26

माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित O.A. No. -130/2025 (L.A. No. -224/2025) वरुण गुलाटी स्टेट आफ उत्तर प्रदेश व अन्य में पारित आदेश दिनांक 06.11.2025 के अनुपालन में मो० फैसल पुत्र मो० नन्हें, मोहल्ला- हयातनगर, तहसील व जनपद -सम्मल के विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की गणना किये जाने के संबंध में आख्या- उपरोक्त विषयक मो० फैसल पुत्र मो० नन्हें, मोहल्ला- हयातनगर, तहसील व जनपद -सम्मल द्वारा उक्त स्थल पर स्थापित/संचालित इकाई/चांशिंग प्लान्ट का अद्यतन निरीक्षण अधोहरताक्षरकर्ताओ द्वारा दिनांक 31.12.2025 को किया गया (फोटोग्राफ संलग्न)। निरीक्षण के दौरान उक्त इकाई स्थल पर मो० फैसल (प्रोपराइटर) उपस्थित थे। निरीक्षण के दौरान इकाई बन्द पायी गयी। कार्यालय अभिलेखानुसार उक्त इकाई का पूर्व में प्रथम बार निरीक्षण इस कार्यालय द्वारा दिनांक 28.01.2025 को किया गया था। निरीक्षण के दौरान उक्त इकाई राज्य बोर्ड से बिना स्थापनार्थ सहमति (CTE) प्राप्त किये स्थापित तथा बिना संचालनार्थ सहमति (CTO) प्राप्त किये अवैध रूप से संचालित पायी गयी। उक्त के दृष्टिगत इकाई के विरुद्ध बोर्ड मुख्यालय, लखनऊ के पत्र संख्या- एच 24929/सी-7/विविध-721/2025 दिनांक 28.02.2025 द्वारा जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 33ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस जारी किया गया तथा जिलाधिकारी महोदय, सम्मल के कार्यालय आदेश सं० 487/आ.लि.-आ.जि.सं. दिनांक 17.07.2025 द्वारा गठित संयुक्त जांच कमेटी द्वारा दिनांक 21.07.2025 को इकाई के निरीक्षण के दौरान उपस्थित प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि इकाई में उत्पादन कार्य बन्द कर दिया गया है। इकाई द्वारा बोर्ड मुख्यालय, लखनऊ द्वारा जारी कारण बताओ नोटिस के संबंध में कोई प्रतिउत्तर नहीं दिये जाने के दृष्टिगत उक्त इकाई के विरुद्ध बोर्ड मुख्यालय, लखनऊ के पत्र सं० एच 31034/सी-7/विविध-721/2025 दिनांक 04.08.2025 द्वारा जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 33ए के अन्तर्गत बंदी आदेश जारी किया गया है, जो वर्तमान में प्रभावी है। उक्त इकाई वर्तमान में संचालित नहीं है।

उपरोक्तानुसार उक्त इकाई के अवैध संचालन की अवधि दिनांक 28.01.2025 से दिनांक 21.07.2025 तक कुल 175 दिन को डिफाल्टर दिवस मानते हुये केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली के पत्र दिनांक 08.02.2019 द्वारा पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति का आंकलन करते हुये जारी मार्गदर्शिका के अनुसार उक्त इकाई मो० फैसल पुत्र मो० नन्हें, मोहल्ला- हयातनगर, तहसील व जनपद -सम्मल के विरुद्ध नियमानुसार पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की गणना की जाती है-

$$\text{Penalty/E.C. in (RS.)} = \text{PI} \times \text{N} \times \text{RS} \times \text{LF}$$

Where

PI = Pollution Index of Industrial section (Since the Category Red)= 80

N = Number of days of violation took place= 175

R = A factor in rupees for penalty= 250

S = Factor for scale of opration (small)= 0.5

LF = Location Factor (Based on population)= 1.0

$$\text{Penalty/EC} = 80 \times 175 \times 250 \times 0.5 \times 1.0$$

$$= 1750000.00 \text{ only}$$

अतः उपरोक्तानुसार मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा उक्त प्रकरण में दिनांक 06.11.2025 को पारित आदेश के अनुपालन में उक्त इकाई मो० फैसल पुत्र मो० नन्हें, मोहल्ला- हयातनगर, तहसील व जनपद -सम्मल के विरुद्ध रु० 17,50,000.00 (सत्रह लाख पचास हजार रुपये मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की गणना की गयी है। आख्या आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

Anil K
07-01-26
(अनिल कुमार)
वैज्ञानिक सहायक

Sunam
07/01/2026
(संतोष कुमार)
सहायक पर्यावरण अभियन्ता

क्षेत्रीय अधिकारी महोदय

Kumar
07.01.26

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-7), महोदय

क्षेत्रीय कार्यालय
उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

1-ए/आई.एन.एस.-1, आवास विकास कालोनी, बौद्ध विहार,
दिल्ली रोड, गुरादाबाद

पत्र संख्या: 37 / N-13/130/25/उ०प्र०

दिनांक=7 01.2026

सेवा में,

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-7),
उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
लखनऊ।


विषय- माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित O.A. No. -130/2025 (I.A. No. -224/2025) वरुण गुलाटी बनाम स्टेट आफ उत्तर प्रदेश व अन्य में पारित आदेश दिनांक 06.11.2025 के अनुपालन में श्री मो० रिजवान अंसारी पुत्र श्री मो० रफी, मोहल्ला-हयातनगर, तहसील व जनपद -सम्मल के विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की गणना किये जाने के संबंध में।

महोदय,


कृपया उपरोक्त विषयक का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। तत्कम में अवगत कराना है कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित O.A. No. -130/2025 (I.A. No. -224/2025) वरुण गुलाटी बनाम स्टेट आफ उत्तर प्रदेश व अन्य में पारित आदेश दिनांक 06.11.2025 के अनुपालन में श्री मो० रिजवान अंसारी पुत्र श्री मो० रफी, मोहल्ला-हयातनगर, तहसील व जनपद -सम्मल के विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की गणना किये जाने के संबंध में उक्त स्थल श्री मो० रिजवान अंसारी पुत्र श्री मो० रफी, मोहल्ला-हयातनगर, तहसील व जनपद -सम्मल का अद्यतन निरीक्षण इस कार्यालय द्वारा दिनांक 31.12.2025 को किया गया। मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा उक्त प्रकरण में दिनांक 06.11.2025 को पारित आदेश के अनुपालन में उक्त इकाई श्री मो० रिजवान अंसारी पुत्र श्री मो० रफी, मोहल्ला-हयातनगर, तहसील व जनपद -सम्मल के विरुद्ध रु० 27,40,000.00 (सत्ताइस लाख चालीस हजार रुपये मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की गणना की गयी है। आख्या आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

भवदीय

संलग्नक: यथापरि।


07.01.26

(देव कुमार गुप्ता)
क्षेत्रीय अधिकारी



माननीय राज्य

माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित O.A. No. -130/2025 (I.A. No. -224/2025) वरुण गुलादी स्टेट आफ उत्तर प्रदेश व अन्य में पारित आदेश दिनांक 08.11.2025 के अनुपालन में श्री मो० रिजवान अंसारी पुत्र श्री मो० रफी, मोहल्ला-हयातनगर, तहसील व जनपद -सम्भल के विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की गणना किये जाने के संबंध में आख्या-

उपरोक्त विषयक श्री मो० रिजवान अंसारी पुत्र श्री मो० रफी, मोहल्ला-हयातनगर, तहसील व जनपद -सम्भल द्वारा उक्त स्थल पर स्थापित/संचालित इकाई/वांशिंग प्लांट का अद्यतन निरीक्षण अधोहरताक्षरकर्ताओं द्वारा दिनांक 31.12.2025 को किया गया (फोटोग्राफ संलग्न)। निरीक्षण के दौरान इकाई स्थल पर इकाई प्रोपराइटर अथवा कोई इकाई प्रतिनिधि उपस्थित नहीं था। निरीक्षण के दौरान इकाई बन्द पायी गयी। कार्यालय अगिलेखानुसार उक्त इकाई का पूर्व में प्रथम बार निरीक्षण इस कार्यालय द्वारा दिनांक 21.10.2024 को किया गया था। निरीक्षण के दौरान उक्त इकाई राज्य बोर्ड से विना स्थापनार्थ सहमति (CTE) प्राप्त किये स्थापित तथा विना संचालनार्थ सहमति (CTO) प्राप्त किये अवैध रूप से संचालित पायी गयी। उक्त के दृष्टिगत इकाई के विरुद्ध बोर्ड मुख्यालय, लखनऊ के पत्र संख्या- एच 22410/सी-7/विधि-709/2025 दिनांक 08.01.2025 द्वारा जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 33ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस जारी किया गया तथा जिलाधिकारी महोदय, सम्भल के कार्यालय आदेश सं० 487/आ.लि.-आ.जि.सं. दिनांक 17.07.2025 द्वारा गठित संयुक्त जॉच कमेटी द्वारा दिनांक 21.07.2025 को इकाई के निरीक्षण के दौरान उपस्थित इकाई प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि इकाई में उत्पादन कार्य बन्द कर दिया गया है। इकाई द्वारा बोर्ड मुख्यालय, लखनऊ द्वारा जारी कारण बताओ नोटिस के संबंध में कोई प्रतिउत्तर नहीं दिये जाने के दृष्टिगत उक्त इकाई के विरुद्ध बोर्ड मुख्यालय, लखनऊ के पत्र सं० एच 31033/सी-7/विधि-709/2025 दिनांक 04.08.2025 द्वारा जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 33ए के अन्तर्गत बंदी आदेश जारी किया गया है, जो वर्तमान में प्रभावी है। उक्त इकाई वर्तमान में संचालित नहीं है।

उपरोक्तानुसार उक्त इकाई के अवैध संचालन की अवधि दिनांक 21.10.2024 से दिनांक 21.07.2025 तक कुल 274 दिन को डिफाल्टर दिवस मानते हुये केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली के पत्र दिनांक 08.02.2019 द्वारा पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति का आंकलन करते हुये जारी मार्गदर्शिका के अनुसार उक्त इकाई/श्री मो० रिजवान अंसारी पुत्र श्री मो० रफी, मोहल्ला-हयातनगर, तहसील व जनपद -सम्भल के विरुद्ध नियमानुसार पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की गणना की जाती है-

$$\text{Penalty/E.C. in (RS.)} = \text{PI} \times \text{N} \times \text{RS} \times \text{LF}$$

Where

PI = Pollution Index of industrial section (Since the Category Red)= 80

N = Number of days of violation took place= 274

R = A factor in rupees for penalty= 250

S = Factor for scale of operation. (small)= 0.5

LF = Location Factor (Based on population)= 1.0

Penalty/EC = 80 x 274 x 250 x 0.5 x 1.0

= 2740000.00 only

अतः उपरोक्तानुसार मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा उक्त प्रकरण में दिनांक 06.11.2025 को पारित आदेश के अनुपालन में उक्त इकाई/श्री मो० रिजवान अंसारी पुत्र श्री मो० रफी, मोहल्ला-हयातनगर, तहसील व जनपद -सम्भल के विरुद्ध रु० 27,40,000.00 (सत्ताइस लाख चालीस हजार रुपये मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की गणना की गयी है। आख्या आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

Anil Kumar
07.01.26
(अनिल कुमार)

वैज्ञानिक सहायक

Suman
07/01/2026
(संतोष कुमार)

सहायक पर्यावरण अभियन्ता

क्षेत्रीय अधिकारी महोदय

Suman
07.01.26

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-7), महोदय



क्षेत्रीय कार्यालय
उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
1-ए/आई.एन.एस.-1, आवास विकास कालोनी, बौद्ध विहार,
दिल्ली रोड, मुरादाबाद

दिनांक 07.01.2026

पत्र संख्या: 38 / N-13 / 13.1 / 25 / जनरल

सेवा में,


मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-7),
उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
लखनऊ।


विषय— माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित O.A. No. -130/2025 (I.A. No. -224/2025) वरुण गुलाटी बनाम स्टेट आफ उत्तर प्रदेश व अन्य में पारित आदेश दिनांक 06.11.2025 के अनुपालन में मो० कामिल पुत्र मो० नन्हें, मोहल्ला— सराय तरीन, थाना—हयातनगर, तहसील व जनपद—सम्भल के विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की गणना किये जाने के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। तत्कम में अवगत कराना है कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित O.A. No. -130/2025 (I.A. No. -224/2025) वरुण गुलाटी बनाम स्टेट आफ उत्तर प्रदेश व अन्य में पारित आदेश दिनांक 06.11.2025 के अनुपालन में मो० कामिल पुत्र मो० नन्हें, मोहल्ला— सराय तरीन, थाना—हयातनगर, तहसील व जनपद—सम्भल के विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की गणना किये जाने के संबंध में उक्त स्थल मो० कामिल पुत्र मो० नन्हें, मोहल्ला— सराय तरीन, थाना—हयातनगर, तहसील व जनपद—सम्भल का अद्यतन निरीक्षण इस कार्यालय द्वारा दिनांक 31.12.2025 को किया गया। मो० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा उक्त प्रकरण में दिनांक 06.11.2025 को पारित आदेश के अनुपालन में उक्त इकाई मो० कामिल पुत्र मो० नन्हें, मोहल्ला— सराय तरीन, थाना—हयातनगर, तहसील व जनपद—सम्भल के विरुद्ध रु० 17,50,000.00 (सत्रह लाख पचास हजार रुपये मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की गणना की गयी है। आख्या आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।
भवदीय

संलग्नक: यथापरि।


07.01.26
(देव कुमार गुप्ता)
क्षेत्रीय अधिकारी



पाननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित O.A. No. -130/2025 (I.A. No. -224/2025) परण गुलाब स्टेट आफ उत्तर प्रदेश व अन्य में पारित आदेश दिनांक 06.11.2025 के अनुपालन में मो० कामिल पुत्र मो० नन्हें, मोहल्ला- सराय तरीन, थाना-हयातनगर, तहसील व जनपद -सम्मल के विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की गणना किये जाने के आख्या-
 सराय तरीन, थाना-हयातनगर, तहसील व जनपद -सम्मल

उपरोक्त विषयक मो० कामिल पुत्र मो० नन्हें, मोहल्ला- सराय तरीन, थाना-हयातनगर, तहसील व जनपद -सम्मल द्वारा उक्त स्थल पर स्थापित/संचालित इकाई/वांशिग प्लान्ट का अद्यतन निरीक्षण अधोहस्ताक्षरकर्ताओ द्वारा दिनांक 31.12.2025 को किया गया (फोटोग्राफ संलग्न)। निरीक्षण के दौरान इकाई स्थल पर मो० कामिल (प्रोपराइटर) उपस्थित थे। निरीक्षण के दौरान इकाई बन्द पायी गयी। कार्यालय अभिलेखानुसार उक्त इकाई का पूर्व में प्रथम बार निरीक्षण इस कार्यालय द्वारा दिनांक 28.01.2025 को किया गया था। निरीक्षण के दौरान उक्त इकाई राज्य बोर्ड से बिना स्थापनार्थ सहमति (CTE) प्राप्त किये स्थापित तथा बिना संचालनार्थ सहमति (CTO) प्राप्त किये अवैध रूप से संचालित पायी गयी। उक्त के दृष्टिगत इकाई के विरुद्ध बोर्ड मुख्यालय, लखनऊ के पत्र संख्या- एच 24758/सी-7/विविध-720/2025 दिनांक 27.02.2025 द्वारा जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 33ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस जारी किया गया तथा जिलाधिकारी महोदय, सम्मल के कार्यालय आदेश सं० 487/आ.लि.-आ.जि.सं. दिनांक 17.07.2025 द्वारा गठित संयुक्त जाँच कमेटी द्वारा दिनांक 21.07.2025 को इकाई के निरीक्षण के दौरान उक्त इकाई संचालित पायी गयी। संयुक्त जाँच कमेटी द्वारा इकाई में उत्पादन कार्य बन्द करा दिया गया। इकाई द्वारा बोर्ड मुख्यालय, लखनऊ द्वारा जारी कारण बताओ नोटिस के संबंध में कोई प्रतिउत्तर नहीं दिये जाने के दृष्टिगत उक्त इकाई के विरुद्ध बोर्ड मुख्यालय, लखनऊ के पत्र सं० एच 31038/सी-7/विविध-720/2025 दिनांक 04.08.2025 द्वारा जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 33ए के अन्तर्गत बंदी आदेश जारी किया गया है, जो वर्तमान में प्रभावी है। उक्त इकाई वर्तमान में संचालित नहीं है।
 उपरोक्तानुसार उक्त इकाई के अवैध संचालन की अवधि दिनांक 28.01.2025 से दिनांक 21.07.2025 तक कुल 175 दिन को डिफाल्टर दिवस मानते हुये केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली के पत्र दिनांक 08.02.2019 द्वारा पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति का आंकलन करते हुये जारी मार्गदर्शिका के अनुसार उक्त इकाई मो० कामिल पुत्र मो० नन्हें, मोहल्ला- सराय तरीन, थाना-हयातनगर, तहसील व जनपद -सम्मल के विरुद्ध नियमानुसार पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की गणना की जाती है-

$$\text{Penalty/E.C. in (RS.)} = \text{PI} \times \text{N} \times \text{RS} \times \text{LF}$$

Where

PI = Pollution Index of industrial section (Since the Category Red)= 80

N = Number of days of violation took place= 175

R = A factor in rupees for penalty= 250

S = Factor for scale of opration (small)= 0.5

LF = Location Factor (Based on population)= 1.0

$$\text{Penalty/EC} = 80 \times 175 \times 250 \times 0.5 \times 1.0$$

$$= 1750000.00 \text{ only}$$

अतः उपरोक्तानुसार मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा उक्त प्रकरण में दिनांक 06.11.2025 को पारित आदेश के अनुपालन में उक्त इकाई मो० कामिल पुत्र मो० नन्हें, मोहल्ला- सराय तरीन, थाना-हयातनगर, तहसील व जनपद -सम्मल के विरुद्ध रु० 17,50,000.00 (सत्रह लाख पचास हजार रुपये मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की गणना की गयी है।
 आख्या आपकें अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

Anil Kumar
 07.01.26
 (अनिल कुमार)
 वैज्ञानिक सहायक

Suman
 07/01/2026
 (संतोष कुमार)
 सहायक पर्यावरण अभियन्ता

क्षेत्रीय अधिकारी महोदय
Kumar
 07.01.26

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-7), महोदय



क्षेत्रीय कार्यालय
उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
1-ए/आई.एन.एस.-1, आवास विकास कालोनी, बौद्ध विहार,
दिल्ली रोड, मुसादाबाद

पत्र संख्या: 39 / M-13 / 130 / 25 / जन२५

दिनांक 07/01/2026

सेवा में,

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-7),
उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
लखनऊ।


विषय- माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित O.A. No. -130/2025 (I.A. No. -224/2025) वरुण गुलाटी बनाम स्टेट आफ उत्तर प्रदेश व अन्य में पारित आदेश दिनांक 06.11.2025 के अनुपालन में हाजी शाह आलम पुत्र मो० काफिल, मोहल्ला-कटरा, हयातनगर, जनपद -सम्मल के विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की गणना किये जाने के संबंध में।


महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। तत्कम में अवगत कराना है कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित O.A. No. -130/2025 (I.A. No. -224/2025) वरुण गुलाटी बनाम स्टेट आफ उत्तर प्रदेश व अन्य में पारित आदेश दिनांक 06.11.2025 के अनुपालन में हाजी शाह आलम पुत्र मो० काफिल, मोहल्ला-कटरा, हयातनगर, जनपद -सम्मल के विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की गणना किये जाने के संबंध में उक्त स्थल हाजी शाह आलम पुत्र मो० काफिल, मोहल्ला-कटरा, हयातनगर, जनपद -सम्मल का अद्यतन निरीक्षण इस कार्यालय द्वारा दिनांक 31.12.2025 को किया गया। मो० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा उक्त प्रकरण में दिनांक 06.11.2025 को पारित आदेश के अनुपालन में उक्त इकाई हाजी शाह आलम पुत्र मो० काफिल, मोहल्ला-कटरा, हयातनगर, जनपद -सम्मल के विरुद्ध रु० 27,40,000.00 (सत्ताइस लाख चालीस हजार रुपये मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की गणना की गयी है। आख्या आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

भवदीय

संलग्नक: यथोपरि।


07-01-26
(देव कुमार गुप्ता)
क्षेत्रीय अधिकारी



माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित O.A. No. -130/2025 (I.A. No. -224/2025) वरुण गुलादी के स्टेट आफ उत्तर प्रदेश व अन्य में पारित आदेश दिनांक 06.11.2025 के अनुपालन में हाजी शाह आलम पुत्र मो० काफिल, मोहल्ला-कटरा, हयातनगर, जनपद -सम्मल के विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की गणना किये जाने के संबंध में आख्या-1

उपरोक्त विषयक हाजी शाह आलम पुत्र मो० काफिल, मोहल्ला-कटरा, हयातनगर, जनपद -सम्मल द्वारा उक्त स्थल पर स्थापित/संचालित इकाई/पाशिग प्लान्ट का अद्यतन निरीक्षण अधोहस्ताक्षरकर्ताओं द्वारा दिनांक 31.12.2025 को किया गया (कोटोग्राफ संलग्न)। निरीक्षण के दौरान इकाई स्थल पर इकाई प्रोपराइटर अथवा कोई इकाई प्रतिनिधि उपस्थित नहीं था। निरीक्षण के दौरान इकाई बन्द पायी गयी। कार्यालय अगिलेखानुसार उक्त इकाई का पूर्व में प्रथम बार निरीक्षण इस कार्यालय द्वारा दिनांक 21.10.2024 को किया गया था। निरीक्षण के दौरान उक्त इकाई राज्य बोर्ड से बिना स्थापनार्थ सहमति (CTE) प्राप्त किये स्थापित तथा बिना संचालनार्थ सहमति (CTO) प्राप्त किये अवैध रूप से संचालित पायी गयी। उक्त के दृष्टिगत इकाई के विरुद्ध बोर्ड मुख्यालय, लखनऊ के पत्र संख्या- एच 22411/सी-7/विविध-711/2025 दिनांक 08.01.2025 द्वारा जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 33ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस जारी किया गया तथा जिलाधिकारी महोदय, सम्मल के कार्यालय आदेश सं० 487/आ.लि.-आ.जि.सं. दिनांक 17.07.2025 द्वारा गठित संयुक्त जॉच कमेटी द्वारा दिनांक 21.07.2025 को इकाई के निरीक्षण के दौरान उक्त इकाई संचालित पायी गयी। संयुक्त जॉच कमेटी द्वारा इकाई में उत्पादन कार्य बन्द करा दिया गया। इकाई द्वारा बोर्ड मुख्यालय, लखनऊ द्वारा जारी कारण बताओ नोटिस के संबंध में कोई प्रतिउत्तर नहीं दिये जाने के दृष्टिगत उक्त इकाई के विरुद्ध बोर्ड मुख्यालय, लखनऊ के पत्र सं० एच 31042/सी-7/विविध-711/2025 दिनांक 04.08.2025 द्वारा जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 33ए के अन्तर्गत बंदी आदेश जारी किया गया है, जो वर्तमान में प्रभावी है। उक्त इकाई वर्तमान में संचालित नहीं है।

उपरोक्तानुसार उक्त इकाई के अवैध संचालन की अवधि दिनांक 21.10.2024 से दिनांक 21.07.2025 तक कुल 274 दिन को डिफाल्टर दिवस मानते हुये केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली के पत्र दिनांक 08.02.2019 द्वारा पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति का आंकलन करते हुये जारी मार्गदर्शिका के अनुसार उक्त इकाई हाजी शाह आलम पुत्र मो० काफिल, मोहल्ला-कटरा, हयातनगर, जनपद -सम्मल के विरुद्ध नियमानुसार पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की गणना की जाती है-

$$\text{Penalty/EC in (RS.)} = \text{PI} \times \text{N} \times \text{RS} \times \text{LF}$$

Where

PI = Pollution Index of industrial section (Since the Category Red) = 80

N = Number of days of violation took place = 274

R = A factor in rupees for penalty = 250

S = Factor for scale of opration (small) = 0.5

LF = Location Factor (Based on population) = 1.0

$$\text{Penalty/EC} = 80 \times 274 \times 250 \times 0.5 \times 1.0$$

$$= 2740000.00 \text{ only}$$

अतः उपरोक्तानुसार मो० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा उक्त प्रकरण में दिनांक 06.11.2025 को पारित आदेश के अनुपालन में उक्त इकाई हाजी शाह आलम पुत्र मो० काफिल, मोहल्ला-कटरा, हयातनगर, जनपद -सम्मल के विरुद्ध रु० 27,40,000.00 (सत्ताइस लाख चालीस हजार रुपये मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की गणना की गयी है। आख्या आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

Anil Kumar
07.01.26
(अनिल कुमार)

वैज्ञानिक सहायक

Suman
07/01/2026
(संतोष कुमार)

सहायक पर्यावरण अभियन्ता

क्षेत्रीय अधिकारी महोदय

Suman
07.01.26

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-7), महोदय



क्षेत्रीय कार्यालय
उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
1-ए/आई.एन.एस.-1, आवास विकास कालोनी, बौद्ध विहार,
दिल्ली रोड, गुरादाबाद

पत्र संख्या: 40 / 11-13 / 130/25 / जनरल

दिनांक 07.01.2026

सेवा में,

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-7),
उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
लखनऊ।

विषय- माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित O.A. No. -130/2025 (I.A. No. -224/2025) वरुण गुलाटी बनाम स्टेट आफ उत्तर प्रदेश व अन्य में पारित आदेश दिनांक 06.11.2025 के अनुपालन में मो० तसलीम पुत्र मो० शरीफ, मोहल्ला- हयातनगर, थाना-हयातनगर, जनपद -सम्भल के विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की गणना किये जाने के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। तत्कम में अवगत कराना है कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित O.A. No. -130/2025 (I.A. No. -224/2025) वरुण गुलाटी बनाम स्टेट आफ उत्तर प्रदेश व अन्य में पारित आदेश दिनांक 06.11.2025 के अनुपालन में मो० तसलीम पुत्र मो० शरीफ, मोहल्ला- हयातनगर, थाना-हयातनगर, जनपद -सम्भल के विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की गणना किये जाने के संबंध में उक्त स्थल मो० तसलीम पुत्र मो० शरीफ, मोहल्ला- हयातनगर, थाना-हयातनगर, जनपद -सम्भल का अद्यतन निरीक्षण इस कार्यालय द्वारा दिनांक 31.12.2025 को किया गया। मो० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा उक्त प्रकरण में दिनांक 06.11.2025 को पारित आदेश के अनुपालन में उक्त इकाई मो० तसलीम पुत्र मो० शरीफ, मोहल्ला- हयातनगर, थाना-हयातनगर, जनपद -सम्भल के विरुद्ध रु० 17,50,000.00 (सत्रह लाख पचास हजार रुपये मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की गणना की गयी है। आस्था आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

भवदीय

सलग्नक: यथोपरि।

Kumar
07.01.26

(देव कुमार गुप्ता)
क्षेत्रीय अधिकारी

माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित O.A. No. -130/2025 (I.A. No. -224/2025) वरुण गुल
स्टेट आफ उत्तर प्रदेश व अन्य में पारित आदेश दिनांक 06.11.2025 के अनुपालन में मो0 तसलीम पुत्र मो0
मोहल्ला- हयातनगर, थाना-हयातनगर, जनपद -सम्मल के विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की गणना किये जाने के संबंध में
आख्या-

उपरोक्त विषयक मो0 तसलीम पुत्र मो0 शरीफ, मोहल्ला- हयातनगर, थाना-हयातनगर, जनपद -सम्मल द्वारा उक्त
स्थल पर स्थापित/संचालित इकाई/चाशिम प्लान्ट का अद्यतन निरीक्षण अधोहरताक्षरकर्ताओ द्वारा दिनांक 31.12.2025 को
किया गया (फोटोग्राफ संलग्न)। निरीक्षण के दौरान इकाई स्थल पर इकाई प्रतिनिधि के रूप में मो0 अलीम उपस्थित थे।
निरीक्षण के दौरान इकाई बन्द पायी गयी। कार्यालय अभिलेखानुसार उक्त इकाई का पूर्व में प्रथम बार निरीक्षण इस कार्यालय
द्वारा दिनांक 28.01.2025 को किया गया था। निरीक्षण के दौरान उक्त इकाई राज्य बोर्ड से बिना स्थापनार्थ सहमति (CTE)
प्राप्त किये स्थापित तथा बिना संचालनार्थ सहमति (CTO) प्राप्त किये अवैध रूप से संचालित पायी गयी। उक्त के दृष्टिगत
इकाई के विरुद्ध बोर्ड मुख्यालय, लखनऊ के पत्र संख्या- एच 24928/सी-7/विविध-723/2025 दिनांक 28.02.2025 द्वारा
जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 33ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस जारी किया गया तथा
जिलाधिकारी महोदय, सम्मल के कार्यालय आदेश सं0 487/आ.लि.-आ.जि.सं. दिनांक 17.07.2025 द्वारा गठित संयुक्त जांच
कमेटी द्वारा दिनांक 21.07.2025 को इकाई के निरीक्षण के दौरान उपस्थित प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि इकाई में
उत्पादन कार्य बन्द कर दिया गया है। इकाई द्वारा बोर्ड मुख्यालय, लखनऊ द्वारा जारी कारण बताओ नोटिस के संबंध में
कोई प्रतिउत्तर नहीं दिये जाने के दृष्टिगत उक्त इकाई के विरुद्ध बोर्ड मुख्यालय, लखनऊ के पत्र सं0 एच
31040/सी-7/विविध-723/2025 दिनांक 04.08.2025 द्वारा जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा
33ए के अन्तर्गत बंदी आदेश जारी किया गया है, जो वर्तमान में प्रभावी है। उक्त इकाई वर्तमान में संचालित नहीं है।
उपरोक्तानुसार उक्त इकाई के अवैध संचालन की अवधि दिनांक 28.01.2025 से दिनांक 21.07.2025 तक कुल 175
दिन को डिफाल्टर दिवस मानते हुये केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली के पत्र दिनांक 08.02.2019 द्वारा पर्यावरणीय
क्षतिपूर्ति का आंकलन करते हुये जारी मार्गदर्शिका के अनुसार उक्त इकाई मो0 तसलीम पुत्र मो0 शरीफ, मोहल्ला-
हयातनगर, थाना-हयातनगर, जनपद -सम्मल के विरुद्ध नियमानुसार पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की गणना की जाती है-

$$\text{Penalty/E.C. in (RS.)} = \text{PI} \times \text{N} \times \text{RS} \times \text{LF}$$

Where

PI = Pollution Index of industrial section (Since the Category Red)= 80

N = Number of days of violation took place= 175

R = A factor in rupees for penalty= 250

S = Factor for scale of opration. (small)= 0.5

LF = Location Factor (Based on population)= 1.0

$$\text{Penalty/EC} = 80 \times 175 \times 250 \times 0.5 \times 1.0$$

$$= 1750000.00 \text{ only}$$

अतः उपरोक्तानुसार मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा उक्त प्रकरण में दिनांक 06.11.2025 को पारित
आदेश के अनुपालन में उक्त इकाई मो0 तसलीम पुत्र मो0 शरीफ, मोहल्ला- हयातनगर, थाना-हयातनगर, जनपद -सम्मल
के विरुद्ध ₹0 17,50,000.00 (सत्रह लाख पचास हजार रुपये मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की गणना की गयी है। आख्या
आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

Anil Kumar
07.01.26
(अनिल कुमार)
वैज्ञानिक सहायक

Suman
07/01/2026
(संतोष कुमार)
सहायक पर्यावरण अभियन्ता

क्षेत्रीय अधिकारी महोदय
Kumar
07.01.26

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-7), महोदय



क्षेत्रीय कार्यालय
उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
1-ए/आई.एन.एस.-1, आवास विकास कालोनी, बौद्ध विहार,
दिल्ली रोड, मुरादाबाद

पत्र संख्या: 41 / N-13 / 130 / 25 / जनरल

दिनांक 07.01.2026

सेवा में,

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-7),
उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
लखनऊ।

विषय- माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित O.A. No. -130/2025 (I.A. No. -224/2025) वरुण गुलाटी बनाम स्टेट आफ उत्तर प्रदेश व अन्य में पारित आदेश दिनांक 06.11.2025 के अनुपालन में मो० इमरान पुत्र मो० रिजवान, ग्राम अजीजपुर असदपुर, थाना-हयातनगर, जनपद-सम्भल के विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की गणना किये जाने के संबंध में।

सहोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। तत्कम में अवगत कराना है कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित O.A. No. -130/2025 (I.A. No. -224/2025) वरुण गुलाटी बनाम स्टेट आफ उत्तर प्रदेश व अन्य में पारित आदेश दिनांक 06.11.2025 के अनुपालन में मो० इमरान पुत्र मो० रिजवान, ग्राम अजीजपुर असदपुर, थाना-हयातनगर, जनपद-सम्भल के विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की गणना किये जाने के संबंध में उक्त स्थल मो० इमरान पुत्र मो० रिजवान, ग्राम अजीजपुर असदपुर, थाना-हयातनगर, जनपद-सम्भल का अद्यतन निरीक्षण इस कार्यालय द्वारा दिनांक 31.12.2025 को किया गया। मो० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा उक्त प्रकरण में दिनांक 06.11.2025 को पारित आदेश के अनुपालन में उक्त इकाई मो० इमरान पुत्र मो० रिजवान, ग्राम अजीजपुर असदपुर, थाना-हयातनगर, जनपद-सम्भल के विरुद्ध रु० 27,40,000.00 (सत्ताइस लाख चालीस हजार रुपये मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की गणना की गयी है। आख्या आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

भवदीय

सलग्नक: यथोपरि।

(देव कुमार गुप्ता)
क्षेत्रीय अधिकारी

07.01.26

माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित O.A. No. -130/2025 (I.A. No. -224/2025) वरुण गुलाटी के स्टेट आफ उत्तर प्रदेश व अन्य में पारित आदेश दिनांक 08.11.2025 के अनुपालन में मो० इमरान पुत्र मो० रिजवान, ग्राम अजीजपुर असदपुर, थाना-हयातनगर, जनपद -सम्मल के विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की गणना किये जाने के संबंध में आख्या-

उपरोक्त विषयक मो० इमरान पुत्र मो० रिजवान, ग्राम अजीजपुर असदपुर, थाना-हयातनगर, जनपद -सम्मल द्वारा उक्त स्थल पर स्थापित/संचालित इकाई/वाशिंग प्लांट का अद्यतन निरीक्षण अधीकरताक्षरकर्ताओं द्वारा दिनांक 31.12.2025 को किया गया (फोटोग्राफ संलग्न)। निरीक्षण के दौरान इकाई स्थल पर इकाई प्रतिनिधि के रूप में मो० जैश उपस्थित थे। निरीक्षण के दौरान इकाई बन्द पायी गयी। कार्यालय अगिलेखानुसार उक्त इकाई का पूर्य में प्रथम बार निरीक्षण इस कार्यालय द्वारा दिनांक 21.10.2024 को किया गया था। निरीक्षण के दौरान उक्त इकाई राज्य बोर्ड से बिना स्थापनार्थ सहमति (CTE) प्राप्त किये स्थापित तथा बिना संचालनार्थ सहमति (CTO) प्राप्त किये अवैध रूप से संचालित पायी गयी। उक्त के दृष्टिगत इकाई के विरुद्ध बोर्ड मुख्यालय, लखनऊ के पत्र संख्या- एच-22832/सी-7/विधि-710/2025 दिनांक 17.01.2025 द्वारा जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 33ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस जारी किया गया तथा जिलाधिकारी महोदय, सम्मल के कार्यालय आदेश सं० 487/आ.लि.-आ.जि.सं. दिनांक 17.07.2025 द्वारा गठित संयुक्त जॉच कमेटी द्वारा दिनांक 21.07.2025 को इकाई के निरीक्षण के दौरान उपस्थित प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि इकाई में उत्पादन कार्य बन्द कर दिया गया है। इकाई द्वारा बोर्ड मुख्यालय, लखनऊ द्वारा जारी कारण बताओ नोटिस के संबंध में कोई प्रतिउत्तर नहीं दिये जाने के दृष्टिगत उक्त इकाई के विरुद्ध बोर्ड मुख्यालय, लखनऊ के पत्र सं० एच 31036/सी-7/विधि-710/2025 दिनांक 04.08.2025 द्वारा जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 33ए के अन्तर्गत बंदी आदेश जारी किया गया है, जो वर्तमान में प्रभावी है। उक्त इकाई वर्तमान में संचालित नहीं है।

उपरोक्तानुसार उक्त इकाई के अवैध संचालन की अवधि दिनांक 21.10.2024 से दिनांक 21.07.2025 तक कुल 274 दिन को डिफाल्टर दिवस मानते हुये केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली के पत्र दिनांक 08.02.2019 द्वारा पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति का आंकलन करते हुये जारी मार्गदर्शिका के अनुसार उक्त इकाई मो० इमरान पुत्र मो० रिजवान, ग्राम अजीजपुर असदपुर, थाना-हयातनगर, जनपद -सम्मल के विरुद्ध नियमानुसार पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की गणना की जाती है-

$$\text{Penalty/EC in (RS.)} = \text{PI} \times \text{N} \times \text{RS} \times \text{LF}$$

Where,

PI = Pollution Index of industrial section (Since the Category Red) = 80

N = Number of days of violation took place = 274

R = A factor in rupees for penalty = 250

S = Factor for scale of operation (small) = 0.5

LF = Location Factor (Based on population) = 1.0

$$\text{Penalty/EC} = 80 \times 274 \times 250 \times 0.5 \times 1.0$$

$$= 2740000.00 \text{ only}$$

अतः उपरोक्तानुसार मो० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा उक्त प्रकरण में दिनांक 06.11.2025 को पारित आदेश के अनुपालन में उक्त इकाई मो० इमरान पुत्र मो० रिजवान, ग्राम अजीजपुर असदपुर, थाना-हयातनगर, जनपद -सम्मल के विरुद्ध ₹० 27,40,000.00 (सत्ताइस लाख चालीस हजार रुपये मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की गणना की गयी है। आख्या आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

Anil Kumar
07.01.26
(अनिल कुमार)
वैज्ञानिक सहायक

Shunam
07/01/2026
(संतोष कुमार)
सहायक पर्यावरण अभियन्ता

क्षेत्रीय अधिकारी महोदय

Kumar
07.01.26

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-7), महोदय



क्षेत्रीय कार्यालय
उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
1-ए/आई.एन.एस.-1, आवास विकास कालोनी, बौद्ध विहार,
दिल्ली रोड, मुरादाबाद

पत्र संख्या: 42/11-13/130/25/जनपद

दिनांक 07.01.2026

सेवा में,

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-7),
उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
लखनऊ।


विषय- माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित O.A. No. -130/2025 (I.A. No. -224/2025) वरुण गुलाटी बनाम स्टेट आफ उत्तर प्रदेश व अन्य में पारित आदेश दिनांक 06.11.2025 के अनुपालन में श्री शकील अहमद पुत्र मो० अलीमुद्दीन एवं मो० तालिब पुत्र मो० अब्दुल कलीम, मोहल्ला-सरायतरीन, थाना-हयातनगर, जनपद-सम्मल के विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की गणना किये जाने के संबंध में।

महोदय,


कृपया उपरोक्त विषयक का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। तत्कम में अवगत कराना है कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित O.A. No. -130/2025 (I.A. No. -224/2025) वरुण गुलाटी बनाम स्टेट आफ उत्तर प्रदेश व अन्य में पारित आदेश दिनांक 06.11.2025 के अनुपालन में श्री शकील अहमद पुत्र मो० अलीमुद्दीन एवं मो० तालिब पुत्र मो० अब्दुल कलीम, मोहल्ला-सरायतरीन, थाना-हयातनगर, जनपद-सम्मल के विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की गणना किये जाने के संबंध में उक्त स्थल श्री शकील अहमद पुत्र मो० अलीमुद्दीन एवं मो० तालिब पुत्र मो० अब्दुल कलीम, मोहल्ला-सरायतरीन, थाना-हयातनगर, जनपद-सम्मल का अद्यतन निरीक्षण इस कार्यालय द्वारा दिनांक 31.12.2025 को किया गया। मो० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा उक्त प्रकरण में दिनांक 06.11.2025 को पारित आदेश के अनुपालन में उक्त इकाई श्री शकील अहमद पुत्र मो० अलीमुद्दीन एवं मो० तालिब पुत्र मो० अब्दुल कलीम, मोहल्ला-सरायतरीन, थाना-हयातनगर, जनपद-सम्मल के विरुद्ध रु० 27,40,000.00 (सत्ताइस लाख चालीस हजार रुपये मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की गणना की गयी है। आख्या आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

भवदीय

संलग्नक: यथोपरि।


07.01.26

(देव कुमार गुप्ता)
क्षेत्रीय अधिकारी



माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित O.A. No. -130/2025 (I.A. No. -224/2025) वरुण गुलाटी स्टेट आफ उत्तर प्रदेश व अन्य में पारित आदेश दिनांक 06.11.2025 के अनुपालन में श्री शकील अहमद पुत्र मो० अलीमुद्दीन एवं मो० तालिब पुत्र मो० अब्दुल कलीम, मोहल्ला-सरायतरीन, थाना-हयातनगर, जनपद -सम्मल के विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की गणना किये जाने के संबंध में आख्या-

उपरोक्त विषयक श्री शकील अहमद पुत्र मो० अलीमुद्दीन एवं मो० तालिब पुत्र मो० अब्दुल कलीम, मोहल्ला-सरायतरीन, थाना-हयातनगर, जनपद -सम्मल द्वारा उक्त स्थल पर स्थापित/संचालित इकाई/वांशिंग प्लांट का अद्यतन निरीक्षण अधोहरताक्षरकर्ताओं द्वारा दिनांक 31.12.2025 को किया गया (फोटोग्राफ संलग्न)। निरीक्षण के दौरान इकाई स्थल पर इकाई प्रोपराइटर अथवा कोई इकाई प्रतिनिधि उपस्थित नहीं था। निरीक्षण के दौरान इकाई बन्द पायी गयी। कार्यालय अभिलेखानुसार उक्त इकाई का पूर्व में प्रथम बार निरीक्षण इस कार्यालय द्वारा दिनांक 21.10.2024 को किया गया था। निरीक्षण के दौरान उक्त इकाई राज्य बोर्ड से बिना स्थापनार्थ सहमति (CTE) प्राप्त किये स्थापित तथा बिना संचालनार्थ सहमति (CTO) प्राप्त किये अवैध रूप से संचालित पायी गयी। उक्त के दृष्टिगत इकाई के विरुद्ध बोर्ड मुख्यालय, लखनऊ के पत्र संख्या- एच 23986/सी-7/विधि-715/2024 दिनांक 10.02.2025 द्वारा जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 33ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस जारी किया गया तथा जिलाधिकारी महोदय, सम्मल के कार्यालय आदेश सं० 487/आ.लि.-आ.जि.सं. दिनांक 17.07.2025 द्वारा गठित संयुक्त जांच कमेटी द्वारा दिनांक 21.07.2025 को इकाई के निरीक्षण के दौरान उक्त इकाई संचालित पायी गयी। संयुक्त जांच कमेटी द्वारा इकाई में उत्पादन कार्य बन्द करा दिया गया। इकाई द्वारा बोर्ड मुख्यालय, लखनऊ द्वारा जारी कारण बताओ नोटिस के संबंध में कोई प्रतिक्रिया नहीं दिये जाने के दृष्टिगत उक्त इकाई के विरुद्ध बोर्ड मुख्यालय, लखनऊ के पत्र सं० एच 31043/सी-7/विधि-715/2025 दिनांक 04.08.2025 द्वारा जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 33ए के अन्तर्गत बंदी आदेश जारी किया गया है जो वर्तमान में प्रभावी है। उक्त इकाई वर्तमान में संचालित नहीं है।

उपरोक्तानुसार उक्त इकाई के अवैध संचालन की अवधि दिनांक 21.10.2024 से दिनांक 21.07.2025 तक कुल 274 दिन को डिफाल्टर दिवस मानते हुये केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली के पत्र दिनांक 08.02.2019 द्वारा पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति का आंकलन करते हुये जारी मार्गदर्शिका के अनुसार उक्त इकाई श्री शकील अहमद पुत्र मो० अलीमुद्दीन एवं मो० तालिब पुत्र मो० अब्दुल कलीम, मोहल्ला-सरायतरीन, थाना-हयातनगर, जनपद -सम्मल के विरुद्ध नियमानुसार पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की गणना की जाती है-

$$\text{Penalty/EC in (RS.)} = \text{PI} \times \text{N} \times \text{RS} \times \text{LF}$$

Where

PI = Pollution Index of industrial section (Since the Category Red)= 80

N = Number of days of violation took place= 274

R = A factor in rupees for penalty= 250

S = Factor for scale of operation (small)= 0.5

LF = Location Factor (Based on population)= 1.0

$$\text{Penalty/EC} = 80 \times 274 \times 250 \times 0.5 \times 1.0$$

$$= 2740000.00 \text{ only}$$

अतः उपरोक्तानुसार मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा उक्त प्रकरण में दिनांक 06.11.2025 को पारित आदेश के अनुपालन में उक्त इकाई श्री शकील अहमद पुत्र मो० अलीमुद्दीन एवं मो० तालिब पुत्र मो० अब्दुल कलीम, मोहल्ला-सरायतरीन, थाना-हयातनगर, जनपद -सम्मल के विरुद्ध रु० 27,40,000.00 (सत्ताइस लाख चात्तीस हजार रुपये मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की गणना की गयी है। आख्या आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

Anil Kumar
07/01/26

(अनिल कुमार)

वैज्ञानिक सहायक

Suman
07/01/26

(संताप कुमार)

सहायक पर्यावरण अभियन्ता

क्षेत्रीय अधिकारी महोदय

Suman
07.01.26



क्षेत्रीय कार्यालय
उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
1-ए/आई.एन.एस.-1, आवास विकास कालोनी, बौद्ध विहार,
दिल्ली रोड, गुरादाबाद

दिनांक 07/01/2026

पत्र संख्या: 43 / N-13 / 130/25/जनक

सेवा में,

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-7),
उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
लखनऊ।

विषय- माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित O.A. No. -130/2025 (I.A. No. -224/2025) वरुण गुलाटी बनाम स्टेट आफ उत्तर प्रदेश व अन्य में पारित आदेश दिनांक 06.11.2025 के अनुपालन में मो० शकील पुत्र मो० रईस, मोहल्ला -हयातनगर, थाना-हयातनगर, तहसील व जनपद -सम्भल के विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की गणना किये जाने के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। तत्कम में अवगत कराना है कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित O.A. No. -130/2025 (I.A. No. -224/2025) वरुण गुलाटी बनाम स्टेट आफ उत्तर प्रदेश व अन्य में पारित आदेश दिनांक 06.11.2025 के अनुपालन में मो० शकील पुत्र मो० रईस, मोहल्ला -हयातनगर, थाना-हयातनगर, तहसील व जनपद -सम्भल के विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की गणना किये जाने के संबंध में उक्त स्थल मो० शकील पुत्र मो० रईस, मोहल्ला -हयातनगर, थाना-हयातनगर, तहसील व जनपद -सम्भल का अद्यतन निरीक्षण इस कार्यालय द्वारा दिनांक 31.12.2025 को किया गया। मो० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा उक्त प्रकरण में दिनांक 06.11.2025 को पारित आदेश के अनुपालन में उक्त इकाई मो० शकील पुत्र मो० रईस, मोहल्ला -हयातनगर, थाना-हयातनगर, तहसील व जनपद -सम्भल के विरुद्ध रु० 27,40,000.00 (सत्ताइस लाख चालीस हजार रुपये मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की गणना की गयी है। आख्या आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

भवदीय

संलग्नक: यथोपरि।

(देव कुमार गुप्ता)
क्षेत्रीय अधिकारी

07/01/26

माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित O.A. No. -130/2025 (I.A. No. -224/2025) वरुण गुलादी स्टेट आफ उत्तर प्रदेश व अन्य में पारित आदेश दिनांक 06.11.2025 के अनुपालन में मो० शकील पुत्र मो० रईस, मोहल्ला -हयातनगर, थाना-हयातनगर, तहसील व जनपद -सम्भल के विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की गणना किये जाने के संबंध में आख्या-

उपरोक्त विषयक मो० शकील पुत्र मो० रईस, मोहल्ला -हयातनगर, थाना-हयातनगर, तहसील व जनपद -सम्भल द्वारा उक्त स्थल पर स्थापित/संचालित इकाई/वांशिंग प्लांट का अद्यतन निरीक्षण अधोहरताक्षरकर्ताओं द्वारा दिनांक 31.12.2025 को किया गया (फोटोग्राफ संलग्न)। निरीक्षण के दौरान इकाई स्थल पर इकाई प्रतिनिधि के रूप में मो० अब्बास उपस्थित थे। निरीक्षण के दौरान इकाई बन्द पायी गयी। कार्यालय अभिलेखानुसार उक्त इकाई का पूर्व में प्रथम बार निरीक्षण इस कार्यालय द्वारा दिनांक 21.10.2024 को किया गया था। निरीक्षण के दौरान उक्त इकाई राज्य बोर्ड से बिना स्थापनार्थ सहमति (CTE) प्राप्त किये स्थापित तथा बिना संचालनार्थ सहमति (CTO) प्राप्त किये अवैध रूप से संचालित पायी गयी। उक्त के दृष्टिगत इकाई के विरुद्ध बोर्ड मुख्यालय, लखनऊ के पत्र संख्या- एच 22131/सी-7/विविध-708/2025 दिनांक 02.01.2025 द्वारा जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 33ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस जारी किया गया तथा जिलाधिकारी महोदय, सम्भल के कार्यालय आदेश सं० 487/आ.लि.-आ.जि.सं. दिनांक 17.07.2025 द्वारा गठित संयुक्त जॉच कमेटी द्वारा दिनांक 21.07.2025 को इकाई के निरीक्षण के दौरान उपस्थित प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि इकाई में उत्पादन कार्य बन्द कर दिया गया है। इकाई द्वारा बोर्ड मुख्यालय, लखनऊ द्वारा जारी कारण बताओ नोटिस के संबंध में कोई प्रतिउत्तर नहीं दिये जाने के दृष्टिगत उक्त इकाई के विरुद्ध बोर्ड मुख्यालय, लखनऊ के पत्र सं० एच 31035/सी-7/विविध-708/2025 दिनांक 04.08.2025 द्वारा जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 33ए के अन्तर्गत बंदी आदेश जारी किया गया है, जो वर्तमान में प्रभावी है। उक्त इकाई वर्तमान में संचालित नहीं है।

उपरोक्तानुसार उक्त इकाई के अवैध संचालन की अवधि दिनांक 21.10.2024 से दिनांक 21.07.2025 तक कुल 274 दिन को डिफाल्टर दिवस मानते हुये केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली के पत्र दिनांक 08.02.2019 द्वारा पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति का आंकलन करते हुये जारी मार्गदर्शिका के अनुसार उक्त इकाई मो० शकील पुत्र मो० रईस, मोहल्ला -हयातनगर, थाना-हयातनगर, तहसील व जनपद -सम्भल के विरुद्ध नियमानुसार पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की गणना की जाती है-

$$\text{Penalty/E.C. in (RS.)} = \text{PI} \times \text{N} \times \text{RS} \times \text{LF}$$

Where

PI = Pollution Index of industrial section (Since the Category Red)= 80

N = Number of days of violation took place= 274

R = A factor in rupees for penalty= 250


S = Factor for scale of operation (small)= 0.5


LF = Location Factor (Based on population)= 1.0

$$\text{Penalty/EC} = 80 \times 274 \times 250 \times 0.5 \times 1.0$$


$$= 2740000.00 \text{ only}$$

अतः उपरोक्तानुसार मो० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा उक्त प्रकरण में दिनांक 06.11.2025 को पारित आदेश के अनुपालन में उक्त इकाई मो० शकील पुत्र मो० रईस, मोहल्ला -हयातनगर, थाना-हयातनगर, तहसील व जनपद -सम्भल के विरुद्ध रु० 27,40,000.00 (सत्ताइस लाख चालीस हजार रुपये मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की गणना की गयी है। आख्या आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।


(अनिल कुमार)
वैज्ञानिक सहायक


(संतोष कुमार)
सहायक पर्यावरण अभियन्ता

क्षेत्रीय अधिकारी महोदय


07.01.26

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-7), महोदय



क्षेत्रीय कार्यालय
उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
1-ए/आई.एन.एस.-1, आवास विकास कालोनी, बौद्ध विहार,
दिल्ली रोड, मुरावाबाद

दिनांक 07.01.2026

पत्र संख्या: 44/.../.../130/25/जनरल

सेवा में,

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-7),
उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
लखनऊ।

विषय- माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित O.A. No. -130/2025 (I.A. No. -224/2025) वरुण गुलाटी बनाम स्टेट आफ उत्तर प्रदेश व अन्य में पारित आदेश दिनांक 06.11.2025 के अनुपालन में मो० जुनेद पुत्र मो० शमशाद, मोहल्ला- हयातनगर, जनपद-सम्भल के विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की गणना किये जाने के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। तत्कम में अवगत कराना है कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित O.A. No. -130/2025 (I.A. No. -224/2025) वरुण गुलाटी बनाम स्टेट आफ उत्तर प्रदेश व अन्य में पारित आदेश दिनांक 06.11.2025 के अनुपालन में मो० जुनेद पुत्र मो० शमशाद, मोहल्ला- हयातनगर, जनपद-सम्भल के विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की गणना किये जाने के संबंध में उक्त स्थल मो० जुनेद पुत्र मो० शमशाद, मोहल्ला- हयातनगर, जनपद-सम्भल का अद्यतन निरीक्षण इस कार्यालय द्वारा दिनांक 31.12.2025 को किया गया। मो० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा उक्त प्रकरण में दिनांक 06.11.2025 को पारित आदेश के अनुपालन में उक्त इकाई मो० जुनेद पुत्र मो० शमशाद, मोहल्ला- हयातनगर, जनपद-सम्भल के विरुद्ध रु० 17,50,000.00 (सत्रह लाख पचास हजार रुपये मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की गणना की गयी है। आख्या आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

भवदीय

संलग्नक- यथापरि।

(देव कुमार गुप्ता)
क्षेत्रीय अधिकारी

माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में रोजित O.A. No. -130/2025 (I.A. No. -224/2025) परण गुलाब स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश व अन्य में पारित आदेश दिनांक 06.11.2025 के अनुपालन में मो० जुनैद पुत्र मो० शमशाद, मोहल्ला-हयातनगर, जनपद -सम्मल के विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की गणना किये जाने के संबंध में आख्या- उपरोक्त विषयक मो० जुनैद पुत्र मो० शमशाद, मोहल्ला-हयातनगर, जनपद -सम्मल द्वारा उक्त स्थल पर स्थापित/संचालित इकाई/वांशिंग प्लान्ट का अद्यतन निरीक्षण अधोहरताक्षरकर्ताओं द्वारा दिनांक 31.12.2025 को किया गया (फोटोग्राफ संलग्न)। निरीक्षण के दौरान इकाई स्थल पर मो० जुनैद (प्रोपराइटर) उपस्थित थे। निरीक्षण के दौरान इकाई बन्द पायी गयी। कार्यालय अभिलेखानुसार उक्त इकाई का पूर्व में प्रथम बार निरीक्षण इस कार्यालय द्वारा दिनांक 28.01.2025 को किया गया था। निरीक्षण के दौरान उक्त इकाई राज्य बोर्ड से विना स्थापनार्थ सहमति (CTE) प्राप्त किये स्थापित तथा विना संचालनार्थ सहमति (CTO) प्राप्त किये अवैध रूप से संचालित पायी गयी। उक्त के दृष्टिगत इकाई के विरुद्ध बोर्ड मुख्यालय, लखनऊ के पत्र संख्या- एच 24927/सी-7/विविध-722/2025 दिनांक 28.02.2025 द्वारा जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 33ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस जारी किया गया तथा जिलाधिकारी महोदय, सम्मल के कार्यालय आदेश सं० 487/आ.लि.-आ.जि.सं. दिनांक 17.07.2025 द्वारा गठित संयुक्त जॉच कमेटी द्वारा दिनांक 21.07.2025 को इकाई के निरीक्षण के दौरान उक्त इकाई संचालित पायी गयी। संयुक्त जॉच कमेटी द्वारा इकाई में उत्पादन कार्य बन्द करा दिया गया। इकाई द्वारा बोर्ड मुख्यालय, लखनऊ द्वारा जारी कारण बताओ नोटिस के संबंध में कोई प्रतिउत्तर नहीं दिये जाने के दृष्टिगत उक्त इकाई के विरुद्ध बोर्ड मुख्यालय, लखनऊ के पत्र सं० एच 31037/सी-7/विविध-722/2025 दिनांक 04.08.2025 द्वारा जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 33ए के अन्तर्गत बंदी आदेश जारी किया गया है, जो वर्तमान में प्रभावी है। उक्त इकाई वर्तमान में संचालित नहीं है।

उपरोक्तानुसार उक्त इकाई के अवैध संचालन की अवधि दिनांक 28.01.2025 से दिनांक 21.07.2025 तक कुल 175 दिन को डिफाल्टर दिवस मानते हुये, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली के पत्र दिनांक 08.02.2019 द्वारा पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति का आकलन करते हुये जारी मार्गदर्शिका के अनुसार उक्त इकाई मो० जुनैद पुत्र मो० शमशाद, मोहल्ला-हयातनगर, जनपद -सम्मल के विरुद्ध नियमानुसार पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की गणना की जाती है-

$$\text{Penalty/E.C. in (RS.)} = \text{PI} \times \text{N} \times \text{RS} \times \text{LF}$$

Where

PI = Pollution Index of industrial section (Since the Category Red) = 80

N = Number of days of violation took place = 175

R = A factor in rupees for penalty = 250


S = Factor for scale of opration (small) = 0.5

LF = Location Factor (Based on population) = 1.0


$$\text{Penalty/EC} = 80 \times 175 \times 250 \times 0.5 \times 1.0$$

$$= 1750000.00 \text{ only}$$

अतः उपरोक्तानुसार मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा उक्त प्रकरण में दिनांक 06.11.2025 को पारित आदेश के अनुपालन में उक्त इकाई मो० जुनैद पुत्र मो० शमशाद, मोहल्ला-हयातनगर, जनपद -सम्मल के विरुद्ध रु० 17,50,000.00 (सत्रह लाख पचास हजार रुपये मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की गणना की गयी है। आख्या आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।



(अनिल कुमार)

वैज्ञानिक सहायक


07/01/2026
(संतोष कुमार)

सहायक पर्यावरण अभियन्ता

क्षेत्रीय अधिकारी महोदय


07.01.26

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-7), महोदय



क्षेत्रीय कार्यालय
उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
1-ए/आई.एन.एस.-1, आवास विकास कालोनी, बौद्ध विहार,
दिल्ली रोड, मुरादाबाद

पत्र संख्या: 45 / N-13 / 130 / 25 / जन२०२५

दिनांक ०७०१.२०२६

सेवा में,

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-7),
उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
लखनऊ।


विषय- माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित O.A. No. -130/2025 (I.A. No. -224/2025) वरुण गुलाटी बनाम स्टेट आफ उत्तर प्रदेश व अन्य में पारित आदेश दिनांक 06.11.2025 के अनुपालन में मो० इशितयाक पुत्र मो० मुस्ताक बहजोई रोड, मोहल्ला- हयातनगर, जनपद -सम्भल के विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की गणना किये जाने के संबंध में।


सहोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। तत्कम में अवगत कराना है कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित O.A. No. -130/2025 (I.A. No. -224/2025) वरुण गुलाटी बनाम स्टेट आफ उत्तर प्रदेश व अन्य में पारित आदेश दिनांक 06.11.2025 के अनुपालन में मो० इशितयाक पुत्र मो० मुस्ताक बहजोई रोड, मोहल्ला- हयातनगर, जनपद -सम्भल के विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की गणना किये जाने के संबंध में उक्त स्थल मो० इशितयाक पुत्र मो० मुस्ताक बहजोई रोड, मोहल्ला- हयातनगर, जनपद -सम्भल का अद्यतन निरीक्षण इस कार्यालय द्वारा दिनांक 31.12.2025 को किया गया। मो० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा उक्त प्रकरण में दिनांक 06.11.2025 को पारित आदेश के अनुपालन में उक्त इकाई मो० इशितयाक पुत्र मो० मुस्ताक बहजोई रोड, मोहल्ला- हयातनगर, जनपद -सम्भल के विरुद्ध रु० 17,50,000.00 (सत्रह लाख पचास हजार रुपये मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की गणना की गयी है। आख्या आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

भवदीय

संलग्नक: यथोपरि।


07.01.26
(देव कुमार गुप्ता)
क्षेत्रीय अधिकारी



माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में गोजित OIA No. 130/2025 (I.A. No. 224/2025) वरुण गुलाटी वरुण स्टेट आफ उत्तर प्रदेश व अन्य में पारित आदेश दिनांक 00.11.2025 के अनुपालन में मो0 इशियाक पुत्र मो0 मुस्ताक बहजोई रोड, मोहल्ला- हयातनगर, जनपद -सम्मल के विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की गणना किये जाने के संबंध में आख्या-

उपरोक्त विषयक मो0 इशियाक पुत्र मो0 मुस्ताक, बहजोई रोड, मोहल्ला-हयातनगर, जनपद -सम्मल द्वारा उक्त स्थल पर स्थापित/संचालित इकाई/वाणिज्य प्लान्ट का अद्यतन निरीक्षण अधीकरताक्षरकर्ताओं द्वारा दिनांक 31.12.2025 को किया गया (फोटोग्राफ संलग्न)। निरीक्षण के दौरान इकाई स्थल पर इकाई प्रोपराइटर अथवा कोई इकाई प्रतिनिधि उपस्थित नहीं था। निरीक्षण के दौरान इकाई बन्द पायी गयी। कार्यालय ऑगिलेखानुसार उक्त इकाई का पूर्व में प्रथम बार निरीक्षण इस कार्यालय द्वारा दिनांक 28.01.2025 को किया गया था। निरीक्षण के दौरान उक्त इकाई राज्य बोर्ड से बिना स्थापनार्थ सहमति (CTE) प्राप्त किये स्थापित तथा बिना संचालनार्थ सहमति (CTO) प्राप्त किये अवैध रूप से संचालित पायी गयी। उक्त के दृष्टिगत इकाई के विरुद्ध बोर्ड मुख्यालय, लखनऊ के पत्र संख्या- एच 24666/सी-7/विविध-719/2024 दिनांक 25.02.2025 द्वारा जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 33ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस जारी किया गया तथा जिलाधिकारी महोदय, सम्मल के कार्यालय आदेश सं0 487/आ.लि.-आ.जि.सं. दिनांक 17.07.2025 द्वारा नदित संयुक्त जॉच कमेटी द्वारा दिनांक 21.07.2025 को इकाई के निरीक्षण के दौरान उपस्थित इकाई प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि इकाई में उत्पादन कार्य बन्द कर दिया गया है। इकाई द्वारा बोर्ड मुख्यालय, लखनऊ द्वारा जारी कारण बताओ नोटिस के संबंध में कोई प्रतिउत्तर नहीं दिये जाने के दृष्टिगत उक्त इकाई के विरुद्ध बोर्ड मुख्यालय, लखनऊ के पत्र सं0 एच 31039/सी-7/विविध-719/2025 दिनांक 04.08.2025 द्वारा जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 33ए के अन्तर्गत बंदी आदेश जारी किया गया है, जो वर्तमान में प्रभावी है। उक्त इकाई वर्तमान में संचालित नहीं है।

उपरोक्तानुसार उक्त इकाई के अवैध संचालन की अवधि दिनांक 28.01.2025 से दिनांक 21.07.2025 तक कुल 175 दिन को डिफाल्टर दिवस मानते हुये केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली के पत्र दिनांक 08.02.2019 द्वारा पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति का आंकलन करते हुये जारी मार्गदर्शिका के अनुसार उक्त इकाई मो0 इशियाक पुत्र मो0 मुस्ताक बहजोई रोड, मोहल्ला-हयातनगर, जनपद -सम्मल के विरुद्ध नियमानुसार पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की गणना की जाती है-

$$\text{Penalty/E.C.in (RS.)} = \text{PI} \times \text{N} \times \text{RS} \times \text{LF}$$

Where

PI = Pollution Index of industrial section (Since the Category Red) = 80

N = Number of days of violation took place = 175

R = A factor in rupees for penalty = 250

S = Factor for scale of opration (small) = 0.5

LF = Location Factor (Based on population) = 1.0

Penalty/EC = 80 x 175 x 250 x 0.5 x 1.0

= 1750000.00 only

अतः उपरोक्तानुसार मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा उक्त प्रकरण में दिनांक 06.11.2025 को पारित आदेश के अनुपालन में उक्त इकाई मो0 इशियाक पुत्र मो0 मुस्ताक बहजोई रोड, मोहल्ला-हयातनगर, जनपद -सम्मल के विरुद्ध रु0 17,50,000.00 (सत्रह लाख पचास हजार रुपये मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की गणना की गयी है। आख्या आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

Anil Kumar

(अनिल कुमार)

वैज्ञानिक सहायक

Suman

(संतोष कुमार)

सहायक पर्यावरण अभियन्ता

क्षेत्रीय अधिकारी महोदय

Suman

07.01.26

क्षेत्रीय कार्यालय

उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

1-ए/आई.एन.एस.-1, आवास विकास कालोनी, बौद्ध विहार,
दिल्ली रोड, मुरावाबाद

दिनांक 07/01/2026

पत्र संख्या: 46/11-13/130/25/जनरल

सेवा में,

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-7),
उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
लखनऊ।


विषय- माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित O.A. No. -130/2025 (I.A. No. -224/2025) वरुण गुलाटी बनाम स्टेट आफ उत्तर प्रदेश व अन्य में पारित आदेश दिनांक 06.11.2025 के अनुपालन में मेसर्स ब्लैक तुर्की वाशिंग प्लान्ट, बहजोई रोड, मोहल्ला-हयातनगर, तहसील व जनपद -सम्भल के विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की गणना किये जाने के संबंध में।

सहोदय,


कृपया उपरोक्त विषयक का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। तत्कम में अवगत कराना है कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित O.A. No. -130/2025 (I.A. No. -224/2025) वरुण गुलाटी बनाम स्टेट आफ उत्तर प्रदेश व अन्य में पारित आदेश दिनांक 06.11.2025 के अनुपालन में मेसर्स ब्लैक तुर्की वाशिंग प्लान्ट, बहजोई रोड, मोहल्ला-हयातनगर, तहसील व जनपद -सम्भल के विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की गणना किये जाने के संबंध में उक्त स्थल मेसर्स ब्लैक तुर्की वाशिंग प्लान्ट, बहजोई रोड, मोहल्ला-हयातनगर, तहसील व जनपद -सम्भल का अद्यतन निरीक्षण इस कार्यालय द्वारा दिनांक 31.12.2025 को किया गया। मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा उक्त प्रकरण में दिनांक 06.11.2025 को पारित आदेश के अनुपालन में उक्त इकाई मेसर्स ब्लैक तुर्की वाशिंग प्लान्ट, बहजोई रोड, मोहल्ला-हयातनगर, तहसील व जनपद -सम्भल के विरुद्ध रु० 17,50,000.00 (सत्रह लाख पचास हजार रुपये मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की गणना की गयी है। आख्या आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

भवदीय

संलग्नक: यथोपरि।


07/01/25

(देव कुमार गुप्ता)
क्षेत्रीय अधिकारी



माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में गोजित O.A. No. -130/2025 (I.A. No. -224/2025) वरुण गुलादी कानून स्टेट आफ उत्तर प्रदेश व अन्य में पारित आदेश दिनांक 06.11.2025 को अनुपालन में गोरारा ब्लैक तुर्की वाशिंग प्लान्ट, बहजोई रोड, मोहल्ला-हयातनगर, तहसील व जनपद -सम्मल के विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की गणना किये जाने के संबंध में आख्या-

उपरोक्त विषयक मेसर्स ब्लैक तुर्की वाशिंग प्लान्ट, बहजोई रोड, मोहल्ला-हयातनगर, तहसील व जनपद -सम्मल द्वारा उक्त स्थल पर स्थापित/संचालित इकाई/वाशिंग प्लान्ट का अद्यतन निरीक्षण अधोहरताक्षरकर्ताओं द्वारा दिनांक 31.12.2025 को किया गया (फोटोग्राफ संलग्न)। निरीक्षण के दौरान इकाई स्थल पर इकाई प्रोपराइटर अथवा कोई इकाई प्रतिनिधि उपस्थित नहीं था। निरीक्षण के दौरान इकाई बन्द पायी गयी। कार्यालय अभिलेखानुसार उक्त इकाई का पूर्व में प्रथम बार निरीक्षण इस कार्यालय द्वारा दिनांक 28.01.2025 को किया गया था। निरीक्षण के दौरान उक्त इकाई राज्य बोर्ड से बिना स्थापनार्थ सहमति (CTE) प्राप्त किये स्थापित तथा बिना संचालनार्थ सहमति (CTO) प्राप्त किये अवैध रूप से संचालित पायी गयी। उक्त के दृष्टिगत इकाई के विरुद्ध बोर्ड मुख्यालय, लखनऊ के पत्र संख्या- एच 24667/सी-7/विधि-718/2024 दिनांक 25.02.2025 द्वारा जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 33ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस जारी किया गया तथा जिलाधिकारी महोदय, सम्मल के कार्यालय आदेश सं 487/आ.लि.-आ.जि.सं. दिनांक 17.07.2025 द्वारा गठित संयुक्त जांच कमेटी द्वारा दिनांक 21.07.2025 को इकाई के निरीक्षण के दौरान उपस्थित इकाई प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि इकाई में उत्पादन कार्य बन्द कर दिया गया है। इकाई द्वारा बोर्ड मुख्यालय, लखनऊ द्वारा जारी कारण बताओ नोटिस के संबंध में कोई प्रतिउत्तर नहीं दिये जाने के दृष्टिगत उक्त इकाई के विरुद्ध बोर्ड मुख्यालय, लखनऊ के पत्र सं 31041/सी-7/विधि-718/2025 दिनांक 04.08.2025 द्वारा जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 33ए के अन्तर्गत बंदी आदेश जारी किया गया है, जो वर्तमान में प्रभावी है। उक्त इकाई वर्तमान में संचालित नहीं है।

उपरोक्तानुसार उक्त इकाई के अवैध संचालन की अवधि दिनांक 28.01.2025 से दिनांक 21.07.2025 तक कुल 175 दिन को डिफाल्टर दिवस मानते हुये केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड दिल्ली के पत्र दिनांक 08.02.2019 द्वारा पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति का आंकलन करते हुये जारी मार्गदर्शिका के अनुसार उक्त इकाई मेसर्स ब्लैक तुर्की वाशिंग प्लान्ट, बहजोई रोड, मोहल्ला-हयातनगर, तहसील व जनपद -सम्मल के विरुद्ध नियमानुसार पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की गणना की जाती है-

$$\text{Penalty/E.C. in (RS.)} = \text{PI} \times \text{N} \times \text{RS} \times \text{LF}$$

Where

PI = Pollution Index of industrial section. (Since the Category Red) = 80

N = Number of days of violation took place = 175

R = A factor in rupees for penalty = 250

S = Factor for scale of operation (small) = 0.5

LF = Location Factor (Based on population) = 1.0

$$\text{Penalty/EC} = 80 \times 175 \times 250 \times 0.5 \times 1.0$$

$$= 1750000.00 \text{ only}$$

अतः उपरोक्तानुसार मा 10 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा उक्त प्रकरण में दिनांक 06.11.2025 को पारित आदेश के अनुपालन में उक्त इकाई मेसर्स ब्लैक तुर्की वाशिंग प्लान्ट, बहजोई रोड, मोहल्ला-हयातनगर, तहसील व जनपद -सम्मल के विरुद्ध रु 17,50,000.00 (सत्रह लाख पचास हजार रुपये मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की गणना की गयी है। आख्या आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

क्षेत्रीय अधिकारी महोदय

[Signature]
07.01.26

[Signature]
07.01.26

(अनिल कुमार)
वैज्ञानिक सहायक

[Signature]
07.01.26
(संतोष कुमार)

सहायक पर्यावरण अभियन्ता



क्षेत्रीय कार्यालय
उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
1-ए/आर्.एन.एस.-1, आवास विकास कालोनी, बौद्ध विहार,
दिल्ली रोड, गुरादाबाद

ई-मेल : romoradabad@uppcb.in, दूरभाष : 0591-2872012

पत्र संख्या : 319/11/23/130/25/नगर

दिनांक : 16/04/2026

सेवा में,

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-7),
उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
लखनऊ।


विषय : माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित O.A. No. -130/2025 (I.A. No. -224/2025) वरुण गुलाटी बनाम स्टेट आफ उत्तर प्रदेश व अन्य में पारित आदेश दिनांक 28.01.2026 के अनुपालन में मो० जमिरुल हक पुत्र शेख जैनुल एवं मो० शादिक अनवर पुत्र मो० अमीरुल हक, मौहल्ला नाला, थाना सम्मल, तहसील व जनपद सम्मल के विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की गणना किये जाने के संबंध में।


महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। तत्कम में अवगत कराना है कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित O.A. No. -130/2025 (I.A. No. -224/2025) वरुण गुलाटी बनाम स्टेट आफ उत्तर प्रदेश व अन्य में पारित आदेश दिनांक 28.01.2026 के अनुपालन में जीन्स वांशिंग प्लान्ट/इकाई मो० जमिरुल हक पुत्र शेख जैनुल एवं मो० शादिक अनवर पुत्र मो० अमीरुल हक, मौहल्ला नाला, थाना सम्मल, तहसील व जनपद सम्मल के विरुद्ध रु० 59,30,000.00 (उनसठ लाख तीस हजार रुपये मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की गणना की गयी है। आख्या संलग्नकर आपके अवलाकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्नक : उपरोक्तानुसार।

भवदीय


16/4/26
(देव कुमार गुप्ता)
क्षेत्रीय अधिकारी



माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित O.A. No. -130/2025 (I.A. No. -224/2025) वरुण गुलाटी बनाम स्टेट आफ उत्तर प्रदेश व अन्य में पारित आदेश दिनांक 20.01.2020 के अनुपालन में मो० जमिरुल हक पुत्र शेख जैनुल एवं मो० शादिक अनवर पुत्र मो० अमीरुल हक, मौहल्ला नाला, थाना सम्मल, तहसील व जनपद सम्मल के विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की गणना किये जाने के संबंध में आख्या-

उपरोक्त विषयक के संबंध में अवगत कराना है कि उक्त इकाई की स्थापना/संचालन वर्ष/दिनांक के संबंध में कोई सूचना कार्यालय अभिलेखों में उपलब्ध नहीं है। उक्त इकाई के अवैध संचालन के संदर्भ में उत्त्लेधनकारी दिवसों की गणना हेतु कार्यालय में उपलब्ध पत्रावली के परिशीलनोपरान्त संज्ञान में आया कि शिकायतकर्ता/शिकायतकर्ता श्री वरुण गुलाटी, निवासी ए-86, फर्स्ट फ्लोर, गणेश नगर, तिलक नगर, नई दिल्ली द्वारा आई०जी०आर०एस० पोर्टल पर संदर्भ दिनांक 15.12.2023 के माध्यम से जनपद सम्मल में अवैध रूप में संचालित जीन्स वाशिंग इकाईयों के विरुद्ध पूर्व में शिकायत की गयी थी।

अग्रेतर अवगत कराना है कि कार्यालय अभिलेखानुसार जिलाधिकारी महोदय, सम्मल के कार्यालय आदेश संख्या- 487/आ०लि०-आ०जि०सं० दिनांक 17.07.2025 द्वारा गठित संयुक्त जांच समिति द्वारा दिनांक 29.07.2025 को इकाई के औचक निरीक्षण के दौरान शिकायत की पुष्टि की गयी तथा इकाई के विद्युत कनेक्शन को विच्छेदित कराये जाने का कार्य किया गया था।

उपरोक्तानुसार उक्त इकाई की स्थापना/संचालन के संबंध में कोई सूचना कार्यालय अभिलेखों में उपलब्ध न होने के कारण शिकायतकर्ता द्वारा प्रेषित उक्त शिकायत दिनांक 15.12.2023 को इकाई की स्थापना/संचालन का आधार मानकर उक्त इकाई के अवैध संचालन की अवधि दिनांक 15.12.2023 से दिनांक 29.07.2025 (विद्युत विच्छेदन की तिथि तक) तक कुल 593 दिन को डिफाल्टर दिवस मानते हुये केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली के पत्र दिनांक 08.02.2019 द्वारा पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति का आंकलन करते हुये जारी मार्गदर्शिका के अनुसार उक्त इकाई मो० जमिरुल हक पुत्र शेख जैनुल एवं मो० शादिक अनवर पुत्र मो० अमीरुल हक, मौहल्ला नाला, थाना सम्मल, तहसील व जनपद सम्मल के विरुद्ध नियमानुसार पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की गणना की जाती है-

$$\text{Penalty/E.C. in (Rs.)} = \text{PI} \times \text{N} \times \text{R} \times \text{S} \times \text{LF}$$

Where

PI = Pollution Index of industrial section (Since the Category Red)= 80

N = Number of days of violation took place= 593

R = A factor in rupees for penalty= 250

S = Factor for scale of opration (small)= 0.5

LF = Location Factor (Based on population)= 1.0

Penalty/EC = 80 x 593 x 250 x 0.5 x 1.0

= 59,30,000.00 only

अतः उपरोक्तानुसार मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा उक्त प्रकरण में दिनांक 28.01.2026 को पारित आदेश के अनुपालन में उक्त इकाई मो० जमिरुल हक पुत्र शेख जैनुल एवं मो० शादिक अनवर पुत्र मो० अमीरुल हक, मौहल्ला नाला, थाना सम्मल, तहसील व जनपद सम्मल के विरुद्ध रु० 59,30,000.00 (उनसठ लाख तीस हजार रुपये मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की गणना की गयी है। आख्या आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

क्षेत्रीय अधिकारी महोदय

[Signature]
16/11/26

[Signature]
16-4-26
(अनिल कुमार)
वैज्ञानिक सहायक

[Signature]
16/04/26
(संतोष कुमार)
सहायक पर्यावरण अभियन्ता

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-7), महोदय



क्षेत्रीय कार्यालय
उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
1-ए/आई.एन.एस.-1, आवास विकास कालोनी, नौद विहार,
दिल्ली रोड, गुरादाबाद

ई-मेल : romoradabad@uppcb.in, दूरभाष : 0591-2972012

पत्र संख्या : 820 / 11-13 / 132 / 25 / जन 2024

दिनांक / 6 / 04 / 2028

सेवा में,

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-7),
उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
लखनऊ।

विषय : माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित O.A. No. -130/2025 (I.A. No. -224/2025) वरुण गुलाटी बनाम स्टेट आफ उत्तर प्रदेश व अन्य में पारित आदेश दिनांक 28.01.2026 के अनुपालन में श्री राजेश कुमार पुत्र श्री बालकराम एवं श्री फखरे आलम, मौहल्ला नाला, थाना सम्मल, तहसील व जनपद सम्मल के विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की गणना किये जाने के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। तत्कम में अवगत कराना है कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित O.A. No. -130/2025 (I.A. No. -224/2025) वरुण गुलाटी बनाम स्टेट आफ उत्तर प्रदेश व अन्य में पारित आदेश दिनांक 28.01.2026 के अनुपालन में जीन्स वांशिंग प्लान्ट/इकाई श्री राजेश कुमार पुत्र श्री बालकराम एवं श्री फखरे आलम, मौहल्ला नाला, थाना सम्मल, तहसील व जनपद सम्मल के विरुद्ध रु० 59,30,000.00 (उनसठ लाख तीस हजार रुपये मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की गणना की गयी है। आख्या संलग्नकर आपके अवलाकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्नक : उपरोक्तानुसार।

भवदीय

Kumar
16/4/28

(देव कुमार गुप्ता)
क्षेत्रीय अधिकारी

Devi

माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में गीजिता O.A. No. -110/2026 (I.A. No. -224/2025) वरुण गुलाटी बनाम स्टेट आफ उत्तर प्रदेश व अन्य में पारित आदेश दिनांक 20.01.2020 के अनुपालन में श्री राजेश कुमार पुत्र श्री बालकराम एवं श्री फखरे आलम, मौहल्ला नाला, थाना सम्मल, तहसील व जनपद सम्मल के विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की गणना गिने जाने के संबंध में आख्या-

उपरोक्त विषयक के संबंध में अवगत कराना है कि उक्त इकाई की स्थापना/संचालन वर्ष/दिनांक के संबंध में कोई सूचना कार्यालय अभिलेखों में उपलब्ध नहीं है। उक्त इकाई के अवैध संचालन के संदर्भ में उत्तमनकरी दिवसों की गणना हेतु कार्यालय में उपलब्ध पत्रावली के परिशीलनोपरान्त संज्ञान में आया कि याचिकाकर्ता/शिकायतकर्ता श्री वरुण गुलाटी, निवासी ए-66, फर्स्ट फ्लोर, गणेश नगर, तिलक नगर, नई दिल्ली द्वारा आई0जी0आर0एस0 पोर्टल पर संदर्भ दिनांक 15.12.2023 के माध्यम से जनपद सम्मल में अवैध रूप में संचालित जीन्स वॉशिंग इकाईयों के विरुद्ध पूर्व में शिकायत की गयी थी।

अग्रेतर अवगत कराना है कि कार्यालय अभिलेखानुसार जिलाधिकारी महोदय, सम्मल के कार्यालय आदेश संख्या- 487/आ0लि0-आ0जि0सं0 दिनांक 17.07.2025 द्वारा गठित संयुक्त जांच समिति द्वारा दिनांक 29.07.2025 को इकाई के औचक निरीक्षण के दौरान शिकायत की पुष्टि की गयी तथा इकाई के विद्युत कनेक्शन को विच्छेदित कराये जाने का कार्य किया गया था।

उपरोक्तानुसार उक्त इकाई की स्थापना/संचालन के संबंध में कोई सूचना कार्यालय अभिलेखों में उपलब्ध न होने के कारण शिकायतकर्ता द्वारा प्रेषित उक्त शिकायत दिनांक 15.12.2023 को इकाई की स्थापना/संचालन का आधार मानकर उक्त इकाई के अवैध संचालन की अवधि दिनांक 15.12.2023 से दिनांक 29.07.2025 (विद्युत विच्छेदन की तिथि तक) तक कुल 593 दिन को डिफाल्टर दिवस मानते हुये केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली के पत्र दिनांक 08.02.2019 द्वारा पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति का आंकलन करते हुये जारी मार्गदर्शिका के अनुसार उक्त इकाई श्री राजेश कुमार पुत्र श्री बालकराम एवं श्री फखरे आलम, मौहल्ला नाला, थाना सम्मल, तहसील व जनपद सम्मल के विरुद्ध नियमानुसार पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की गणना की जाती है-

$$\text{Penalty/E.C. in (Rs.)} = \text{PI} \times \text{N} \times \text{R} \times \text{S} \times \text{LF}$$

Where

PI = Pollution Index of industrial section (Since the Category Red)= 80

N = Number of days of violation took place= 593

R = A factor in rupees for penalty= 250

S = Factor for scale of operation (small)= 0.5

LF = Location Factor (Based on population)= 1.0

Penalty/EC = 80 x 593 x 250 x 0.5 x 1.0

= 59,30,000.00 only

अतः उपरोक्तानुसार मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा उक्त प्रकरण में दिनांक 28.01.2026 को पारित आदेश के अनुपालन में उक्त इकाई श्री राजेश कुमार पुत्र श्री बालकराम एवं श्री फखरे आलम, मौहल्ला नाला, थाना सम्मल, तहसील व जनपद सम्मल के विरुद्ध रु0 59,30,000.00 (उनसठ लाख तीस हजार रुपये मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की गणना की गयी है। आख्या आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

क्षेत्रीय अधिकारी महोदय

[Signature]
16/04/26

[Signature]
16/04/26
(अनिल कुमार)
वैज्ञानिक सहायक

[Signature]
16/04/26
(संतोष कुमार)
सहायक पर्यावरण अभियन्ता

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-7), महोदय



क्षेत्रीय कार्यालय
उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
1-ए/आई.एन.एस.-1, आवास विकास कालोनी, बौद्ध विहार,
दिल्ली रोड, गुरादाबाद

ई-मेल : romoradabad@uppcb.in, दूरभाष : 0591-2972012

पत्र संख्या : 821/11/13/130/25/जनरल

दिनांक : 16/04/2026

सेवा में,

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-7),
उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
लखनऊ।

विषय : माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित O.A. No. -130/2025 (I.A. No. -224/2025) वरुण गुलाटी बनाम स्टेट आफ उत्तर प्रदेश व अन्य में पारित आदेश दिनांक 28.01.2026 के अनुपालन में श्री मेहरबान एवं श्री नारायण पुत्रगण श्री सुख सिंह, मौहल्ला नाला, थाना सम्मल, तहसील व जनपद सम्मल के विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की गणना किये जाने के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। तत्कम में अवगत कराना है कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित O.A. No. -130/2025 (I.A. No. -224/2025) वरुण गुलाटी बनाम स्टेट आफ उत्तर प्रदेश व अन्य में पारित आदेश दिनांक 28.01.2026 के अनुपालन में जीन्स वांशिंग प्लान्ट/इकाई श्री मेहरबान एवं श्री नारायण पुत्रगण श्री सुख सिंह, मौहल्ला नाला, थाना सम्मल, तहसील व जनपद सम्मल के विरुद्ध रु० 59,30,000.00 (उनसठ लाख तीस हजार रुपये मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की गणना की गयी है। आख्या संलग्नकर आपके अवलाकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

भवदीय

(Signature)
16/4/26

(देव कुमार गुप्ता)
क्षेत्रीय अधिकारी

संलग्नक : उपरोक्तानुसार।

माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित O.A. No. 130/2025 (I.A. No. 224/2025) वरुण गुलाटी बनाम स्टेट आफ उत्तर प्रदेश व अन्य में पारित आदेश दिनांक 28.01.2020 के अनुपालन में श्री मेहरबान एवं श्री नारायण पुत्रगण श्री सुख सिंह, मौहल्ला नाला, थाना सम्मल, तहसील व जनपद सम्मल के विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की गणना किये जाने के संबंध में आख्या-

उपरोक्त विषयक के संबंध में अवगत कराना है कि उक्त इकाई की स्थापना/संचालन वर्ष/दिनांक के संबंध में कोई सूचना कार्यालय अभिलेखों में उपलब्ध नहीं है। उक्त इकाई के अवैध संचालन के संदर्भ में उत्त्नोपकारी दिवसों की गणना हेतु कार्यालय में उपलब्ध पत्रावली के परिशीलनोपरान्त संज्ञान में आया कि चाचिवकर्ता/शिकायतकर्ता श्री वरुण गुलाटी, निवासी ए-66, फर्स्ट फ्लोर, गणेश नगर, तिलक नगर, नई दिल्ली द्वारा आई0जी0आर0एस0 पोर्टल पर संदर्भ दिनांक 15.12.2023 के माध्यम से जनपद सम्मल में अवैध रूप में संचालित जीन्स वाशिंग इकाईयों के विरुद्ध पूर्व में शिकायत की गयी थी।

अग्रेतर अवगत कराना है कि कार्यालय अभिलेखानुसार जिलाधिकारी महोदय, सम्मल के कार्यालय आदेश संख्या- 487/आ0लि0-आ0जि0सं0 दिनांक 17.07.2025 द्वारा गठित संयुक्त जांच समिति द्वारा दिनांक 29.07.2025 को इकाई के औचक निरीक्षण के दौरान शिकायत की पुष्टि की गयी तथा इकाई के विद्युत कनेक्शन को विच्छेदित कराये जाने का कार्य किया गया था।

उपरोक्तानुसार उक्त इकाई की स्थापना/संचालन के संबंध में कोई सूचना कार्यालय अभिलेखों में उपलब्ध न होने के कारण शिकायतकर्ता द्वारा प्रेषित उक्त शिकायत दिनांक 15.12.2023 को इकाई की स्थापना/संचालन का आधार मानकर उक्त इकाई के अवैध संचालन की अवधि दिनांक 15.12.2023 से दिनांक 29.07.2025 (विद्युत विच्छेदन की तिथि तक) तक कुल 593 दिन को डिफाल्टर दिवस मानते हुये केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली के पत्र दिनांक 08.02.2019 द्वारा पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति का आंकलन करते हुये जारी मार्गदर्शिका के अनुसार उक्त इकाई श्री मेहरबान एवं श्री नारायण पुत्रगण श्री सुख सिंह, मौहल्ला नाला, थाना सम्मल, तहसील व जनपद सम्मल के विरुद्ध नियमानुसार पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की गणना की जाती है-

$$\text{Penalty/E.C. in (Rs.)} = \text{PI} \times \text{N} \times \text{R} \times \text{S} \times \text{LF}$$

Where

PI = Pollution Index of industrial section (Since the Category Red)= 80

N = Number of days of violation took place= 593

R = A factor in rupees for penalty= 250

S = Factor for scale of opration (small)= 0.5

LF = Location Factor (Based on population)= 1.0

$$\text{Penalty/EC} = 80 \times 593 \times 250 \times 0.5 \times 1.0$$

$$= 59,30,000.00 \text{ only}$$

अतः उपरोक्तानुसार मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा उक्त प्रकरण में दिनांक 28.01.2026 को पारित आदेश के अनुपालन में उक्त इकाई श्री मेहरबान एवं श्री नारायण पुत्रगण श्री सुख सिंह, मौहल्ला नाला, थाना सम्मल, तहसील व जनपद सम्मल के विरुद्ध रु0 59,30,000.00 (उनसठ लाख तीस हजार रुपये मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की गणना की गयी है। आख्या आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

Anil Kumar

(अनिल कुमार)
वैज्ञानिक सहायक

Sunam

(संतोष कुमार)
सहायक पर्यावरण अभियन्ता

क्षेत्रीय अधिकारी महोदय

Sunam
16/04/26

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-7), महोदय



क्षेत्रीय कार्यालय
उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
1-ए/आर्.एन.एरा.-1, आसारा धिकारा कालोनी, चौद विहार,
दिल्ली रोड, गुरादाबाद
ई-मेल : romoradabad@uppcb.in, दूरभाष : 0591-2972012

पत्र संख्या : 822 / 16/04/2026

दिनांक : 16/04/2026

सेवा में,

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-7),
उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
लखनऊ।


विषय : माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित O.A. No. -130/2025 (I.A. No. -224/2025) वरुण गुलाटी बनाम स्टेट आफ उत्तर प्रदेश व अन्य में पारित आदेश दिनांक 28.01.2026 के अनुपालन में श्री छविराम यादव पुत्र श्री कन्हई, मौहल्ला नाला, थाना सम्मल, तहसील व जनपद सम्मल के विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की गणना किये जाने के संबंध में।

महोदय,


कृपया उपरोक्त विषयक का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। तत्कम में अवगत कराना है कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित O.A. No. -130/2025 (I.A. No. -224/2025) वरुण गुलाटी बनाम स्टेट आफ उत्तर प्रदेश व अन्य में पारित आदेश दिनांक 28.01.2026 के अनुपालन में जीन्स वांशिंग प्लान्ट/इकाई श्री छविराम यादव पुत्र श्री कन्हई, मौहल्ला नाला, थाना सम्मल, तहसील व जनपद सम्मल के विरुद्ध रु० 59,30,000.00 (उनसठ लाख तीस हजार रुपये मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की गणना की गयी है। आख्या संलग्नकर आपके अवलाकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्नक : उपरोक्तानुसार।

भवदीय



(देव कुमार गुप्ता)
क्षेत्रीय अधिकारी



माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में रोजित O.A. No. 130/2025 (I.A. No. 224/2025) वरुण गुलाटी बनाम स्टेट आफ उत्तर प्रदेश व अन्य में पारित आदेश दिनांक 28.01.2020 के अनुपालन में श्री छविराम यादव पुत्र श्री कन्हई, मौहल्ला नाला, थाना सम्मल, तहसील व जनपद सम्मल के विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की गणना किये जाने के संबंध में आख्या-

उपरोक्त विषयक के संबंध में अवगत कराना है कि उक्त इकाई की स्थापना/संचालन वर्ष/दिनांक के संबंध में कोई सूचना कार्यालय अभिलेखों में उपलब्ध नहीं है। उक्त इकाई के अवैध संचालन के संदर्भ में उत्सोमगकारी दिवसों की गणना हेतु कार्यालय में उपलब्ध पत्रावली के परिशीलनोपरान्त संज्ञान में आया कि शिकायतकर्ता/शिकायतकर्ता श्री वरुण गुलाटी, निवासी ए-66, फर्स्ट फ्लोर, गणेश नगर, तिलक नगर, नई दिल्ली द्वारा आई0जी0आर0एस0 पोर्टल पर संदर्भ दिनांक 15.12.2023 के माध्यम से जनपद सम्मल में अवैध रूप में संचालित जीन्स वाशिंग इकाईयों के विरुद्ध पूर्व में शिकायत की गयी थी।

अग्रेतर अवगत कराना है कि कार्यालय अभिलेखानुसार जिलाधिकारी महोदय, सम्मल के कार्यालय आदेश संख्या- 487/आ0लि0-आ0जि0सं0 दिनांक 17.07.2025 द्वारा गठित संयुक्त जांच समिति द्वारा दिनांक 29.07.2025 को इकाई के औचक निरीक्षण के दौरान शिकायत की पुष्टि की गयी तथा इकाई के विद्युत कनेक्शन को विच्छेदित कराये जाने का कार्य किया गया था।

उपरोक्तानुसार उक्त इकाई की स्थापना/संचालन के संबंध में कोई सूचना कार्यालय अभिलेखों में उपलब्ध न होने के कारण शिकायतकर्ता द्वारा प्रेषित उक्त शिकायत दिनांक 15.12.2023 को इकाई की स्थापना/संचालन का आधार मानकर उक्त इकाई के अवैध संचालन की अवधि दिनांक 15.12.2023 से दिनांक 29.07.2025 (विद्युत विच्छेदन की तिथि तक) तक कुल 593 दिन को डिफाल्टर दिवस मानते हुये केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली के पत्र दिनांक 08.02.2019 द्वारा पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति का आंकलन करते हुये जारी मार्गदर्शिका के अनुसार उक्त इकाई श्री छविराम यादव पुत्र श्री कन्हई, मौहल्ला नाला, थाना सम्मल, तहसील व जनपद सम्मल के विरुद्ध नियमानुसार पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की गणना की जाती है-

$$\text{Penalty/E.C. in (Rs.)} = \text{PI} \times \text{N} \times \text{R} \times \text{S} \times \text{LF}$$

Where

PI = Pollution Index of industrial section (Since the Category Red)= 80

N = Number of days of violation took place= 593

R = A factor in rupees for penalty= 250

S = Factor for scale of operation (small)= 0.5

LF = Location Factor (Based on population)= 1.0

$$\text{Penalty/EC} = 80 \times 593 \times 250 \times 0.5 \times 1.0$$

$$= 59,30,000.00 \text{ only}$$

अतः उपरोक्तानुसार मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा उक्त प्रकरण में दिनांक 28.01.2026 को पारित आदेश के अनुपालन में उक्त इकाई श्री छविराम यादव पुत्र श्री कन्हई, मौहल्ला नाला, थाना सम्मल, तहसील व जनपद सम्मल के विरुद्ध रु0 59,30,000.00 (उनसठ लाख तीस हजार रुपये मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की गणना की गयी है। आख्या आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

क्षेत्रीय अधिकारी महोदय

Kumar
16/04/26

Anil Kumar
16.4.26
(अनिल कुमार)
वैज्ञानिक सहायक

Suman
16/04/26
(संतोष कुमार)
सहायक पर्यावरण अभियन्ता

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-7), महोदय



क्षेत्रीय कार्यालय
उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
1-ए/आर्.एन.एरा.-1, आवास विकास कालोनी, चौध विहार,
दिल्ली रोड, गुरादाबाद
ई-मेल : romradabad@uppcb.in, दूरभाष : 0591-2972012

पत्र संख्या : ...१२३.../...१२-१३.../...१३.२.../२५/जनरल

दिनांक 16/04/2026

सेवा में,

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-7),
उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
लखनऊ।

विषय : माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित O.A. No. -130/2025 (I.A. No. -224/2025) वरुण गुलाटी बनाम स्टेट आफ उत्तर प्रदेश व अन्य में पारित आदेश दिनांक 28.01.2026 के अनुपालन में श्री मुख्त्यार पुत्र श्री बन्ने, मौहल्ला नाला, थाना सम्मल, तहसील व जनपद सम्मल के विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की गणना किये जाने के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। तत्कम में अवगत कराना है कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित O.A. No. -130/2025 (I.A. No. -224/2025) वरुण गुलाटी बनाम स्टेट आफ उत्तर प्रदेश व अन्य में पारित आदेश दिनांक 28.01.2026 के अनुपालन में जीन्स वांशिग प्लान्ट/इकाई श्री मुख्त्यार पुत्र श्री बन्ने, मौहल्ला नाला, थाना सम्मल, तहसील व जनपद सम्मल के विरुद्ध रु0 59,30,000.00 (उनसठ लाख तीस हजार रुपये मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की गणना की गयी है। आख्या संलग्नकर आपके अवलाकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्नक : उपरोक्तानुसार।

भवदीय

Dev Kumar Gupta
16/4/26

(देव कुमार गुप्ता)
क्षेत्रीय अधिकारी

Dev Kumar Gupta
- sfn

माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित O.A. No. -130/2025 (J.A. No. -224/2025) वरुण गुलाटी बनाम स्टेट आफ उत्तर प्रदेश व अन्य में पारित आदेश दिनांक 28.01.2026 के अनुपालन में श्री मुख्त्यार पुत्र श्री बन्ने, मौहल्ला नाला, थाना सम्मल, तहसील व जनपद सम्मल के विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की गणना किये जाने के संबंध में आख्या-

उपरोक्त विषयक के संबंध में अवगत कराना है कि उक्त इकाई की स्थापना/संचालन वर्ष/दिनांक के संबंध में कोई सूचना कार्यालय अभिलेखों में उपलब्ध नहीं है। उक्त इकाई के अवैध संचालन के संदर्भ में उत्त्प्रेषनकारी दिवसों की गणना हेतु कार्यालय में उपलब्ध पत्रावली के परिशीलनोपरान्त संज्ञान में आया कि चाचिकाकर्ता/शिकायतकर्ता श्री वरुण गुलाटी, निवासी ए-66, फर्स्ट प्लोर, गणेश नगर, तिलक नगर, नई दिल्ली द्वारा आई0जी0आर0एस0 पोर्टल पर संदर्भ दिनांक 15.12.2023 के माध्यम से जनपद सम्मल में अवैध रूप में संचालित जीन्स वाशिंग इकाईयों के विरुद्ध पूर्व में शिकायत की गयी थी।

अग्रेतर अवगत कराना है कि कार्यालय अभिलेखानुसार जिलाधिकारी महोदय, सम्मल के कार्यालय आदेश संख्या- 487/आ0लि0-आ0जि0सं0 दिनांक 17.07.2025 द्वारा गठित संयुक्त जांच समिति द्वारा दिनांक 29.07.2025 को इकाई के औचक निरीक्षण के दौरान शिकायत की पुष्टि की गयी तथा इकाई के विद्युत कनेक्शन को विच्छेदित कराये जाने का कार्य किया गया था।

उपरोक्तानुसार उक्त इकाई की स्थापना/संचालन के संबंध में कोई सूचना कार्यालय अभिलेखों में उपलब्ध न होने के कारण शिकायतकर्ता द्वारा प्रेषित उक्त शिकायत दिनांक 15.12.2023 को इकाई की स्थापना/संचालन का आधार मानकर उक्त इकाई के अवैध संचालन की अवधि दिनांक 15.12.2023 से दिनांक 29.07.2025 (विद्युत विच्छेदन की तिथि तक) तक कुल 593 दिन को डिफाल्टर दिवस मानते हुये केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली के पत्र दिनांक 08.02.2019 द्वारा पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति का आंकलन करते हुये जारी मार्गदर्शिका के अनुसार उक्त इकाई श्री मुख्त्यार पुत्र श्री बन्ने, मौहल्ला नाला, थाना सम्मल, तहसील व जनपद सम्मल के विरुद्ध नियमानुसार पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की गणना की जाती है-

$$\text{Penalty/E.C. in (Rs.)} = \text{PI} \times \text{N} \times \text{R} \times \text{S} \times \text{LF}$$

Where

PI = Pollution Index of industrial section (Since the Category Red)= 80

N = Number of days of violation took place= 593

R = A factor in rupees for penalty= 250

S = Factor for scale of opration (small)= 0.5

LF = Location Factor (Based on population)= 1.0

$$\text{Penalty/EC} = 80 \times 593 \times 250 \times 0.5 \times 1.0$$

$$= 59,30,000.00 \text{ only}$$

अतः उपरोक्तानुसार मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा उक्त प्रकरण में दिनांक 28.01.2026 को पारित आदेश के अनुपालन में उक्त इकाई श्री मुख्त्यार पुत्र श्री बन्ने, मौहल्ला नाला, थाना सम्मल, तहसील व जनपद सम्मल के विरुद्ध रु0 59,30,000.00 (उनसठ लाख तीस हजार रुपये मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की गणना की गयी है। आख्या आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

Anil Kumar

(अनिल कुमार)

वैज्ञानिक सहायक

Sunam

(संतोष कुमार)

सहायक पर्यावरण अभियन्ता

क्षेत्रीय अधिकारी महोदय

Sunam
16/4/26

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-7), महोदय



क्षेत्रीय कार्यालय
उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
1-ए/आई.एन.एरा.-1, आगारा गिकारा कालोनी, बौद्ध विहार,
दिल्ली रोड, गुरावावाव

ई-मेल : romoradabad@uppcb.in, दूरगाप : 0501-2972012

पत्र संख्या : ..१२५ / ..१३३ / ..१३३ / २५ / जग२६

दिनांक : 16/04/2026

सेवा में,

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-7),
उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
लखनऊ।


विषय : माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित O.A. No. -130/2025 (I.A. No. -224/2025) वरुण गुलाटी बनाम स्टेट आफ उत्तर प्रदेश व अन्य में पारित आदेश दिनांक 28.01.2026 के अनुपालन में श्री सालिम पुत्र श्री शब्बीर, चन्दौसी रोड, सम्मल के विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की गणना किये जाने के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। तत्कम में अवगत कराना है कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित O.A. No. -130/2025 (I.A. No. -224/2025) वरुण गुलाटी बनाम स्टेट आफ उत्तर प्रदेश व अन्य में पारित आदेश दिनांक 28.01.2026 के अनुपालन में जीन्स, वांशिग प्लाट/इकाई श्री सालिम पुत्र श्री शब्बीर, चन्दौसी रोड, सम्मल के विरुद्ध रु० 59,30,000.00 (उनसठ लाख तीस हजार रुपये मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की गणना की गयी है। आख्या संलग्नकर आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।


संलग्नक : उपरोक्तानुसार।

भवदीय


16/4/26

(देव कुमार गुप्ता)

क्षेत्रीय अधिकारी



माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित O.A. No. -130/2025 (I.A. No. -224/2025) वरुण गुलाटी के स्टेट आफ उत्तर प्रदेश व अन्य में पारित आदेश दिनांक 28.01.2026 के अनुपालन में श्री सालिम पुत्र श्री शब्बीर, चन्दौसी रोड, सम्मल के विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की गणना किये जाने के संबंध में आख्या-

उपरोक्त निधराक के संबंध में अवगत कराना है कि उक्त इकाई की स्थापना/संचालन वर्ष/दिनांक के संबंध में कोई सूचना कार्यालय अभिलेखों में उपलब्ध नहीं है। उक्त इकाई के अवैध संचालन के संदर्भ में उल्लंघनकारी दिवसों की गणना हेतु कार्यालय में उपलब्ध पत्रावली के परिशीलनोपरान्त संज्ञान में आया कि याचिकाकर्ता/शिकायतकर्ता श्री वरुण गुलाटी, भित्तारी ए-66, फस्ट पलोर, गणेश नगर, तिलक नगर, नई दिल्ली द्वारा आई0जी0आर0एस0 पोर्टल पर संदर्भ दिनांक 15.12.2023 के माध्यम से जनपद सम्मल में अवैध रूप में संचालित जीन्स वाशिंग इकाईयों के विरुद्ध पूर्व में शिकायत की गयी थी।

अग्रेतर अवगत कराना है कि कार्यालय अभिलेखानुसार जिलाधिकारी महोदय, सम्मल के कार्यालय आदेश संख्या- 487/आ0लि0-आ0जि0सं0 दिनांक 17.07.2025 द्वारा गठित संयुक्त जांच समिति द्वारा दिनांक 29.07.2025 को इकाई के औचक निरीक्षण के दौरान शिकायत की पुष्टि की गयी तथा इकाई के विद्युत कनेक्शन को विच्छेदित कराये जाने का कार्य किया गया था।

उपरोक्तानुसार उक्त इकाई की स्थापना/संचालन के संबंध में कोई सूचना कार्यालय अभिलेखों में उपलब्ध न होने के कारण शिकायतकर्ता द्वारा प्रेषित उक्त शिकायत दिनांक 15.12.2023 को इकाई की स्थापना/संचालन का आधार मानकर उक्त इकाई के अवैध संचालन की अवधि दिनांक 15.12.2023 से दिनांक 29.07.2025 (विद्युत विच्छेदन की तिथि तक) तक कुल 593 दिन को डिफाल्टर दिवस मानते हुये केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली के पत्र दिनांक 08.02.2019 द्वारा पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति का आंकलन करते हुये जारी मार्गदर्शिका के अनुसार उक्त इकाई श्री सालिम पुत्र श्री शब्बीर, चन्दौसी रोड, सम्मल के विरुद्ध नियमानुसार पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की गणना की जाती है-

$$\text{Penalty/E.C. in (Rs.)} = \text{PI} \times \text{N} \times \text{R} \times \text{S} \times \text{LF}$$

Where

PI = Pollution Index of industrial section (Since the Category Red)= 80

N = Number of days of violation took place= 593

R = A factor in rupees for penalty= 250

S = Factor for scale of opration (small)= 0.5

LF = Location Factor (Based on population)= 1.0

$$\text{Penalty/EC} = 80 \times 593 \times 250 \times 0.5 \times 1.0$$

$$= 59,30,000.00 \text{ only}$$

अतः उपरोक्तानुसार मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा उक्त प्रकरण में दिनांक 28.01.2026 को पारित आदेश के अनुपालन में उक्त इकाई श्री सालिम पुत्र श्री शब्बीर, चन्दौसी रोड, सम्मल के विरुद्ध रु0 59,30,000.00 (उनसठ लाख तीस हजार रुपये मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की गणना की गयी है। आख्या आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

Anil Kumar
(अनिल कुमार)

वैज्ञानिक सहायक

Shivam
(संतोष कुमार)

सहायक पर्यावरण अभियन्ता

क्षेत्रीय अधिकारी महोदय

Kumar
16/1/26

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-7), महोदय



क्षेत्रीय कार्यालय
उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
1-ए/आई.एन.एस.-1, आवास विकास कालोनी, नौद्व विहार,
दिल्ली रोड, गुरादाबाद
ई-मेल : romoradabad@uppcb.in, दूरभाष : 0591-2972012

पत्र संख्या : 826 / N-13 / 130 / 25 / जनरल

दिनांक : 16 / 04 / 2026

सेवा में,

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-7),
उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
लखनऊ।

विषय : माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित O.A. No. -130/2025 (I.A. No. -224/2025) वरुण गुलाटी बनाम स्टेट आफ उत्तर प्रदेश व अन्य में पारित आदेश दिनांक 28.01.2026 के अनुपालन में श्री विलाल, मौहल्ला सरायतरीन, लालकी, तहसील व जनपद सम्मल के विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की गणना किये जाने के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। तत्कम में अवगत कराना है कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित O.A. No. -130/2025 (I.A. No. -224/2025) वरुण गुलाटी बनाम स्टेट आफ उत्तर प्रदेश व अन्य में पारित आदेश दिनांक 28.01.2026 के अनुपालन में जीन्स वाशिंग प्लान्ट/इकाई श्री विलाल, मौहल्ला सरायतरीन, लालकी, तहसील व जनपद सम्मल के विरुद्ध रु० 62,10,000.00 (बासठ लाख दस हजार रुपये मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की गणना की गयी है। आख्या संलग्नकर आपके अवलाकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्नक : उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(देव कुमार गुप्ता)
क्षेत्रीय अधिकारी

माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित O.A. No. -130/2025 (I.A. No. -224/2025) वरुण गुलाटी बनाम स्टेट आफ उत्तर प्रदेश व अन्य में पारित आदेश दिनांक 28.01.2026 के अनुपालन में श्री विलास, मौहल्ला सरायतरीन, तालावी, तहसील व जनपद सम्मल के विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की गणना किये जाने के संबंध में आख्या-

उपरोक्त विषयक के संबंध में अतगत कराना है कि उक्त इकाई की स्थापना/संचालन वर्ष/दिनांक के संबंध में कोई सूचना कार्यालय अभिलेखों में उपलब्ध नहीं है। उक्त इकाई के अवैध संचालन के संदर्भ में उत्संघनकारी दिवसों की गणना हेतु कार्यालय में उपलब्ध पत्रावली के परिशीलनोपरान्त संज्ञान में आया कि याचिकाकर्ता/शिकायतकर्ता श्री वरुण गुलाटी, निवासी ए-66, फर्स्ट फ्लोर, गणेश नगर, तिलक नगर, नई दिल्ली द्वारा आईजीओआरएस0 पोर्टल पर संदर्भ दिनांक 15.12.2023 के माध्यम से जनपद सम्मल में अवैध रूप में संचालित जीन्स वॉशिंग इकाईयों के विरुद्ध पूर्व में शिकायत की गयी थी।

अग्रेतर अवगत कराना है कि कार्यालय अभिलेखानुसार जिलाधिकारी महोदय, सम्मल के कार्यालय आदेश संख्या- 487/आ0लि0-आ0जि0स0 दिनांक 17.07.2025 द्वारा गठित संयुक्त जांच समिति द्वारा दिनांक 26.08.2025 को इकाई के औचक निरीक्षण के दौरान शिकायत की पुष्टि की गयी तथा इकाई के विद्युत कनेक्शन को विच्छेदित कराये जाने का कार्य किया गया था।

उपरोक्तानुसार उक्त इकाई की स्थापना/संचालन के संबंध में कोई सूचना कार्यालय अभिलेखों में उपलब्ध न होने के कारण शिकायतकर्ता द्वारा प्रेषित उक्त शिकायत दिनांक 15.12.2023 को इकाई की स्थापना/संचालन का आधार मानकर उक्त इकाई के अवैध संचालन की अवधि दिनांक 15.12.2023 से दिनांक 26.08.2025 (विद्युत विच्छेदन की तिथि तक) तक कुल 621 दिन को डिफाल्टर दिवस मानते हुये केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली के पत्र दिनांक 08.02.2019 द्वारा पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति का आंकलन करते हुये जारी मार्गदर्शिका के अनुसार उक्त इकाई श्री विलास, मौहल्ला सरायतरीन, लालकी, तहसील व जनपद सम्मल के विरुद्ध नियमानुसार पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की गणना की जाती है-

$$\text{Penalty/E.C. in (Rs.)} = \text{PI} \times \text{N} \times \text{R} \times \text{S} \times \text{LF}$$

Where

PI = Pollution Index of industrial section (Since the Category Red)= 80

N = Number of days of violation took place= 621

R = A factor in rupees for penalty= 250

S = Factor for scale of opration (small)= 0.5

LF = Location-Factor (Based on population)= 1.0

Penalty/EC = 80 x 621 x 250 x 0.5 x 1.0

= 62,10,000.00 only

अतः उपरोक्तानुसार मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा उक्त प्रकरण में दिनांक 28.01.2026 को पारित आदेश के अनुपालन में उक्त इकाई श्री विलास, मौहल्ला सरायतरीन, लालकी, तहसील व जनपद सम्मल के विरुद्ध रु0 62,10,000.00 (बासठ लाख दस हजार रुपये मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की गणना की गयी है। आख्या आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

Anil K. 16/04/26

(अनिल कुमार)
वैज्ञानिक सहायक

Sumon 16/04/2026
(संतोष कुमार)

सहायक पर्यावरण अभियन्ता

क्षेत्रीय अधिकारी महोदय

Sumon
16/4/26

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-7), महोदय



क्षेत्रीय कार्यालय
उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
1-ए/आई.एन.एरा.-1, आवास विकास कालोनी, बौद्ध विहार,
दिल्ली रोड, गुरादाबाद

ई-मेल : romoradabad@uppcb.in, दूरभाष : 0591-2972012

पत्र संख्या : 824 / No.13 / 13.0 / 25 / जन 26 दिनांक : 16 / 04 / 2026

सेवा में,


मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-7),
उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
लखनऊ।

विषय : माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित O.A. No. -130/2025 (I.A. No. -224/2025) वरुण गुलाटी बनाम स्टेट आफ उत्तर प्रदेश व अन्य में पारित आदेश दिनांक 28.01.2026 के अनुपालन में मो० मोनिस पुत्र श्री रियाजुद्दीन, मौहल्ला मण्डी किशनदास सराय, सम्मल निकट वाहरी मस्जिद, तहसील व जनपद सम्मल के विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की गणना किये जाने के संबंध में।


महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। तत्कम में अवगत कराना है कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित O.A. No. -130/2025 (I.A. No. -224/2025) वरुण गुलाटी बनाम स्टेट आफ उत्तर प्रदेश व अन्य में पारित आदेश दिनांक 28.01.2026 के अनुपालन में जीन्स वाशिंग प्लान्ट/इकाई मो० मोनिस पुत्र श्री रियाजुद्दीन, मौहल्ला मण्डी किशनदास सराय, सम्मल निकट वाहरी मस्जिद, तहसील व जनपद सम्मल के विरुद्ध रु० 62,00,000.00 (बासठ लाख रुपये मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की गणना की गयी है। आख्या संलग्नकर आपके अवलाकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

भवदीय


16/4/26
(देव कुमार गुप्ता)
क्षेत्रीय अधिकारी

संलग्नक : उपरोक्तानुसार।



माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में रजिस्ट्रार O.A. No. -110/2025 (I.A. No. -224/2025) वरुण गुलाटी बनाम स्टेट आफ उत्तर प्रदेश व अन्य में पारित आदेश दिनांक 28.01.2020 के अनुपालन में मो० मोनिस पुत्र श्री रियाजुद्दीन, मौहल्ला मण्डी किशनदास सराय, सम्मल निकट वाहरी मस्जिद, तहसील व जनपद सम्मल के विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की गणना शिरो जाने के संबंध में आख्या-

उपरोक्त विषयक के संबंध में अवगत कराना है कि उक्त इकाई की स्थापना/संचालन वर्ष/दिनांक के संबंध में कोई सूचना कार्यालय अभिलेखों में उपलब्ध नहीं है। उक्त इकाई के अवैध संचालन के संदर्भ में उत्सोधनकारी दिवसों की गणना हेतु कार्यालय में उपलब्ध पत्रावली के परिशीलनोपरान्त संज्ञान में आया कि शाचिकाकर्ता/शिकायतकर्ता श्री वरुण गुलाटी, निवासी ए-88, फर्स्ट फ्लोर, गणेश नगर, तिलक नगर, नई दिल्ली द्वारा आई०जी०आर०एस० पोर्टल पर संदर्भ दिनांक 15.12.2023 के माध्यम से जनपद सम्मल में अवैध रूप में संचालित जीन्स वाशिंग इकाईयों के विरुद्ध पूर्व में शिकायत की गयी थी।

अग्रतर अवगत कराना है कि कार्यालय अभिलेखानुसार जिलाधिकारी महोदय, सम्मल के कार्यालय आदेश संख्या- 487/आ०लि०-आ०जि०स० दिनांक 17.07.2025 द्वारा गठित संयुक्त जांच समिति द्वारा दिनांक 25.08.2025 को इकाई के औचक निरीक्षण के दौरान शिकायत की पुष्टि की गयी तथा इकाई के विद्युत कनेक्शन को विच्छेदित कराये जाने का कार्य किया गया था।

उपरोक्तानुसार उक्त इकाई की स्थापना/संचालन के संबंध में कोई सूचना कार्यालय अभिलेखों में उपलब्ध न होने के कारण शिकायतकर्ता द्वारा प्रेषित उक्त शिकायत दिनांक 15.12.2023 को इकाई की स्थापना/संचालन का आधार मानकर उक्त इकाई के अवैध संचालन की अवधि दिनांक 15.12.2023 से दिनांक 25.08.2025 (विद्युत विच्छेदन की तिथि तक) तक कुल 620 दिन को डिफाल्टर दिवस मानते हुये केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली के पत्र दिनांक 08.02.2019 द्वारा पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति का आंकलन करते हुये जारी मार्गदर्शिका के अनुसार उक्त इकाई मो० मोनिस पुत्र श्री रियाजुद्दीन, मौहल्ला मण्डी किशनदास सराय, सम्मल निकट वाहरी मस्जिद, तहसील व जनपद सम्मल के विरुद्ध नियमानुसार पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की गणना की जाती है-

$$\text{Penalty/E.C. in (Rs.)} = \text{PI} \times \text{N} \times \text{R} \times \text{S} \times \text{LF}$$

Where

PI = Pollution Index of industrial section (Since the Category Red)= 80

N = Number of days of violation took place= 620

R = A factor in rupees for penalty= 250

S = Factor for scale of opration (small)= 0.5

LF = Location Factor (Based on population)= 1.0

$$\text{Penalty/EC} = 80 \times 620 \times 250 \times 0.5 \times 1.0$$

$$= 62,00,000.00 \text{ only}$$

अतः उपरोक्तानुसार मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा उक्त प्रकरण में दिनांक 28.01.2026 को पारित आदेश के अनुपालन में उक्त इकाई मो० मोनिस पुत्र श्री रियाजुद्दीन, मौहल्ला मण्डी किशनदास सराय, सम्मल निकट वाहरी मस्जिद, तहसील व जनपद सम्मल के विरुद्ध रु० 62,00,000.00 (बासठ लाख रुपये मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की गणना की गयी है। आख्या आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

क्षेत्रीय अधिकारी महोदय

[Signature]
16/11/26

[Signature]
16/11/26

(अनिल कुमार)
वैज्ञानिक सहायक

[Signature]
16/11/26

(संतोष कुमार)
सहायक पर्यावरण अभियन्ता

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-7), महोदय



क्षेत्रीय कार्यालय
उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
1-ए/आई.एन.एस.-1, आवास विकास कालोनी, बौद्ध विहार,
दिल्ली रोड, गुरादाबाद
ई-मेल : romoradabad@uppcb.in, दूरगाय : 0591-2972012

पत्र संख्या : 828/13/13/25/जनरल

दिनांक : 16/04/2026

सेवा में,

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-7),
उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
लखनऊ।


विषय : माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित O.A. No. -130/2025 (I.A. No. -224/2025) वरुण गुलाटी बनाम स्टेट आफ उत्तर प्रदेश व अन्य में पारित आदेश दिनांक 28.01.2026 के अनुपालन में मैसर्स डी.आर.एस. इन्टरप्राइसेज, ग्राम नाहरठेर, थाना रायसल्ली, तहसील व जनपद सम्मल के विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की गणना किये जाने के संबंध में।


महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। तत्कम में अवगत कराना है कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित O.A. No. -130/2025 (I.A. No. -224/2025) वरुण गुलाटी बनाम स्टेट आफ उत्तर प्रदेश व अन्य में पारित आदेश दिनांक 28.01.2026 के अनुपालन में जीन्स वांशिंग प्लान्ट/इंकाई मैसर्स डी.आर.एस. इन्टरप्राइसेज, ग्राम नाहरठेर, थाना रायसल्ली, तहसील व जनपद सम्मल के विरुद्ध रु० 66,10,000.00 (छाछठ लाख दस हजार रुपये मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की गणना की गयी है। आख्या संलग्नकर आपके अवलाकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्नक : उपरोक्तानुसार।

भवदीय


16/4/26
(देव कुमार गुप्ता)
क्षेत्रीय अधिकारी



माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित O.A. No. 130/2025 (I.A. No. 224/2025) वरुण गुलाटी वनाम स्टेट आफ उत्तर प्रदेश व अन्य में पारित आदेश दिनांक 28.01.2026 के अनुपालन में गैरर्स डी.आर.एस. इन्टरप्राइसेज, ग्राम नाहरटेर, थाना रायसत्ती, तहसील व जनपद सम्मल के विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की गणना किये जाने के संबंध में आख्या-

उपरोक्त विषयक के संबंध में अवगत कराना है कि उक्त इकाई की स्थापना/संचालन वर्ष/दिनांक के संबंध में कोई सूचना कार्यालय अभिलेखों में उपलब्ध नहीं है। उक्त इकाई के अवैध संचालन के संदर्भ में उत्संघनकारी दिवसों की गणना हेतु कार्यालय में उपलब्ध पत्रावली के परिशीलनोपरान्त संज्ञान में आया कि जाचिककर्ता/शिकायतकर्ता श्री वरुण गुलाटी, निवासी ए-68, फर्स्ट फ्लोर, गणेश नगर, तिलक नगर, नई दिल्ली द्वारा आई0जी0आर0एस0 पोर्टल पर संदर्भ दिनांक 15.12.2023 के माध्यम से जनपद सम्मल में अवैध रूप में संचालित जीन्स वाशिंग इकाईयों के विरुद्ध पूर्व में शिकायत की गयी थी।

अग्रेतर अवगत कराना है कि कार्यालय अभिलेखानुसार जिलाधिकारी महोदय, सम्मल के कार्यालय आदेश संख्या- 487/आ0लि0-आ0जि0सं0 दिनांक 17.07.2025 द्वारा गठित संयुक्त जांच समिति द्वारा दिनांक 05.10.2025 को इकाई के औचक निरीक्षण के दौरान शिकायत की पुष्टि की गयी तथा इकाई के विद्युत कनेक्शन को विच्छेदित कराये जाने का कार्य किया गया था।

उपरोक्तानुसार उक्त इकाई की स्थापना/संचालन के संबंध में कोई सूचना कार्यालय अभिलेखों में उपलब्ध न होने के कारण शिकायतकर्ता द्वारा प्रेषित उक्त शिकायत दिनांक 15.12.2023 को इकाई की स्थापना/संचालन का आधार मानकर उक्त इकाई के अवैध संचालन की अवधि दिनांक 15.12.2023 से दिनांक 05.10.2025 (विद्युत विच्छेदन की तिथि तक) तक कुल 661 दिन को डिफाल्टर दिवस मानते हुये केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली के पत्र दिनांक 08.02.2019 द्वारा पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति का आंकलन करते हुये जारी मार्गदर्शिका के अनुसार उक्त इकाई मैसर्स डी.आर.एस. इन्टरप्राइसेज, ग्राम नाहरटेर, थाना रायसत्ती, तहसील व जनपद सम्मल के विरुद्ध नियमानुसार पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की गणना की जाती है-

$$\text{Penalty/E.C. in (Rs.)} = PI \times N \times R \times S \times LF$$

Where

PI = Pollution Index of industrial section (Since the Category Red)= 80

N = Number of days of violation took place= 661

R = A factor in rupees for penalty= 250

S = Factor for scale of operation (small)= 0.5

LF = Location Factor (Based on population)= 1.0

$$\text{Penalty/EC} = 80 \times 661 \times 250 \times 0.5 \times 1.0$$

$$= 66,10,000.00 \text{ only}$$

अतः उपरोक्तानुसार मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा उक्त प्रकरण में दिनांक 28.01.2026 को पारित आदेश के अनुपालन में उक्त इकाई मैसर्स डी.आर.एस. इन्टरप्राइसेज, ग्राम नाहरटेर, थाना रायसत्ती, तहसील व जनपद सम्मल के विरुद्ध रु0 66,10,000.00 (छाछठ लाख दस हजार रुपये मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की गणना की गयी है। आख्या आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

Anil K. 16/04/26

(अनिल कुमार)
वैज्ञानिक सहायक

Suman 16/04/26

(संतोष कुमार)
सहायक पर्यावरण अभियन्ता

क्षेत्रीय अधिकारी महोदय

Suman
16/04/26

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-7), महोदय



क्षेत्रीय कार्यालय
उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
1-ए/आई.एन.एस.-1, आवास विकास कालोनी, चौद्ध विहार,
दिल्ली रोड, मुरादाबाद

ई-मेल : romoradabad@uppcb.in, दूरगाप : 0591-2972012

पत्र संख्या : 829 / N-13 / 130 / 25 / जनरल

दिनांक : 16/04/2026

सेवा में,

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-7),
उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
लखनऊ।

विषय : माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित O.A. No. -130/2025 (I.A. No. -224/2025) वरुण गुलाटी बनाम स्टेट आफ उत्तर प्रदेश व अन्य में पारित आदेश दिनांक 28.01.2026 के अनुपालन में श्री संजय यादव, मौहल्ला महमूद खां सराय, तहसील व जनपद सम्मल के विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की गणना किये जाने के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। तत्कम में अवगत कराना है कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित O.A. No. -130/2025 (I.A. No. -224/2025) वरुण गुलाटी बनाम स्टेट आफ उत्तर प्रदेश व अन्य में पारित आदेश दिनांक 28.01.2026 के अनुपालन में जीन्स वांशिग प्लांट/इकाई श्री संजय यादव, मौहल्ला महमूद खां सराय, तहसील व जनपद सम्मल के विरुद्ध रु० 63,70,000.00 (तिरसठ लाख सत्तर हजार रुपये मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की गणना की गयी है। आख्या संलग्नकर आपके अवलाकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

भवदीय

(Signature)
16/4/26

(देव कुमार गुप्ता)
क्षेत्रीय अधिकारी

संलग्नक : उपरोक्तानुसार।

(Signature)

माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में गीजित O.A. No. 130/2025 (I.A. No. 224/2025) वरुण गुलाटी बनाम स्टेट आफ उत्तर प्रदेश व अन्य में पारित आदेश दिनांक 28.01.2020 के अनुपालन में श्री संजय यादव, मौहल्ला महमूद खां सराय, तहसील व जनपद सम्मल के विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की गणना किये जाने के संबंध में आख्या-

उपरोक्त विषयक के संबंध में अतगत कराना है कि उक्त इकाई की स्थापना/संचालन वर्ष/दिनांक के संबंध में कोई सूचना कार्यालय अभिलेखों में उपलब्ध नहीं है। उक्त इकाई के अवैध संचालन के संदर्भ में उल्लंघनकारी दिवसों की गणना हेतु कार्यालय में उपलब्ध पत्रावली के परिशीलनोपरान्त संज्ञान में आया कि याचिकाकर्ता/शिकायतकर्ता श्री वरुण गुलाटी, निवासी ए-66, फर्स्ट फ्लोर, गणेश नगर, तिलक नगर, नई दिल्ली द्वारा आई0जी0आर0एस0 पोर्टल पर संदर्भ दिनांक 15.12.2023 के माध्यम से जनपद सम्मल में अवैध रूप में संचालित जीन्स वाशिंग इकाईयों के विरुद्ध पूर्व में शिकायत की गयी थी।

अग्रेतर अवगत कराना है कि कार्यालय अभिलेखानुसार जिलाधिकारी महोदय, सम्मल के कार्यालय आदेश संख्या- 487/आ0लि0-आ0जि0सं0 दिनांक 17.07.2025 द्वारा गठित संयुक्त जांच समिति द्वारा दिनांक 11.09.2025 को इकाई के औचक निरीक्षण के दौरान शिकायत की पुष्टि की गयी तथा इकाई के विद्युत कनेक्शन को विच्छेदित कराये जाने का कार्य किया गया था।

उपरोक्तानुसार उक्त इकाई की स्थापना/संचालन के संबंध में कोई सूचना कार्यालय अभिलेखों में उपलब्ध न होने के कारण शिकायतकर्ता द्वारा प्रेषित उक्त शिकायत दिनांक 15.12.2023 को इकाई की स्थापना/संचालन का आधार मानकर उक्त इकाई के अवैध संचालन की अवधि दिनांक 15.12.2023 से दिनांक 11.09.2025 (विद्युत विच्छेदन की तिथि तक) तक कुल 637 दिन को डिफाल्टर दिवस मानते हुये केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली के पत्र दिनांक 08.02.2019 द्वारा पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति का आंकलन करते हुये जारी मार्गदर्शिका के अनुसार उक्त इकाई श्री संजय यादव, मौहल्ला महमूद खां सराय, तहसील व जनपद सम्मल के विरुद्ध नियमानुसार पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की गणना की जाती है-

$$\text{Penalty/E.C. in (Rs.)} = \text{PI} \times \text{N} \times \text{R} \times \text{S} \times \text{LF}$$

Where

PI = Pollution Index of industrial section (Since the Category Red)= 80

N = Number of days of violation took place= 637

R = A factor in rupees for penalty= 250

S = Factor for scale of operation (small)= 0.5

LF = Location Factor (Based on population)= 1.0

$$\text{Penalty/EC} = 80 \times 637 \times 250 \times 0.5 \times 1.0$$

$$= 63,70,000.00 \text{ only}$$

अतः उपरोक्तानुसार मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा उक्त प्रकरण में दिनांक 28.01.2026 को पारित आदेश के अनुपालन में उक्त इकाई श्री संजय यादव, मौहल्ला महमूद खां सराय, तहसील व जनपद सम्मल के विरुद्ध रु0 63,70,000.00 (तिरसठ लाख सत्तर हजार रुपये मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की गणना की गयी है। आख्या आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

Anil 16-04-26

(अनिल कुमार)
वैज्ञानिक सहायक

Sherman 16/04/2026

(संतोष कुमार)
सहायक पर्यावरण अभियन्ता

क्षेत्रीय अधिकारी महोदय

16/04/26

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-7), महोदय



क्षेत्रीय कार्यालय
उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
1-ए/आई.एन.एस.-1, आवास विकास कालोनी, बौद्ध विहार,
दिल्ली रोड, मुरादाबाद

ई-मेल : romoradabad@uppcb.in, दूरभाष : 0591-2972012

पत्र संख्या : ...830.../...13.../...130.../25/जलरत्न

दिनांक : 16/04/2026

सेवा में,

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-7),
उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
लखनऊ।


विषय : माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित O.A. No. -130/2025 (I.A. No. -224/2025) वरुण गुलाटी बनाम स्टेट आफ उत्तर प्रदेश व अन्य में पारित आदेश दिनांक 28.01.2026 के अनुपालन में श्री ताहिर, मौहल्ला सरायतरीन, लालकी, तहसील व जनपद सम्मल के विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की गणना किये जाने के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। तत्क्रम में अवगत कराना है कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित O.A. No. -130/2025 (I.A. No. -224/2025) वरुण गुलाटी बनाम स्टेट आफ उत्तर प्रदेश व अन्य में पारित आदेश दिनांक 28.01.2026 के अनुपालन में जीन्स वांशिंग प्लान्ट/इकाई श्री ताहिर, मौहल्ला सरायतरीन, लालकी, तहसील व जनपद सम्मल के विरुद्ध रु० 62,10,000.00 (बासठ लाख दस हजार रुपये मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की गणना की गयी है। आख्या संलग्नकर आपके अवलाकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्नक : उपरोक्तानुसार।

भवदीय


16/4/26
(देव कुमार गुप्ता)
क्षेत्रीय अधिकारी

माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित O.A. No. -130/2025 (I.A. No. -224/2025) वरुण गुलाटी बनाम स्टेट आफ उत्तर प्रदेश व अन्य में पारित आदेश दिनांक 28.01.2026 के अनुपालन में श्री ताहिर, मौहल्ला सरायतरीन, लालकी, तहसील व जनपद रागल के विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की गणना किये जाने के संबंध में आख्या-

उपरोक्त विषयक के संबंध में अवगत कराना है कि उक्त इकाई की स्थापना/संचालन वर्ष/दिनांक के संबंध में कोई सूचना कार्यालय अभिलेखों में उपलब्ध नहीं है। उक्त इकाई के अवैध संचालन के संदर्भ में उल्लेखनकारी दिवसों की गणना हेतु कार्यालय में उपलब्ध पत्रावली के परिशीलनोपरान्त संज्ञान में आया कि याचिकाकर्ता/शिकायतकर्ता श्री वरुण गुलाटी, निवासी ए-66, फर्स्ट फ्लोर, गणेश नगर, तिलक नगर, नई दिल्ली द्वारा आई0जी0आर0एस0 पोर्टल पर संदर्भ दिनांक 15.12.2023 के माध्यम से जनपद सम्मल में अवैध रूप में संचालित जीन्स वाशिंग इकाईयों के विरुद्ध पूर्व में शिकायत की गयी थी।

अग्रेतर अवगत कराना है कि कार्यालय अभिलेखानुसार जिलाधिकारी महोदय, सम्मल के कार्यालय आदेश संख्या- 487/आ0लि0-आ0जि0सं0 दिनांक 17.07.2025 द्वारा गठित संयुक्त जांच समिति द्वारा दिनांक 26.08.2025 को इकाई के औचक निरीक्षण के दौरान शिकायत की पुष्टि की गयी तथा इकाई के विद्युत कनेक्शन को विच्छेदित कराये जाने का कार्य किया गया था।

उपरोक्तानुसार उक्त इकाई की स्थापना/संचालन के संबंध में कोई सूचना कार्यालय अभिलेखों में उपलब्ध न होने के कारण शिकायतकर्ता द्वारा प्रेषित उक्त शिकायत दिनांक 15.12.2023 को इकाई की स्थापना/संचालन का आधार मानकर उक्त इकाई के अवैध संचालन की अवधि दिनांक 15.12.2023 से दिनांक 26.08.2025 (विद्युत विच्छेदन की तिथि तक) तक कुल 621 दिन को डिफाल्टर दिवस मानते हुये केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली के पत्र दिनांक 08.02.2019 द्वारा पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति का आंकलन करते हुये जारी मार्गदर्शिका के अनुसार उक्त इकाई श्री ताहिर, मौहल्ला सरायतरीन, लालकी, तहसील व जनपद सम्मल के विरुद्ध नियमानुसार पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की गणना की जाती है-

$$\text{Penalty/E.C. in (Rs.)} = \text{PI} \times \text{N} \times \text{R} \times \text{S} \times \text{LF}$$

Where

PI = Pollution Index of industrial section (Since the Category Red)= 80

N = Number of days of violation took place= 621

R = A factor in rupees for penalty= 250

S = Factor for scale of operation (small)= 0.5

LF = Location Factor (Based on population)= 1.0

$$\text{Penalty/EC} = 80 \times 621 \times 250 \times 0.5 \times 1.0$$

$$= 62,10,000.00 \text{ only}$$

अतः उपरोक्तानुसार मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा उक्त प्रकरण में दिनांक 28.01.2026 को पारित आदेश के अनुपालन में उक्त इकाई श्री ताहिर, मौहल्ला सरायतरीन, लालकी, तहसील व जनपद सम्मल के विरुद्ध रु0 62,10,000.00 (बासठ लाख दस हजार रुपये मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की गणना की गयी है। आख्या आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

Anil K. 16/04/26

(अनिल कुमार)
वैज्ञानिक सहायक

Suman 16/04/26

(संतोष कुमार)
सहायक पर्यावरण अभियन्ता

क्षेत्रीय अधिकारी महोदय

Suman
16/04/26

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-7), महोदय



क्षेत्रीय कार्यालय
उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
1-ए/आई.एन.एस.-1, आवास विकास कालोनी, बौद्ध विहार,
दिल्ली रोड, गुरादाबाद
ई-मेल : romoradabad@uppcb.in, दूरभाष : 0591-2972012

पत्र संख्या : 83/...../ N-13/130/25/नगरल

दिनांक : 16/04/2026

सेवा में,

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-7),
उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
लखनऊ।


विषय : माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित O.A. No. -130/2025 (I.A. No. -224/2025) वरुण गुलाटी बनाम स्टेट आफ उत्तर प्रदेश व अन्य में पारित आदेश दिनांक 28.01.2028 के अनुपालन में श्री फेजान, मौहल्ला सरायतरीन, लालकी, तहसील व जनपद सम्मल के विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की गणना किये जाने के संबंध में।


महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। तत्कम में अवगत कराना है कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित O.A. No. -130/2025 (I.A. No. -224/2025) वरुण गुलाटी बनाम स्टेट आफ उत्तर प्रदेश व अन्य में पारित आदेश दिनांक 28.01.2026 के अनुपालन में जीन्स वांशिंग प्लान्ट/इकाई श्री फेजान, मौहल्ला सरायतरीन, लालकी, तहसील व जनपद सम्मल के विरुद्ध रु० 62,10,000.00 (षासठ लाख दस हजार रुपये मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की गणना की गयी है। आख्या संलग्नकर आपके अवलाकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्नक : उपरोक्तानुसार।

भवदीय


16/4/26
(देव कुमार गुप्ता)
क्षेत्रीय अधिकारी



माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित O.A. No. -110/2025 (I.A. No. -224/2025) वरुण गुलाटी बनाम स्टेट आफ उत्तर प्रदेश व अन्य में पारित आदेश दिनांक 28.01.2026 के अनुपालन में श्री फेजान, मौहल्ला सरायतरीन, लालकी, तहसील व जनपद सम्मल के विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की गणना किये जाने के संबंध में आख्या-

उपरोक्त विषयक के संबंध में अवगत कराना है कि उक्त इकाई की स्थापना/संचालन वर्ष/दिनांक के संबंध में कोई सूचना कार्यालय अभिलेखों में उपलब्ध नहीं है। उक्त इकाई के अवैध संचालन के संदर्भ में उल्लंघनकारी दिवसों की गणना हेतु कार्यालय में उपलब्ध पत्रावली के परिशीलनोपरान्त संज्ञान में आया कि याचिकाकर्ता/शिकायतकर्ता श्री वरुण गुलाटी, निवासी ए-66, फर्स्ट फ्लोर, गणेश नगर, तिलक नगर, नई दिल्ली द्वारा आई0जी0आर0एस0 पोर्टल पर संदर्भ दिनांक 15.12.2023 के माध्यम से जनपद सम्मल में अवैध रूप में संचालित जीन्स वॉशिंग इकाईयों के विरुद्ध पूर्व में शिकायत की गयी थी।

अग्रेतर अवगत कराना है कि कार्यालय अभिलेखानुसार जिलाधिकारी महोदय, सम्मल के कार्यालय आदेश संख्या- 487/आ0लि0-आ0जि0सं0 दिनांक 17.07.2025 द्वारा गठित संयुक्त जांच समिति द्वारा दिनांक 26.08.2025 को इकाई के औचक निरीक्षण के दौरान शिकायत की पुष्टि की गयी तथा इकाई के विद्युत कनेक्शन को विच्छेदित कराये जाने का कार्य किया गया था।

उपरोक्तानुसार उक्त इकाई की स्थापना/संचालन के संबंध में कोई सूचना कार्यालय अभिलेखों में उपलब्ध न होने के कारण शिकायतकर्ता द्वारा प्रेषित उक्त शिकायत दिनांक 15.12.2023 को इकाई की स्थापना/संचालन का आधार मानकर उक्त इकाई के अवैध संचालन की अवधि दिनांक 15.12.2023 से दिनांक 26.08.2025 (विद्युत विच्छेदन की तिथि तक) तक कुल 621 दिन को डिफाल्टर दिवस मानते हुये केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली के पत्र दिनांक 08.02.2019 द्वारा पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति का आंकलन करते हुये जारी मार्गदर्शिका के अनुसार उक्त इकाई श्री फेजान, मौहल्ला सरायतरीन, लालकी, तहसील व जनपद सम्मल के विरुद्ध नियमानुसार पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की गणना की जाती है-

$$\text{Penalty/E.C. in (Rs.)} = \text{PI} \times \text{N} \times \text{R} \times \text{S} \times \text{LF}$$

Where

$$\text{PI} = \text{Pollution Index of industrial section (Since the Category Red)} = 80$$

$$\text{N} = \text{Number of days of violation took place} = 621$$

$$\text{R} = \text{A factor in rupees for penalty} = 250$$

$$\text{S} = \text{Factor for scale of operation (small)} = 0.5$$

$$\text{LF} = \text{Location Factor (Based on population)} = 1.0$$

$$\text{Penalty/EC} = 80 \times 621 \times 250 \times 0.5 \times 1.0$$

$$= 62,10,000.00 \text{ only}$$

अतः उपरोक्तानुसार मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा उक्त प्रकरण में दिनांक 28.01.2026 को पारित आदेश के अनुपालन में उक्त इकाई श्री फेजान, मौहल्ला सरायतरीन, लालकी, तहसील व जनपद सम्मल के विरुद्ध रु0 62,10,000.00 (बासठ लाख दस हजार रुपये मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की गणना की गयी है। आख्या आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

क्षेत्रीय अधिकारी महोदय

[Signature]
16/4/26

[Signature]
18-04-26
(अनिल कुमार)
वैज्ञानिक सहायक

[Signature]
16/04/2026
(संतोष कुमार)
सहायक पर्यावरण अभियन्ता

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-7), महोदय



क्षेत्रीय कार्यालय
उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
1-ए/आर्.एन.एरा.-1, आयारा विकारा कालोनी, बौद्ध विहार,
दिल्ली रोड, गुशदाबाद
ई-मेल : romoradabad@uppcb.in, दूरगाप : 0591-2972012

पत्र संख्या : 832/13/130/25/जनरल

दिनांक : 16/04/2026

सेवा में,


मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-7),
उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
लखनऊ।

विषय : माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित O.A. No. -130/2025 (I.A. No. -224/2025) वरुण गुलाटी बनाम स्टेट आफ उत्तर प्रदेश व अन्य में पारित आदेश दिनांक 28.01.2026 के अनुपालन में श्री रफी, मौहल्ला सरायतरीन, लालकी, तहसील व जनपद सम्मल के विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की गणना किये जाने के संबंध में।


महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। तत्कम में अवगत कराना है कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित O.A. No. -130/2025 (I.A. No. -224/2025) वरुण गुलाटी बनाम स्टेट आफ उत्तर प्रदेश व अन्य में पारित आदेश दिनांक 28.01.2026 के अनुपालन में जीन्स वांशिंग प्लान्ट/इकाई श्री रफी, मौहल्ला सरायतरीन, लालकी, तहसील व जनपद सम्मल के विरुद्ध रु० 62,10,000.00 (चांसठ लाख दस हजार रुपये मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की गणना की गयी है। आख्या संलग्नकर आपके अवलाकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

भवदीय


16/4/26
(देव कुमार गुप्ता)
क्षेत्रीय अधिकारी

संलग्नक : उपरोक्तानुसार।



माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में रोजित O.A. No. 1110/2025 (I.A. No. 224/2025) वरुण गुलाटी बनाम स्टेट आफ उत्तर प्रदेश में अन्य में पारित आदेश दिनांक 20.01.2020 को अनुपालन में श्री रफी, मौहल्ला सरायतरीन, लालकी, तहसील व जनपद रामगढ़ के विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की गणना किये जाने के संबंध में आख्या-

उपरोक्त विवरण के संबंध में अवगत कराना है कि उक्त इकाई की स्थापना/संचालन वर्ष/दिनांक के संबंध में कोई सूचना कार्यालय अभिलेखों में उपलब्ध नहीं है। उक्त इकाई के अवैध संचालन के संदर्भ में उत्तमनकारी दिवसों की गणना हेतु कार्यालय में उपलब्ध पत्रावली के परिशीलनोपरान्त संज्ञान में आया कि प्राधिकारकर्ता/शिकायतकर्ता श्री वरुण गुलाटी, निवासी ए-86, फर्स्ट फ्लोर, गणेश नगर, तिलक नगर, नई दिल्ली द्वारा आईजीओआरएस0 पोर्टल पर संदर्भ दिनांक 15.12.2023 के माध्यम से जनपद सम्मल में अवैध रूप में संचालित जीन्स वाशिंग इकाईयों के विरुद्ध पूर्व में शिकायत की गयी थी।

अग्रेतर अवगत कराना है कि कार्यालय अभिलेखानुसार जिलाधिकारी महोदय, सम्मल के कार्यालय आदेश जख्या- 487/आ0लि0-आ0जि0सं0 दिनांक 17.07.2025 द्वारा गठित संयुक्त जांच समिति द्वारा दिनांक 26.08.2025 को इकाई के औचक निरीक्षण के दौरान शिकायत की पुष्टि की गयी तथा इकाई के विद्युत कनेक्शन को विच्छेदित कराये जाने का कार्य किया गया था।

उपरोक्तानुसार उक्त इकाई की स्थापना/संचालन के संबंध में कोई सूचना कार्यालय अभिलेखों में उपलब्ध न होने के कारण शिकायतकर्ता द्वारा प्रेषित उक्त शिकायत दिनांक 15.12.2023 को इकाई की स्थापना/संचालन का आधार मानकर उक्त इकाई के अवैध संचालन की अवधि दिनांक 15.12.2023 से दिनांक 26.08.2025 (विद्युत विच्छेदन की तिथि तक) तक कुल 621 दिन को डिफाल्टर दिवस मानते हुये केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली के पत्र दिनांक 08.02.2019 द्वारा पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति का आंकलन करते हुये जारी मार्गदर्शिका के अनुसार उक्त इकाई श्री रफी, मौहल्ला सरायतरीन, लालकी, तहसील व जनपद सम्मल के विरुद्ध नियमानुसार पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की गणना की जाती है-

$$\text{Penalty/E.C. in (Rs.)} = \text{PI} \times \text{N} \times \text{R} \times \text{S} \times \text{LF}$$

Where

PI = Pollution Index of industrial section (Since the Category Red)= 80

N = Number of days of violation took place= 621

R = A factor in rupees for penalty= 250

S = Factor for scale of opration (small)= 0.5

LF = Location Factor (Based on population)= 1.0

$$\text{Penalty/EC} = 80 \times 621 \times 250 \times 0.5 \times 1.0$$

$$= 62,10,000.00 \text{ only}$$

अतः उपरोक्तानुसार मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा उक्त प्रकरण में दिनांक 28.01.2026 को पारित आदेश के अनुपालन में उक्त इकाई श्री रफी, मौहल्ला सरायतरीन, लालकी, तहसील व जनपद सम्मल के विरुद्ध रु0 62,10,000.00 (बासठ लाख दस हजार रुपये मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की गणना की गयी है। आख्या आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

क्षेत्रीय अधिकारी महोदय

[Signature]
16/11/26

[Signature]

(अनिल कुमार)
वैज्ञानिक सहायक

[Signature]
16/11/2026
(संतोष कुमार)

सहायक पर्यावरण अभियन्ता

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-7), महोदय



क्षेत्रीय कार्यालय
उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
1-ए/आर.एन.एन.-1, आयास विकास कालोनी, भोख विहार,
दिल्ली रोड, गुरादाबाद

ई-मेल : romoradabad@uppcb.in, दूरभाष : 0591-2972012

पत्र संख्या : 833/2023/130/25/जनरल

दिनांक : 16/04/2028

सेवा में,

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-7),
उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
लखनऊ।

विषय : माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित O.A. No. -130/2025 (I.A. No. -224/2025) वरुण गुलाटी बनाम स्टेट आफ उत्तर प्रदेश व अन्य में पारित आदेश दिनांक 28.01.2028 के अनुपालन में श्री रजी, मौहल्ला सरायतरीन, लालकी, तहसील व जनपद सम्मल के विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की गणना किये जाने के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। तत्कम में अवगत कराना है कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित O.A. No. -130/2025 (I.A. No. -224/2025) वरुण गुलाटी बनाम स्टेट आफ उत्तर प्रदेश व अन्य में पारित आदेश दिनांक 28.01.2026 के अनुपालन में जीन्स वांशिंग प्लान्ट/इकाई श्री रजी, मौहल्ला सरायतरीन, लालकी, तहसील व जनपद सम्मल के विरुद्ध रु० 62,10,000.00 (बासठ लाख दस हजार रुपये मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की गणना की गयी है। आख्या संलग्नकर आपके अवलाकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

भवदीय

16/4/26

(देव कुमार गुप्ता)
क्षेत्रीय अधिकारी

संलग्नक : उपरोक्तानुसार।

माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में गीजित O.A. No. 1110/2026 (I.A. No. 224/2025) वरुण गुलाटी बनाम स्टेट आफ उत्तर प्रदेश व अन्य में पारित आदेश दिनांक 20.01.2020 के अनुपालन में श्री रजी, मौहल्ला सरायतरीन, लालकी, तहसील व जनपद सम्मल के निरन्तर पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की गणना किये जाने के संबंध में आख्या-

उपरोक्त विषयक के संबंध में अवगत कराना है कि उक्त इकाई की स्थापना/संचालन वर्ष/दिनांक के संबंध में कोई सूचना कार्यालय अभिलेखों में उपलब्ध नहीं है। उक्त इकाई के अवैध संचालन के संदर्भ में आयुक्त उत्तमनकारी दिवसों की गणना हेतु कार्यालय में उपलब्ध पत्रावली के परिशीलनोपरान्त संज्ञान में आया कि प्राधिकर्ता/शिकायतकर्ता श्री वरुण गुलाटी, निवासी ए-08, फर्स्ट फ्लोर, गणेश नगर, तिलक नगर, नई दिल्ली द्वारा आईजीओआरएस0 पोर्टल पर संदर्भ दिनांक 15.12.2023 के माध्यम से जनपद सम्मल में अवैध रूप में संचालित जीन्स वाशिंग इकाईयों के विरुद्ध पूर्व में शिकायत की गयी थी।

अग्रेतर अवगत कराना है कि कार्यालय अभिलेखानुसार जिलाधिकारी महोदय, सम्मल के कार्यालय आदेश संख्या- 487/आ0लि0-आ0जि0सं0 दिनांक 17.07.2025 द्वारा गठित संयुक्त जांच समिति द्वारा दिनांक 26.08.2025 को इकाई के औचक निरीक्षण के दौरान शिकायत की पुष्टि की गयी तथा इकाई के विद्युत कनेक्शन को विच्छेदित कराये जाने का कार्य किया गया था।

उपरोक्तानुसार उक्त इकाई की स्थापना/संचालन के संबंध में कोई सूचना कार्यालय अभिलेखों में उपलब्ध न होने के कारण शिकायतकर्ता द्वारा प्रेषित उक्त शिकायत दिनांक 15.12.2023 को इकाई की स्थापना/संचालन का आधार मानकर उक्त इकाई के अवैध संचालन की अवधि दिनांक 15.12.2023 से दिनांक 26.08.2025 (विद्युत विच्छेदन की तिथि तक) तक कुल 621 दिन को डिफाल्टर दिवस मानते हुये केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली के पत्र दिनांक 08.02.2019 द्वारा पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति का आंकलन करते हुये जारी मार्गदर्शिका के अनुसार उक्त इकाई श्री रजी, मौहल्ला सरायतरीन, लालकी, तहसील व जनपद सम्मल के विरुद्ध नियमानुसार पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की गणना की जाती है-

$$\text{Penalty/E.C. in (Rs.)} = \text{PI} \times \text{N} \times \text{R} \times \text{S} \times \text{LF}$$

Where

PI = Pollution Index of industrial section (Since the Category Red)= 80

N = Number of days of violation took place= 621

R = A factor in rupees for penalty= 250

S = Factor for scale of operation (small)= 0.5

LF = Location Factor (Based on population)= 1.0

$$\text{Penalty/EC} = 80 \times 621 \times 250 \times 0.5 \times 1.0$$

$$= 62,10,000.00 \text{ only}$$

अतः उपरोक्तानुसार मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा उक्त प्रकरण में दिनांक 28.01.2026 को पारित आदेश के अनुपालन में उक्त इकाई श्री रजी, मौहल्ला सरायतरीन, लालकी, तहसील व जनपद सम्मल के विरुद्ध रु0 62,10,000.00 (बासठ लाख दस हजार रुपये मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की गणना की गयी है। आख्या आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

Anil Kumar

(अनिल कुमार)

वैज्ञानिक सहायक

Shuman

(संतोष कुमार)

सहायक पर्यावरण अभियन्ता

क्षेत्रीय अधिकारी महोदय

Kumar

16/4/26

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-7), महोदय



क्षेत्रीय कार्यालय
उपप्रो प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
1-ए/आई.एन.एस.-1, आवास विकास कालोनी, बौद्ध विहार,
दिल्ली रोड, गुरादाबाद
ई-मेल : romoradabad@uppcb.in, दूरभाष : 0591-2972012

पत्र संख्या : 834/N-13/130/25/जनरल

दिनांक : 16/04/2026

सेवा में,

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-7),
उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
लखनऊ।

विषय : माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित O.A. No. -130/2025 (I.A. No. -224/2025) वरुण गुलाटी बनाम स्टेट आफ उत्तर प्रदेश व अन्य में पारित आदेश दिनांक 28.01.2026 के अनुपालन में श्री शाने आलम, मौहल्ला सरायतरीन, लालकी, तहसील व जनपद सम्मल के विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की गणना किये जाने के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। तत्कम में अवगत कराना है कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित O.A. No. -130/2025 (I.A. No. -224/2025) वरुण गुलाटी बनाम स्टेट आफ उत्तर प्रदेश व अन्य में पारित आदेश दिनांक 28.01.2026 के अनुपालन में जीन्स वाशिंग प्लान्ट/इकाई श्री शाने आलम, मौहल्ला सरायतरीन, लालकी, तहसील व जनपद सम्मल के विरुद्ध रु0 62,10,000.00 (बासठ लाख दस हजार रुपये मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की गणना की गयी है। आख्या संलग्नकर आपके अवलाकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

भवदीय

(Signature)
16/4/26

संलग्नक : उपरोक्तानुसार।

(देव कुमार गुप्ता)
क्षेत्रीय अधिकारी

माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित O.A. No. -130/2025 (I.A. No. -224/2025) वरुण गुलाटी बनाम स्टेट आफ उत्तर प्रदेश व अन्य में पारित आदेश दिनांक 28.01.2028 के अनुपालन में श्री शाने आलम, मौहल्ला सरायतरीन, लालकी, तहसील व जनपद रांगल के विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की गणना किये जाने के संबंध में आख्या-

उपरोक्त विषयक के संबंध में अवगत कराना है कि उक्त इकाई की स्थापना/संचालन वर्ष/दिनांक के संबंध में कोई सूचना कार्यालय अभिलेखों में उपलब्ध नहीं है। उक्त इकाई के अवैध संचालन के संदर्भ में उल्लंघनकारी दिवसों की गणना हेतु कार्यालय में उपलब्ध पत्रावली के परिशीलनोपरान्त संज्ञान में आया कि यादिकाकर्ता/शिकायतकर्ता श्री वरुण गुलाटी, निवासी ए-88, फर्स्ट फ्लोर, गणेश नगर, तिलक नगर, नई दिल्ली द्वारा आई0जी0आर0एस0 पोर्टल पर संदर्भ दिनांक 15.12.2023 के माध्यम से जनपद सम्मल में अवैध रूप में संचालित जीन्स वाशिंग इकाईयों के विरुद्ध पूर्व में शिकायत की गयी थी।

अग्रेतर अवगत कराना है कि कार्यालय अभिलेखानुसार जिलाधिकारी महोदय, सम्मल के कार्यालय आदेश संख्या- 487/आ0लि0-आ0जि0स0 दिनांक 17.07.2025 द्वारा गठित संयुक्त जांच समिति द्वारा दिनांक 26.08.2025 को इकाई के औचक निरीक्षण के दौरान शिकायत की पुष्टि की गयी तथा इकाई के विद्युत कनेक्शन को विच्छेदित कराये जाने का कार्य किया गया था।

उपरोक्तानुसार उक्त इकाई की स्थापना/संचालन के संबंध में कोई सूचना कार्यालय अभिलेखों में उपलब्ध न होने के कारण शिकायतकर्ता द्वारा प्रेषित उक्त शिकायत दिनांक 15.12.2023 को इकाई की स्थापना/संचालन का आधार मानकर उक्त इकाई के अवैध संचालन की अवधि दिनांक 15.12.2023 से दिनांक 26.08.2025 (विद्युत विच्छेदन की तिथि तक) तक कुल 621 दिन को डिफाल्टर दिवस मानते हुये केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली के पत्र दिनांक 08.02.2019 द्वारा पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति का आंकलन करते हुये जारी मार्गदर्शिका के अनुसार उक्त इकाई श्री शाने आलम, मौहल्ला सरायतरीन, लालकी, तहसील व जनपद सम्मल के विरुद्ध नियमानुसार पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की गणना की जाती है-

$$\text{Penalty/E.C. in (Rs.)} = \text{PI} \times \text{N} \times \text{R} \times \text{S} \times \text{LF}$$

Where

PI = Pollution Index of industrial section (Since the Category Red)= 80

N = Number of days of violation took place= 621

R = A factor in rupees for penalty= 250

S = Factor for scale of operation (small)= 0.5

LF = Location Factor (Based on population)= 1.0

$$\text{Penalty/EC} = 80 \times 621 \times 250 \times 0.5 \times 1.0$$

$$= 62,10,000.00 \text{ only}$$

अतः उपरोक्तानुसार मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा उक्त प्रकरण में दिनांक 28.01.2026 को पारित आदेश के अनुपालन में उक्त इकाई श्री शाने आलम, मौहल्ला सरायतरीन, लालकी, तहसील व जनपद सम्मल के विरुद्ध रु0 62,10,000.00 (बासठ लाख दस हजार रुपये मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की गणना की गयी है। आख्या आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

Anil Kumar
(अनिल कुमार)
वैज्ञानिक सहायक

Suman
16/04/2026
(संतोष कुमार)
सहायक पर्यावरण अभियन्ता

क्षेत्रीय अधिकारी महोदय

Suman
16/4/26

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-7), महोदय



क्षेत्रीय कार्यालय
उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
1-ए/आई.एन.एस.-1, आवास विकास कालोनी, बौद्ध विहार,
दिल्ली रोड, मुरादाबाद
ई-मेल : romoradabad@uppcb.in, दूरभाष : 0591-2972012

पत्र संख्या : ...१३५/.../...१३३/.../१३०/२५/.../जल २ ल

दिनांक : 16/04/2026

सेवा में,

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-7),
उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
लखनऊ।

विषय : माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित O.A. No. -130/2025 (I.A. No. -224/2025) वरुण गुलाटी बनाम स्टेट आफ उत्तर प्रदेश व अन्य में पारित आदेश दिनांक 28.01.2026 के अनुपालन में हाजी फरजन्द, मौहल्ला सरायतरीन, लालकी, तहसील व जनपद सम्मल के विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की गणना किये जाने के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। तत्कम में अवगत कराना है कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित O.A. No. -130/2025 (I.A. No. -224/2025) वरुण गुलाटी बनाम स्टेट आफ उत्तर प्रदेश व अन्य में पारित आदेश दिनांक 28.01.2026 के अनुपालन में जीन्स वांशिंग प्लान्ट/इकाई हाजी फरजन्द, मौहल्ला सरायतरीन, लालकी, तहसील व जनपद सम्मल के विरुद्ध ₹ 62,10,000.00 (बासठ लाख दस हजार रुपये मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की गणना की गयी है। आख्या संलग्नकर आपके अवलाकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

भवदीय

(Handwritten Signature)
16/4/26

(देव कुमार गुप्ता)
क्षेत्रीय अधिकारी

संलग्नक : उपरोक्तानुसार।

माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित O.A. No. -130/2025 (I.A. No. -224/2025) वरुण गुलाटी बनाम स्टेट आफ उत्तर प्रदेश व अन्य में पारित आदेश दिनांक 20.01.2020 के अनुपालन में हाजी फरजन्द, मौहल्ला सरायतरीन, लालकी, तहसील व जनपद सम्मल के विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की गणना किये जाने के संबंध में आख्या-

उपरोक्त विषयक के संबंध में अवगत कराना है कि उक्त इकाई की स्थापना/संचालन वर्ष/दिनांक के संबंध में कोई सूचना कार्यालय अभिलेखों में उपलब्ध नहीं है। उक्त इकाई के अवैध संचालन के संदर्भ में उल्लंघनकारी दिवसों की गणना हेतु कार्यालय में उपलब्ध पत्रावली के परिशीलनोपरान्त संज्ञान में आया कि याचिकाकर्ता/शिकायतकर्ता श्री वरुण गुलाटी, निवासी ए-66, फर्स्ट फ्लोर, गणेश नगर, तिलक नगर, नई दिल्ली द्वारा आई0जी0आर0एस0 पोर्टल पर संदर्भ दिनांक 15.12.2023 के माध्यम से जनपद सम्मल में अवैध रूप में संचालित जीन्स वांशिंग इकाईयों के विरुद्ध पूर्व में शिकायत की गयी थी।

अग्रेतर अवगत कराना है कि कार्यालय अभिलेखानुसार जिलाधिकारी महोदय, सम्मल के कार्यालय आदेश संख्या- 487/आ0लि0-आ0जि0सं0 दिनांक 17.07.2025 द्वारा गठित संयुक्त जांच समिति द्वारा दिनांक 26.08.2025 को इकाई के औचक निरीक्षण के दौरान शिकायत की पुष्टि की गयी तथा इकाई के विद्युत कनेक्शन को विच्छेदित कराये जाने का कार्य किया गया था।

उपरोक्तानुसार उक्त इकाई की स्थापना/संचालन के संबंध में कोई सूचना कार्यालय अभिलेखों में उपलब्ध न होने के कारण शिकायतकर्ता द्वारा प्रेषित उक्त शिकायत दिनांक 15.12.2023 को इकाई की स्थापना/संचालन का आधार मानकर उक्त इकाई के अवैध संचालन की अवधि दिनांक 15.12.2023 से दिनांक 26.08.2025 (विद्युत विच्छेदन की तिथि तक) तक कुल 621 दिन को डिफाल्टर दिवस मानते हुये केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली के पत्र दिनांक 08.02.2019 द्वारा पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति का आंकलन करते हुये जारी मार्गदर्शिका के अनुसार उक्त इकाई हाजी फरजन्द, मौहल्ला सरायतरीन, लालकी, तहसील व जनपद सम्मल के विरुद्ध नियमानुसार पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की गणना की जाती है-

$$\text{Penalty/E.C. in (Rs.)} = \text{PI} \times \text{N} \times \text{R} \times \text{S} \times \text{LF}$$

Where

PI = Pollution Index of industrial section (Since the Category Red)= 80

N = Number of days of violation took place= 621

R = A factor in rupees for penalty= 250

S = Factor for scale of operation (small)= 0.5

LF = Location Factor (Based on population)= 1.0

$$\text{Penalty/EC} = 80 \times 621 \times 250 \times 0.5 \times 1.0$$

$$= 62,10,000.00 \text{ only}$$

अतः उपरोक्तानुसार मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा उक्त प्रकरण में दिनांक 28.01.2026 को पारित आदेश के अनुपालन में उक्त इकाई हाजी फरजन्द, मौहल्ला सरायतरीन, लालकी, तहसील व जनपद सम्मल के विरुद्ध रु0 62,10,000.00 (बासठ लाख दस हजार रुपये मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की गणना की गयी है। आख्या आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

Anil K. G. 26

(अनिल कुमार)
वैज्ञानिक सहायक

S. Kumar
16/04/2026

(संतोष कुमार)
सहायक पर्यावरण अभियन्ता

क्षेत्रीय अधिकारी महोदय

K. K. S. 26
16/4/26

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-7), महोदय



क्षेत्रीय कार्यालय
उपप्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
1-ए/आई.एन.एस.-1, आवास विकास कालोनी, नौद विहार,
दिल्ली रोड, गुरादाबाद

ई-मेल : romoradabad@uppcb.in, दूरगाम : 0591-2972012

पत्र संख्या : 836/13/130/25/नकारत दिनांक : 16/04/2026

सेवा में,

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-7),
उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
लखनऊ।


विषय : माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित O.A. No. -130/2025 (I.A. No. -224/2025) वरुण गुलाटी बनाम स्टेट आफ उत्तर प्रदेश व अन्य में पारित आदेश दिनांक 28.01.2026 के अनुपालन में श्री सालिम, मौहल्ला सरायतरीन, लालकी, तहसील व जनपद सम्मल के विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की गणना किये जाने के संबंध में।


महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। तत्कम में अवगत कराना है कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित O.A. No. -130/2025 (I.A. No. -224/2025) वरुण गुलाटी बनाम स्टेट आफ उत्तर प्रदेश व अन्य में पारित आदेश दिनांक 28.01.2026 के अनुपालन में जीन्स वाशिंग प्लान्ट/इकाई श्री सालिम, मौहल्ला सरायतरीन, लालकी, तहसील व जनपद सम्मल के विरुद्ध रु० 62,10,000.00 (बासठ लाख दस हजार रुपये मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की गणना की गयी है। आख्या संलग्नकर आपके अवलाकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्नक : उपरोक्तानुसार।

भवदीय


16/4/26
(देव कुमार गुप्ता)
क्षेत्रीय अधिकारी



माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में रोजित O.A. No. -130/2025 (I.A. No. -224/2025) वरुण गुलाटी बनाम स्टेट आफ उत्तर प्रदेश व अन्य में पारित आदेश दिनांक 28.01.2020 के अनुपालन में श्री सालिम, मौहल्ला सरायतरीन, लालकी, तहसील व जनपद रामगल के विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की गणना किये जाने के संबंध में आख्या-

उपरोक्त विषयक के संबंध में अवगत कराना है कि उक्त इकाई की स्थापना/संचालन वर्ष/दिनांक के संबंध में कोई सूचना कार्यालय अभिलेखों में उपलब्ध नहीं है। उक्त इकाई के अवैध संचालन के संदर्भ में उत्तरोत्तर दिवसों की गणना हेतु कार्यालय में उपलब्ध पत्रावली के परिशीलनोपरान्त संज्ञान में आया कि प्राधिकारकर्ता/शिकायतकर्ता श्री वरुण गुलाटी, निवासी ए-66, फर्स्ट फ्लोर, गणेश नगर, तिलक नगर, नई दिल्ली द्वारा आई0जी0आर0एस0 पोर्टल पर संदर्भ दिनांक 15.12.2023 के माध्यम से जनपद सम्मल में अवैध रूप में संचालित जीन्स वाशिंग इकाईयों के विरुद्ध पूर्व में शिकायत की गयी थी।

अग्रोतर अवगत कराना है कि कार्यालय अभिलेखानुसार जिलाधिकारी महोदय, सम्मल के कार्यालय आदेश संख्या- 487/आ0लि0-आ0जि0सं0 दिनांक 17.07.2025 द्वारा गठित संयुक्त जांच समिति द्वारा दिनांक 26.08.2025 को इकाई के औचक निरीक्षण के दौरान शिकायत की पुष्टि की गयी तथा इकाई के विद्युत कनेक्शन को विच्छेदित कराये जाने का कार्य किया गया था।

उपरोक्तानुसार उक्त इकाई की स्थापना/संचालन के संबंध में कोई सूचना कार्यालय अभिलेखों में उपलब्ध न होने के कारण शिकायतकर्ता द्वारा प्रेषित उक्त शिकायत दिनांक 15.12.2023 को इकाई की स्थापना/संचालन का आधार मानकर उक्त इकाई के अवैध संचालन की अवधि दिनांक 15.12.2023 से दिनांक 26.08.2025 (विद्युत विच्छेदन की तिथि तक) तक कुल 621 दिन को डिफाल्टर दिवस मानते हुये केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली के पत्र दिनांक 08.02.2019 द्वारा पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति का आंकलन करते हुये जारी मार्गदर्शिका के अनुसार उक्त इकाई श्री सालिम, मौहल्ला सरायतरीन, लालकी, तहसील व जनपद सम्मल के विरुद्ध नियमानुसार पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की गणना की जाती है-

$$\text{Penalty/E.C. in (Rs.)} = \text{PI} \times \text{N} \times \text{R} \times \text{S} \times \text{LF}$$

Where

PI = Pollution Index of industrial section (Since the Category Red)= 80

N = Number of days of violation took place= 621

R = A factor in rupees for penalty= 250


S = Factor for scale of opration (small)= 0.5


LF = Location Factor (Based on population)= 1.0

$$\text{Penalty/EC} = 80 \times 621 \times 250 \times 0.5 \times 1.0$$


$$= 62,10,000.00 \text{ only}$$

अतः उपरोक्तानुसार मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा उक्त प्रकरण में दिनांक 28.01.2026 को पारित आदेश के अनुपालन में उक्त इकाई श्री सालिम, मौहल्ला सरायतरीन, लालकी, तहसील व जनपद सम्मल के विरुद्ध रु0 62,10,000.00 (बासठ लाख दस हजार रुपये मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की गणना की गयी है। आख्या आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।


(अनिल कुमार)
वैज्ञानिक सहायक


(संतोष कुमार)
सहायक पर्यावरण अभियन्ता

क्षेत्रीय अधिकारी महोदय


16/11/26

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-7), महोदय



क्षेत्रीय कार्यालय
उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
1-ए/आई.एन.एस.-1, आवास विकास कालोनी, बौद्ध विहार,
दिल्ली रोड, गुराबाबाद

ई-मेल : romoradabad@uppcb.in, दूरभाष : 0591-2872012

पत्र संख्या : 837 / N-13 / 130 / 25 / जलरत्न दिनांक : 16/04/2026

सेवा में,

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-7),
उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
लखनऊ।

विषय : माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित O.A. No. -130/2025 (I.A. No. -224/2025) वरुण गुलाटी बनाम स्टेट आफ उत्तर प्रदेश व अन्य में पारित आदेश दिनांक 28.01.2026 के अनुपालन में श्री फतेह मौहम्मद, मौहल्ला सरायतरीन, लालकी, तहसील व जनपद सम्मल के विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की गणना किये जाने के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। तत्कम में अवगत कराना है कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित O.A. No. -130/2025 (I.A. No. -224/2025) वरुण गुलाटी बनाम स्टेट आफ उत्तर प्रदेश व अन्य में पारित आदेश दिनांक 28.01.2026 के अनुपालन में जीन्स वांशिंग प्लान्ट/इकाई श्री फतेह मौहम्मद, मौहल्ला सरायतरीन, लालकी, तहसील व जनपद सम्मल के विरुद्ध रु० 62,10,000.00 (बासठ लाख दस हजार रुपये मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की गणना की गयी है। आख्या संलग्नकर आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

भवदीय

(Signature)
16/4/26

(देव कुमार गुप्ता)
क्षेत्रीय अधिकारी

संलग्नक : उपरोक्तानुसार।

(Signature)

माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में गोजित O.A. No. 130/2025 (I.A. No. 224/2025) वरुण गुलाडी बनाम स्टेट आफ उत्तर प्रदेश व अन्य में पारित आदेश दिनांक 20.01.2020 के अनुपालन में श्री फतेह मौहम्मद, मौहल्ला सरायतरीन, लालकी, तहसील व जनपद रामगढ़ के विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की गणना किये जाने के संदर्भ में आख्या-

उपरोक्त विषयक के संबंध में अवगत कराना है कि उक्त इकाई की स्थापना/संचालन वर्ष/दिनांक के संबंध में कोई सूचना कार्यालय अभिलेखों में उपलब्ध नहीं है। उक्त इकाई के अवैध संचालन के संदर्भ में उत्संधनकारी दिवसों की गणना हेतु कार्यालय में उपलब्ध पत्रावली के परिशीलनोपरान्त संज्ञान में आया कि जाचिकाकर्ता/शिकायतकर्ता श्री वरुण गुलाडी, निवासी ए-66, फर्स्ट फ्लोर, गणेश नगर, तिलक नगर, नई दिल्ली द्वारा आई0जी0आर0एस0 पोर्टल पर संदर्भ दिनांक 15.12.2023 के माध्यम से जनपद सम्मल में अवैध रूप में संचालित जीन्स वॉशिंग इकाईयों के विरुद्ध पूर्व में शिकायत की गयी थी।

अग्रेतर अवगत कराना है कि कार्यालय अभिलेखानुसार जिलाधिकारी महोदय, सम्मल के कार्यालय आदेश संख्या- 487/आ0लि0-आ0जि0सं0 दिनांक 17.07.2025 द्वारा गठित संयुक्त जांच समिति द्वारा दिनांक 26.08.2025 को इकाई के औचक निरीक्षण के दौरान शिकायत की पुष्टि की गयी तथा इकाई के विद्युत कनेक्शन को विच्छेदित कराये जाने का कार्य किया गया था।

उपरोक्तानुसार उक्त इकाई की स्थापना/संचालन के संबंध में कोई सूचना कार्यालय अभिलेखों में उपलब्ध न होने के कारण शिकायतकर्ता द्वारा प्रेषित उक्त शिकायत दिनांक 15.12.2023 को इकाई की स्थापना/संचालन का आधार मानकर उक्त इकाई के अवैध संचालन की अवधि दिनांक 15.12.2023 से दिनांक 26.08.2025 (विद्युत विच्छेदन की तिथि तक) तक कुल 621 दिन को डिफाल्टर दिवस मानते हुये केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली के पत्र दिनांक 08.02.2019 द्वारा पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति का आंकलन करते हुये जारी मार्गदर्शिका के अनुसार उक्त इकाई श्री फतेह मौहम्मद, मौहल्ला सरायतरीन, लालकी, तहसील व जनपद सम्मल के विरुद्ध नियमानुसार पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की गणना की जाती है-

$$\text{Penalty/E.C. in (Rs.)} = \text{PI} \times \text{N} \times \text{R} \times \text{S} \times \text{LF}$$

Where

PI = Pollution Index of industrial section (Since the Category Red)= 80

N = Number of days of violation took place= 621

R = A factor in rupees for penalty= 250

S = Factor for scale of operation (small)= 0.5

LF = Location Factor (Based on population)= 1.0

Penalty/EC = 80 x 621 x 250 x 0.5 x 1.0

= 62,10,000.00 only

अतः उपरोक्तानुसार मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा उक्त प्रकरण में दिनांक 28.01.2026 को पारित आदेश के अनुपालन में उक्त इकाई श्री फतेह मौहम्मद, मौहल्ला सरायतरीन, लालकी, तहसील व जनपद सम्मल के विरुद्ध रु0 62,10,000.00 (बासठ लाख दस हजार रुपये मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की गणना की गयी है। आख्या आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

क्षेत्रीय अधिकारी महोदय

Kum
16/04/26

Anil K
16-04-26
(अनिल कुमार)
वैज्ञानिक सहायक

Suman
16/04/2026
(संतोष कुमार)
सहायक पर्यावरण अभियन्ता

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-7), महोदय



क्षेत्रीय कार्यालय
उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
1-ए/आई.एन.एस.-1, आवास विकास कालोनी, बौद्ध विहार,
दिल्ली रोड, गुरादाबाद

ई-मेल : romoradabad@uppcb.in, दूरभाष : 0591-2972012

पत्र संख्या : 838 / 130 / 25 / जनरल

दिनांक : 16/04/2026

सेवा में,

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-7),
उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
लखनऊ।


विषय : माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित O.A. No. -130/2025 (I.A. No. -224/2025) वरुण गुलाटी बनाम स्टेट आफ उत्तर प्रदेश व अन्य में पारित आदेश दिनांक 28.01.2026 के अनुपालन में श्री अनिल सिंह पुत्र श्री शुभंकर सिंह एवं मौहम्मद हाशिम पुत्र श्री बाबू मौहल्ला पंजू सराय, कब्रिस्तान वाले मार्ग पर, थाना सम्मल, तहसील व जनपद सम्मल के विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की गणना किये जाने के संबंध में।


महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। तत्कम में अवगत कराना है कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित O.A. No. -130/2025 (I.A. No. -224/2025) वरुण गुलाटी बनाम स्टेट आफ उत्तर प्रदेश व अन्य में पारित आदेश दिनांक 28.01.2026 के अनुपालन में जीन्स वांशिंग प्लान्ट/इकाई श्री अनिल सिंह पुत्र श्री शुभंकर सिंह एवं मौहम्मद हाशिम पुत्र श्री बाबू मौहल्ला पंजू सराय, कब्रिस्तान वाले मार्ग पर, थाना सम्मल, तहसील व जनपद सम्मल के विरुद्ध ₹ 59,90,000.00 (उनसठ लाख नब्बे हजार रुपये मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की गणना की गयी है। आख्या संलग्नकर आपके अवलाकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्नक : उपरोक्तानुसार।

भवदीय


16/4/26
(देव कुमार गुप्ता)
क्षेत्रीय अधिकारी



माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित O.A. No. 130/2025 (I.A. No. 224/2025) वरुण गुलाटी बनाम स्टेट आफ उत्तर प्रदेश न अन्य में पारित आदेश दिनांक 20.01.2020 के अनुपालन में श्री अनिल सिंह पुत्र श्री शुभंकर सिंह एवं मौहम्मद हाशिम पुत्र श्री बाबू, मौहल्ला पंजू सराय, कब्रिस्तान वाले मार्ग पर, थाना राममल, तहसील व जनपद राममल के विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की गणना किये जाने के संबंध में आख्या-

उपरोक्त विषयक के संबंध में अवगत कराना है कि उक्त इकाई की स्थापना/संचालन वर्ष/दिनांक के संबंध में कोई सूचना कार्यालय अभिलेखों में उपलब्ध नहीं है। उक्त इकाई के अवैध संचालन के संदर्भ में उत्तमधनकारी दिवसों की गणना हेतु कार्यालय में उपलब्ध पत्रावली के परिशीलनोपरान्त संज्ञान में आया कि अधिकारकर्ता/शिकायतकर्ता श्री वरुण गुलाटी, निवासी ए-66, फर्स्ट फ्लोर, गणेश नगर, तिलक नगर, नई दिल्ली द्वारा आई0जी0आर0एस0 पोर्टल पर संदर्भ दिनांक 15.12.2023 के माध्यम से जनपद सम्मल में अवैध रूप में संचालित जीन्स वाशिंग इकाईयों के विरुद्ध पूर्व में शिकायत की गयी थी।

अग्रेतर अवगत कराना है कि कार्यालय अभिलेखानुसार जिलाधिकारी महोदय, सम्मल के कार्यालय आदेश संख्या- 487/आ0लि0-आ0जि0सं0 दिनांक 17.07.2025 द्वारा गठित संयुक्त जांच समिति द्वारा दिनांक 04.08.2025 को इकाई के औचक निरीक्षण के दौरान शिकायत की पुष्टि की गयी तथा इकाई के विद्युत कनेक्शन को विच्छेदित कराये जाने का कार्य किया गया था।

उपरोक्तानुसार उक्त इकाई की स्थापना/संचालन के संबंध में कोई सूचना कार्यालय अभिलेखों में उपलब्ध न होने के कारण शिकायतकर्ता द्वारा प्रेषित उक्त शिकायत दिनांक 15.12.2023 को इकाई की स्थापना/संचालन का आधार मानकर उक्त इकाई के अवैध संचालन की अवधि दिनांक 15.12.2023 से दिनांक 04.08.2025 (विद्युत विच्छेदन की तिथि तक) तक कुल 599 दिन को डिफाल्टर दिवस मानते हुये केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली के पत्र दिनांक 08.02.2019 द्वारा पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति का आंकलन करते हुये जारी मार्गदर्शिका के अनुसार उक्त इकाई श्री अनिल सिंह पुत्र श्री शुभंकर सिंह एवं मौहम्मद हाशिम पुत्र श्री बाबू, मौहल्ला पंजू सराय, कब्रिस्तान वाले मार्ग पर, थाना सम्मल, तहसील व जनपद सम्मल के विरुद्ध नियमानुसार पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की गणना की जाती है-

Penalty/E.C. in (Rs.)= PI x N x R x S x LF

Where

PI = Pollution Index of industrial section (Since the Category Red)= 80

N = Number of days of violation took place= 599

R = A factor in rupees for penalty= 250

S = Factor for scale of opration (small)= 0.5

LF = Location Factor (Based on population)= 1.0

Penalty/EC = 80 x 599 x 250 x 0.5 x 1.0

= 59,90,000.00 only

अतः उपरोक्तानुसार मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा उक्त प्रकरण में दिनांक 28.01.2026 को पारित आदेश के अनुपालन में उक्त इकाई श्री अनिल सिंह पुत्र श्री शुभंकर सिंह एवं मौहम्मद हाशिम पुत्र श्री बाबू, मौहल्ला पंजू सराय, कब्रिस्तान वाले मार्ग पर, थाना सम्मल, तहसील व जनपद सम्मल के विरुद्ध रु0 59,90,000.00 (उनसठ लाख नब्बे हजार रुपये मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की गणना की गयी है। आख्या आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

Anil Singh
16/04/26

(अनिल कुमार)

वैज्ञानिक सहायक

Suman
16/04/26

(संतोष कुमार)

सहायक पर्यावरण अभियन्ता

क्षेत्रीय अधिकारी महोदय

Suman
16/04/26

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-7). महोदय



क्षेत्रीय कार्यालय
उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
१-ए/आर्.एन.एस.-१, आधारा बिकारा कालोनी, बौद्ध विहार,
दिल्ली रोड, गुरादाबाद

ई-मेल : romoradabad@uppcb.in, दूरभाष : 0591-2972012

पत्र संख्या : ...८३०/...१३/१३०/२५/०१/२०२५

दिनांक : १६/०४/२०२६

सेवा में,

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-७),
उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
लखनऊ।

विषय : माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित O.A. No. -130/2025 (I.A. No. -224/2025) वरुण गुलाटी बनाम स्टेट आफ उत्तर प्रदेश व अन्य में पारित आदेश दिनांक 28.01.2028 के अनुपालन में श्री फैजान पुत्र श्री शेर अली, मौहल्ला तिमरदास सराय, बंगले वाली मस्जिद के पास एक गली के अन्दर, थाना सम्मल, तहसील व जनपद सम्मल के विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की गणना किये जाने के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। तत्कम में अवगत कराना है कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित O.A. No. -130/2025 (I.A. No. -224/2025) वरुण गुलाटी बनाम स्टेट आफ उत्तर प्रदेश व अन्य में पारित आदेश दिनांक 28.01.2028 के अनुपालन में जीन्स वांशिग प्लान्ट/इकाई श्री फैजान पुत्र श्री शेर अली, मौहल्ला तिमरदास सराय, बंगले वाली मस्जिद के पास एक गली के अन्दर, थाना सम्मल, तहसील व जनपद सम्मल के विरुद्ध ₹ 60,60,000.00 (साठ लाख साठ हजार रुपये मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की गणना की गयी है। आख्या संलग्नकर आपके अवलाकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्नक : उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(Signature)
16/4/26

(देव कुमार गुप्ता)
क्षेत्रीय अधिकारी

(Signature)
A

माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में गोजित O.A. No. 130/2026 (I.A. No. 224/2025) वरुण गुलाटी बनाम स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश व अन्य में पारित आदेश दिनांक 28.01.2026 के अनुपालन में श्री फैजान पुत्र श्री शेर अली, मौहल्ला तिमरदास सराय, बंगले वाली मस्जिद के पास एक गली के अन्दर, थाना सम्भल, तहसील व जनपद सम्भल के विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की गणना विधे जाने के संबंध में आख्या-

उपरोक्त विषयक के संबंध में अवगत कराना है कि उक्त इकाई की स्थापना/संचालन वर्ष/दिनांक के संबंध में कोई सूचना कार्यालय अभिलेखों में उपलब्ध नहीं है। उक्त इकाई के अवैध संचालन के संदर्भ में उत्त्नेहनकारी दिवसों की गणना हेतु कार्यालय में उपलब्ध पत्रावली के परिशीलनोपरान्त संज्ञान में आया कि प्राधिकारकर्ता/शिकायतकर्ता श्री वरुण गुलाटी, निवासी ए-66, फर्स्ट फ्लोर, गणेश नगर, तिलक नगर, नई दिल्ली द्वारा आई0जी0आर0एस0 पोर्टल पर संदर्भ दिनांक 15.12.2023 के माध्यम से जनपद सम्भल में अवैध रूप में संचालित जीन्स वांशिंग इकाईयों के विरुद्ध पूर्व में शिकायत की गयी थी।

अग्रेतर अवगत कराना है कि कार्यालय अभिलेखानुसार जिलाधिकारी महोदय, सम्भल के कार्यालय आदेश संख्या- 487/आ0लि0-आ0जि0सं0 दिनांक 17.07.2025 द्वारा गठित संयुक्त जांच समिति द्वारा दिनांक 11.08.2025 को इकाई के औचक निरीक्षण के दौरान शिकायत की पुष्टि की गयी तथा इकाई के विद्युत कनेक्शन को विच्छेदित कराये जाने का कार्य किया गया था।

उपरोक्तानुसार उक्त इकाई की स्थापना/संचालन के संबंध में कोई सूचना कार्यालय अभिलेखों में उपलब्ध न होने के कारण शिकायतकर्ता द्वारा प्रेषित उक्त शिकायत दिनांक 15.12.2023 को इकाई की स्थापना/संचालन का आधार मानकर उक्त इकाई के अवैध संचालन की अवधि दिनांक 15.12.2023 से दिनांक 11.08.2025 (विद्युत विच्छेदन की तिथि तक) तक कुल 606 दिन को डिफाल्टर दिवस मानते हुये केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली के पत्र दिनांक 08.02.2019 द्वारा पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति का आंकलन करते हुये जारी मार्गदर्शिका के अनुसार उक्त इकाई श्री फैजान पुत्र श्री शेर अली, मौहल्ला तिमरदास सराय, बंगले वाली मस्जिद के पास एक गली के अन्दर, थाना सम्भल, तहसील व जनपद सम्भल के विरुद्ध नियमानुसार पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की गणना की जाती है-

$$\text{Penalty/E.C. in (Rs.)} = PI \times N \times R \times S \times LF$$

Where

PI = Pollution Index of industrial section (Since the Category Red)= 80

N = Number of days of violation took place= 606

R = A factor in rupees for penalty= 250

S = Factor for scale of operation (small)= 0.5

LF = Location Factor (Based on population)= 1.0

$$\text{Penalty/EC} = 80 \times 606 \times 250 \times 0.5 \times 1.0$$

$$= 60,60,000.00 \text{ only}$$

अतः उपरोक्तानुसार मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा उक्त प्रकरण में दिनांक 28.01.2026 को पारित आदेश के अनुपालन में उक्त इकाई श्री फैजान पुत्र श्री शेर अली, मौहल्ला तिमरदास सराय, बंगले वाली मस्जिद के पास एक गली के अन्दर, थाना सम्भल, तहसील व जनपद सम्भल के विरुद्ध रु0 60,60,000.00 (साठ लाख साठ हजार रुपये मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की गणना की गयी है। आख्या आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

क्षेत्रीय अधिकारी महोदय

[Signature]
16/04/26

[Signature]
16/04/26

(अनिल कुमार)
वैज्ञानिक सहायक

[Signature]
16/04/26

(संतोष कुमार)
सहायक पर्यावरण अभियन्ता

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-7), महोदय



क्षेत्रीय कार्यालय
उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
1-ए/आर्.एन.एरा.-1, आवास भिकारा कालोनी, चौद विहार,
दिल्ली रोड, गुरादाबाद

ई-मेल : romoradabad@uppcb.in, दूरगाय : 0591-2972012

पत्र संख्या : ...840.../...13...130.../25/जब रल

दिनांक : 16/04/2026

सेवा में,

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-7),
उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
लखनऊ।


विषय : माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित O.A. No. -130/2025 (I.A. No. -224/2025) वरुण गुलाटी बनाम स्टेट आफ उत्तर प्रदेश व अन्य में पारित आदेश दिनांक 28.01.2026 के अनुपालन में श्री सुबहान पुत्र श्री अब्दुल कययूम एवं मो० खालिद पुत्र श्री अब्दुल कययूम, मौहल्ला हातिम सराय, हौज भदे सराय, थाना सम्मल, तहसील व जनपद सम्मल के विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की गणना किये जाने के संबंध में।


महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। तत्कम में अवगत कराना है कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित O.A. No. -130/2025 (I.A. No. -224/2025) वरुण गुलाटी बनाम स्टेट आफ उत्तर प्रदेश व अन्य में पारित आदेश दिनांक 28.01.2026 के अनुपालन में जीन्स वांशिग प्लान्ट/इकाई श्री सुबहान पुत्र श्री अब्दुल कययूम एवं मो० खालिद पुत्र श्री अब्दुल कययूम, मौहल्ला हातिम सराय, हौज भदे सराय, थाना सम्मल, तहसील व जनपद सम्मल के विरुद्ध ₹0.60,60,000.00 (साठ लाख साठ हजार रुपये मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की गणना की गयी है। आख्या संलग्नकर आपके अवलाकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्नक : उपरोक्तानुसार।

भवदीय


16/4/26
(देव कुमार गुप्ता)
क्षेत्रीय अधिकारी



माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में गीजित O.A. No. 1110/2026 (I.A. No. 224/2025) वरुण गुलाटी बनाम स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश व अन्य में पारित आदेश दिनांक 28.01.2026 को अनुपालन में श्री सुबहान पुत्र श्री अब्दुल कययूम एवं मो० खालिद पुत्र श्री अब्दुल कययूम, मौहल्ला हातिम सराय, हौज भदे सराय, थाना सम्भल, तहसील व जनपद सम्भल के विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की गणना करने के संबंध में आख्या-

उपरोक्त विषयक के संकेत में अतगत कराना है कि उक्त इकाई की स्थापना/संचालन वर्ष/दिनांक के संबंध में कोई सूचना कार्यालय अभिलेखों में उपलब्ध नहीं है। उक्त इकाई के अवैध संचालन के संदर्भ में उल्लेखनीय दिवसों की गणना हेतु कार्यालय में उपलब्ध पत्रावली के परिशीलनोपरान्त संज्ञान में आया कि शासिकाकर्ता/शिकायतकर्ता श्री वरुण गुलाटी, निवासी ए-88, फार्स्ट फ्लोर, गणेश नगर, तिलक नगर, नई दिल्ली द्वारा आई०जी०आर०एस० पोर्टल पर संदर्भ दिनांक 16.12.2023 के माध्यम से जनपद सम्भल में अवैध रूप में संचालित जीन्स वाशिंग इकाईयों के विरुद्ध पूर्व में शिकायत की गयी थी।

अग्रेतर अवगत कराना है कि कार्यालय अभिलेखानुसार जिलाधिकारी महोदय, सम्भल के कार्यालय आदेश संख्या- 487/आ०लि०-आ०जि०सं० दिनांक 17.07.2025 द्वारा गठित संयुक्त जांच समिति द्वारा दिनांक 11.08.2025 को इकाई के औचक निरीक्षण के दौरान शिकायत की पुष्टि की गयी तथा इकाई के विद्युत कनेक्शन को विच्छेदित कराये जाने का कार्य किया गया था।

उपरोक्तानुसार उक्त इकाई की स्थापना/संचालन के संबंध में कोई सूचना कार्यालय अभिलेखों में उपलब्ध न होने के कारण शिकायतकर्ता द्वारा प्रेषित उक्त शिकायत दिनांक 15.12.2023 को इकाई की स्थापना/संचालन का आधार मानकर उक्त इकाई के अवैध संचालन की अवधि दिनांक 15.12.2023 से दिनांक 11.08.2025 (विद्युत विच्छेदन की तिथि तक) तक कुल 606 दिन को डिफाल्टर दिवस मानते हुये केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली के पत्र दिनांक 08.02.2019 द्वारा पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति का आंकलन करते हुये जारी मार्गदर्शिका के अनुसार उक्त इकाई श्री सुबहान पुत्र श्री अब्दुल कययूम एवं मो० खालिद पुत्र श्री अब्दुल कययूम, मौहल्ला हातिम सराय, हौज भदे सराय, थाना सम्भल, तहसील व जनपद सम्भल के विरुद्ध नियमानुसार पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की गणना की जाती है-

$$\text{Penalty/E.C. in (Rs.)} = \text{PI} \times \text{N} \times \text{R} \times \text{S} \times \text{LF}$$

Where

$$\text{PI} = \text{Pollution Index of industrial section (Since the Category Red)} = 80$$

$$\text{N} = \text{Number of days of violation took place} = 606$$

$$\text{R} = \text{A factor in rupees for penalty} = 250$$


$$\text{S} = \text{Factor for scale of opration (small)} = 0.5$$


$$\text{LF} = \text{Location Factor (Based on population)} = 1.0$$

$$\text{Penalty/EC} = 80 \times 606 \times 250 \times 0.5 \times 1.0$$


$$= 60,60,000.00 \text{ only}$$

अतः उपरोक्तानुसार मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा उक्त प्रकरण में दिनांक 28.01.2026 को पारित आदेश के अनुपालन में उक्त इकाई श्री सुबहान पुत्र श्री अब्दुल कययूम एवं मो० खालिद पुत्र श्री अब्दुल कययूम, मौहल्ला हातिम सराय, हौज भदे सराय, थाना सम्भल, तहसील व जनपद सम्भल के विरुद्ध रु० 60,60,000.00 (साठ लाख साठ हजार रुपये मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की गणना की गयी है। आख्या आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।


(अनिल कुमार)
वैज्ञानिक सहायक


(संतोष कुमार)
सहायक पर्यावरण अभियन्ता

क्षेत्रीय अधिकारी महोदय


16/4/26

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-7), महोदय



क्षेत्रीय कार्यालय
उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
1-ए/आई.एन.एरा.-1, आबारा विकास कालोनी, बौद्ध विहार,
दिल्ली रोड, गुरामावाय

ई-मेल : romoradabad@uppecb.in, दूरभाष : 0501-2072012

पत्र संख्या : 84/...../N-13/130/25/जलरत्न

दिनांक : 16/04/2026

सेवा में,

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-7),
उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
लखनऊ।


विषय : माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित O.A. No. -130/2025 (I.A. No. -224/2025) वरुण गुलाटी बनाम स्टेट आफ उत्तर प्रदेश व अन्य में पारित आदेश दिनांक 28.01.2026 के अनुपालन में श्री मरगूब पुत्र श्री मकसूद, ग्राम रुकनुददीन सराय में स्थित बिजलीघर से करबला को जाने वाले मार्ग पर ग्राम तुर्तीपुर इल्हा, तहसील व जनपद सम्मल के विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की गणना किये जाने के संबंध में।


महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। तत्कम में अवगत कराना है कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित O.A. No. -130/2025 (I.A. No. -224/2025) वरुण गुलाटी बनाम स्टेट आफ उत्तर प्रदेश व अन्य में पारित आदेश दिनांक 28.01.2026 के अनुपालन में जीन्स वांशिंग प्लान्ट/इकाई श्री मरगूब पुत्र श्री मकसूद, ग्राम रुकनुददीन सराय में स्थित बिजलीघर से करबला को जाने वाले मार्ग पर ग्राम तुर्तीपुर इल्हा, तहसील व जनपद सम्मल के विरुद्ध ₹0 61,60,000.00 (इकसठ लाख साठ हजार रुपये मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की गणना की गयी है। आख्या संलग्नकर आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्नक : उपरोक्तानुसार।

भवदीय


16/4/26
(देव कुमार गुप्ता)
क्षेत्रीय अधिकारी



माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में घोषित O.A. No. -130/2025 (I.A. No. -224/2025) वरुण गुलाटी बनाम स्टेट आफ उत्तर प्रदेश व अन्य में पारित आदेश दिनांक 20.01.2020 के अनुपालन में श्री मरगूब पुत्र श्री मकसूद, ग्राम रुकनुददीन सराय में स्थित बिजलीघर से करबला को जाने वाले मार्ग पर ग्राम तुर्तीपुर इल्हा, तहसील व जनपद सम्मल के विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की गणना किये जाने के संबंध में आख्या-

उपरोक्त विषयक के संबंध में अवगत कराना है कि उक्त इकाई की स्थापना/संचालन वर्ष/दिनांक के संबंध में कोई सूचना कार्यालय अभिलेखों में उपलब्ध नहीं है। उक्त इकाई के अवैध संचालन के संदर्भ में उत्तरोत्तर दिवसों की गणना हेतु कार्यालय में उपलब्ध पत्रावली के परिशीलनोपरान्त संज्ञान में आया कि पारिभाषिक/शिकायतकर्ता श्री वरुण गुलाटी, निवासी ए-00, फर्स्ट फ्लोर, गणेश नगर, तिलक नगर, नई दिल्ली द्वारा आई0जी0आर0एस0 पोर्टल पर संदर्भ दिनांक 15.12.2023 के माध्यम से जनपद सम्मल में अवैध रूप में संचालित जीन्स वॉशिंग इकाईयों के विरुद्ध पूर्व में शिकायत की गयी थी।

अधेतर अवगत कराना है कि कार्यालय अभिलेखानुसार जिलाधिकारी महोदय, सम्मल के कार्यालय आदेश संख्या- 487/आ0लि0-आ0जि0सं0 दिनांक 17.07.2025 द्वारा गठित संयुक्त जांच समिति द्वारा दिनांक 21.08.2025 को इकाई के औचक निरीक्षण के दौरान शिकायत की पुष्टि की गयी तथा इकाई के विद्युत कनेक्शन को विच्छेदित करायें जाने का कार्य किया गया था।

उपरोक्तानुसार उक्त इकाई की स्थापना/संचालन के संबंध में कोई सूचना कार्यालय अभिलेखों में उपलब्ध न होने के कारण शिकायतकर्ता द्वारा प्रेषित उक्त शिकायत दिनांक 15.12.2023 को इकाई की स्थापना/संचालन का आधार मानकर उक्त इकाई के अवैध संचालन की अवधि दिनांक 15.12.2023 से दिनांक 21.08.2025 (विद्युत विच्छेदन की तिथि तक) तक कुल 616 दिन को डिफाल्टर दिवस मानते हुये केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली के पत्र दिनांक 08.02.2019 द्वारा पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति का आंकलन करते हुये जारी मार्गदर्शिका के अनुसार उक्त इकाई श्री मरगूब पुत्र श्री मकसूद, ग्राम रुकनुददीन सराय में स्थित बिजलीघर से करबला को जाने वाले मार्ग पर ग्राम तुर्तीपुर इल्हा, तहसील व जनपद सम्मल के विरुद्ध नियमानुसार पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की गणना की जाती है-

$$\text{Penalty/E.C. in (Rs.)} = \text{PI} \times \text{N} \times \text{R} \times \text{S} \times \text{LF}$$

Where

PI = Pollution Index of industrial section (Since the Category Red)= 80

N = Number of days of violation took place= 616

R = A factor in rupees for penalty= 250

S = Factor for scale of operation (small)= 0.5

LF = Location Factor (Based on population)= 1.0

$$\text{Penalty/EC} = 80 \times 616 \times 250 \times 0.5 \times 1.0$$

$$= 61,60,000.00 \text{ only}$$

अतः उपरोक्तानुसार मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा उक्त प्रकरण में दिनांक 28.01.2026 को पारित आदेश के अनुपालन में उक्त इकाई श्री मरगूब पुत्र श्री मकसूद, ग्राम रुकनुददीन सराय में स्थित बिजलीघर से करबला को जाने वाले मार्ग पर ग्राम तुर्तीपुर इल्हा, तहसील व जनपद सम्मल के विरुद्ध रु0 61,60,000.00 (इकसठ लाख साठ हजार रुपये मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की गणना की गयी है। आख्या आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

Anil Kumar
16/04/26
(अनिल कुमार)
वैज्ञानिक सहायक

Suman
16/04/26
(संतोष कुमार)
सहायक पर्यावरण अभियन्ता

क्षेत्रीय अधिकारी महोदय

Suman
16/04/26

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-7), महोदय



क्षेत्रीय कार्यालय
उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
1-ए/आई.एन.एस.-1, आवास विकास कालोनी, वीरधर विहार,
दिल्ली रोड, गुरादाबाद

ई-मेल : romoradabad@uppcb.in, दूरभाष : 0591-2972012

पत्र संख्या : 842/NB/130/25/जनरल

दिनांक : 16/04/2026

सेवा में,


मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-7),
उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
लखनऊ।

विषय : माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित O.A.No.-130/2025 (I.A.No.-224/2025) वरुण गुलाटी बनाम स्टेट आफ उत्तर प्रदेश व अन्य में पारित आदेश दिनांक 28.01.2026 के अनुपालन में श्री अजीमुर्रहमान पुत्र श्री सगीर अहमद, ग्राम रुकनुद्दीन सराय में स्थित बिजलीघर से करबला को जाने वाले मार्ग पर ग्राम तुर्तीपुर इल्हा, तहसील व जनपद सम्मल के विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की गणना किये जाने के संबंध में।

महोदय,
कृपया उपरोक्त विषयक का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। तत्कम में अवगत कराना है कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित O.A.No.-130/2025 (I.A.No.-224/2025) वरुण गुलाटी बनाम स्टेट आफ उत्तर प्रदेश व अन्य में पारित आदेश दिनांक 28.01.2026 के अनुपालन में जीन्स वांशिंग प्लान्ट/इकाई श्री अजीमुर्रहमान पुत्र श्री सगीर अहमद, ग्राम रुकनुद्दीन सराय में स्थित बिजलीघर से करबला को जाने वाले मार्ग पर ग्राम तुर्तीपुर इल्हा, तहसील व जनपद सम्मल के विरुद्ध रु 61,60,000.00 (इकसठ लाख साठ हजार रुपये मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की गणना की गयी है। आख्या संलग्नकर आपके अवलाकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्नक : उपरोक्तानुसार।

भवदीय


16/4/26
(देव कुमार गुप्ता)
क्षेत्रीय अधिकारी

माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित O.A. No. -130/2025 (I.A. No. -224/2025) वरुण गुलाटी बनाम स्टेट आफ उत्तर प्रदेश व अन्य में पारित आदेश दिनांक 28.01.2026 के अनुपालन में श्री अजीमुर्रहमान पुत्र श्री सगीर अहमद, ग्राम रूकनुद्दीन सराय में स्थित बिजलीघर से करबला को जाने वाले मार्ग पर ग्राम तुर्तीपुर इल्हा, तहसील व जनपद सम्भल के विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की गणना किये जाने के संबंध में आख्या-

उपरोक्त विषयक के संबंध में अवगत कराना है कि उक्त इकाई की स्थापना/संचालन वर्ष/दिनांक के संबंध में कोई सूचना कार्यालय अभिलेखों में उपलब्ध नहीं है। उक्त इकाई के अवैध संचालन के संदर्भ में उल्लंघनकारी दिवसों की गणना हेतु कार्यालय में उपलब्ध पत्रावली के परिशीलनोपरान्त संज्ञान में आया कि याचिकाकर्ता/शिकायतकर्ता श्री वरुण गुलाटी, निवासी ए-86, फर्स्ट फ्लोर, गणेश नगर, तिलक नगर, नई दिल्ली द्वारा आई0जी0आर0एस0 पोर्टल पर संदर्भ दिनांक 15.12.2023 के माध्यम से जनपद सम्भल में अवैध रूप में संचालित जीन्स वाशिंग इकाईयों के विरुद्ध पूर्व में शिकायत की गयी थी।

अग्रेतर अवगत कराना है कि कार्यालय अभिलेखानुसार जिलाधिकारी महोदय, सम्भल के कार्यालय आदेश संख्या- 487/आ0लि0-आ0जि0सं0 दिनांक 17.07.2025 द्वारा गठित संयुक्त जांच समिति द्वारा दिनांक 21.08.2025 को इकाई के औचक निरीक्षण के दौरान शिकायत की पुष्टि की गयी तथा इकाई के विद्युत कनेक्शन को विच्छेदित कराये जाने का कार्य किया गया था।

उपरोक्तानुसार उक्त इकाई की स्थापना/संचालन के संबंध में कोई सूचना कार्यालय अभिलेखों में उपलब्ध न होने के कारण शिकायतकर्ता द्वारा प्रेषित उक्त शिकायत दिनांक 15.12.2023 को इकाई की स्थापना/संचालन का आधार मानकर उक्त इकाई के अवैध संचालन की अवधि दिनांक 15.12.2023 से दिनांक 21.08.2025 (विद्युत विच्छेदन की तिथि तक) तक कुल 616 दिन को डिफाल्टर दिवस मानते हुये केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली के पत्र दिनांक 08.02.2019 द्वारा पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति का आंकलन करते हुये जारी मार्गदर्शिका के अनुसार उक्त इकाई श्री अजीमुर्रहमान पुत्र श्री सगीर अहमद, ग्राम रूकनुद्दीन सराय में स्थित बिजलीघर से करबला को जाने वाले मार्ग पर ग्राम तुर्तीपुर इल्हा, तहसील व जनपद सम्भल के विरुद्ध नियमानुसार पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की गणना की जाती है-

$$\text{Penalty/E.C. in (Rs.)} = \text{PI} \times \text{N} \times \text{R} \times \text{S} \times \text{LF}$$

Where

$$\text{PI} = \text{Pollution Index of industrial section (Since the Category Red)} = 80$$

$$\text{N} = \text{Number of days of violation took place} = 616$$

$$\text{R} = \text{A factor in rupees for penalty} = 250$$

$$\text{S} = \text{Factor for scale of opration (small)} = 0.5$$

$$\text{LF} = \text{Location Factor (Based on population)} = 1.0$$

$$\text{Penalty/EC} = 80 \times 616 \times 250 \times 0.5 \times 1.0$$

$$= 61,60,000.00 \text{ only}$$

अतः उपरोक्तानुसार मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा उक्त प्रकरण में दिनांक 28.01.2026 को पारित आदेश के अनुपालन में उक्त इकाई श्री अजीमुर्रहमान पुत्र श्री सगीर अहमद, ग्राम रूकनुद्दीन सराय में स्थित बिजलीघर से करबला को जाने वाले मार्ग पर ग्राम तुर्तीपुर इल्हा, तहसील व जनपद सम्भल के विरुद्ध रु0 61,60,000.00 (इकसठ लाख साठ हजार रुपये मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की गणना की गयी है। आख्या आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

Anil Kumar
(अनिल कुमार)
वैज्ञानिक सहायक

Suman
16/04/26
(संतोष कुमार)
सहायक पर्यावरण अभियन्ता

क्षेत्रीय अधिकारी महोदय

Kumar
16/4/26

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-7), महोदय



क्षेत्रीय कार्यालय
उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
1-ए/आर्.एन.एस.-1, आचार्य विहार कालोनी, बौद्ध विहार,
दिल्ली रोड, गुरादाबाद

ई-मेल : romoradabad@uppcb.in, दूरभाष : 0591-2972012

पत्र संख्या : 843 / N-13 / 130 / 25 / जनरल

दिनांक : 16/04/2026

सेवा में,

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-7),
उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
लखनऊ।


विषय : माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित O.A. No. -130/2025 (I.A. No. -224/2025) वरुण गुलाटी बनाम स्टेट आफ उत्तर प्रदेश व अन्य में पारित आदेश दिनांक 28.01.2026 के अनुपालन में श्री सफदर पुत्र श्री अकबर, ग्राम रुकनुददीन सराय में स्थित बिजलीघर से करबला को जाने वाले मार्ग पर ग्राम तुर्तीपुर इल्हा, तहसील व जनपद सम्मल के विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की गणना किये जाने के संबंध में।


महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। तत्कम में अवगत कराना है कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित O.A. No. -130/2025 (I.A. No. -224/2025) वरुण गुलाटी बनाम स्टेट आफ उत्तर प्रदेश व अन्य में पारित आदेश दिनांक 28.01.2026 के अनुपालन में जीन्स वांशिंग प्लान्ट/इकाई श्री सफदर पुत्र श्री अकबर, ग्राम रुकनुददीन सराय में स्थित बिजलीघर से करबला को जाने वाले मार्ग पर ग्राम तुर्तीपुर इल्हा, तहसील व जनपद सम्मल के विरुद्ध रु० 61,60,000.00 (इकसठ लाख साठ हजार रुपये मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की गणना की गयी है। आख्या संलग्नकर आपके अवलाकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्नक : उपरोक्तानुसार।

भवदीय


16/4/26
(देव कुमार गुप्ता)
क्षेत्रीय अधिकारी



माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित O.A. No.-130/2025 (I.A. No.-224/2025) वरुण गुलाटी बनाम स्टेट आफ उत्तर प्रदेश व अन्य में पारित आदेश दिनांक 28.01.2020 के अनुपालन में श्री सफदर पुत्र श्री अकबर, ग्राम रूकनुद्दीन सराय में स्थित बिजलीघर से करबला को जाने वाले मार्ग पर ग्राम तुर्तीपुर इल्हा, तहसील व जनपद सम्मल के विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की गणना किये जाने के संबंध में आख्या-

उपरोक्त विषयक के संबंध में अवगत कराना है कि उक्त इकाई की स्थापना/संचालन वर्ष/दिनांक के संबंध में कोई सूचना कार्यालय अभिलेखों में उपलब्ध नहीं है। उक्त इकाई के अवैध संचालन के संदर्भ में उत्त्नेधनकारी दिवसों की गणना हेतु कार्यालय में उपलब्ध पत्रावली के परिशीलनोपरान्त संज्ञान में आया कि याचिकाकर्ता/शिकायतकर्ता श्री वरुण गुलाटी, निवासी ए-68, फर्स्ट फ्लोर, गणेश नगर, तिलक नगर, नई दिल्ली द्वारा आई0जी0आर0एस0 पोर्टल पर संदर्भ दिनांक 15.12.2023 के माध्यम से जनपद सम्मल में अवैध रूप में संचालित जीन्स वाशिंग इकाईयों के विरुद्ध पूर्व में शिकायत की गयी थी।

अग्रेतर अवगत कराना है कि कार्यालय अभिलेखानुसार जिलाधिकारी महोदय, सम्मल के कार्यालय आदेश संख्या- 487/आ0लि0-आ0जि0सं0 दिनांक 17.07.2025 द्वारा गठित संयुक्त जांच समिति द्वारा दिनांक 21.08.2025 को इकाई के औचक निरीक्षण के दौरान शिकायत की पुष्टि की गयी तथा इकाई के विद्युत कनेक्शन को विच्छेदित कराये जाने का कार्य किया गया था।

उपरोक्तानुसार उक्त इकाई की स्थापना/संचालन के संबंध में कोई सूचना कार्यालय अभिलेखों में उपलब्ध न होने के कारण शिकायतकर्ता द्वारा प्रेषित उक्त शिकायत दिनांक 15.12.2023 को इकाई की स्थापना/संचालन का आधार मानकर उक्त इकाई के अवैध संचालन की अवधि दिनांक 15.12.2023 से दिनांक 21.08.2025 (विद्युत विच्छेदन की तिथि तक) तक कुल 616 दिन को डिफाल्टर दिवस मानते हुये केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली के पत्र दिनांक 08.02.2019 द्वारा पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति का आंकलन करते हुये जारी मार्गदर्शिका के अनुसार उक्त इकाई श्री सफदर पुत्र श्री अकबर, ग्राम रूकनुद्दीन सराय में स्थित बिजलीघर से करबला को जाने वाले मार्ग पर ग्राम तुर्तीपुर इल्हा, तहसील व जनपद सम्मल के विरुद्ध नियमानुसार पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की गणना की जाती है-

$$\text{Penalty/E.C. in (Rs.)} = \text{PI} \times \text{N} \times \text{R} \times \text{S} \times \text{LF}$$

Where

$$\text{PI} = \text{Pollution Index of industrial section (Since the Category Red)} = 80$$

$$\text{N} = \text{Number of days of violation took place} = 616$$

$$\text{R} = \text{A factor in rupees for penalty} = 250$$

$$\text{S} = \text{Factor for scale of operation (small)} = 0.5$$

$$\text{LF} = \text{Location Factor (Based on population)} = 1.0$$

$$\text{Penalty/EC} = 80 \times 616 \times 250 \times 0.5 \times 1.0$$

$$= 61,60,000.00 \text{ only}$$

अतः उपरोक्तानुसार मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा उक्त प्रकरण में दिनांक 28.01.2026 को पारित आदेश के अनुपालन में उक्त इकाई श्री सफदर पुत्र श्री अकबर, ग्राम रूकनुद्दीन सराय में स्थित बिजलीघर से करबला को जाने वाले मार्ग पर ग्राम तुर्तीपुर इल्हा, तहसील व जनपद सम्मल के विरुद्ध रु0 61,60,000.00 (इकसठ लाख साठ हजार रुपये मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की गणना की गयी है। आख्या आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

Anil Kumar
16/04/26

(अनिल कुमार)

वैज्ञानिक सहायक

Suman
16/04/26

(संतोष कुमार)

सहायक पर्यावरण अभियन्ता

क्षेत्रीय अधिकारी महोदय

Suman
16/04/26

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-7), महोदय



क्षेत्रीय कार्यालय
उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
१-ए/आई.एन.एरा.-१, आचारा धिकारा कालोनी, बौद्ध विहार,
दिल्ली रोड, गुरामाबाद
ई-मेल : romoradabad@uppcb.in, तूरगाण : 0591-2972012

पत्र संख्या : २५५ / १३ / १३० / २५ / १०१२८

दिनांक : १६/०४/२०२६

सेवा में,


मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-७),
उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
लखनऊ।

विषय : माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित O.A. No. -130/2025 (I.A. No. -224/2025) वरुण गुलाटी बनाम स्टेट आफ उत्तर प्रदेश व अन्य में पारित आदेश दिनांक 28.01.2026 के अनुपालन में श्री बिलाल पुत्र श्री अनवार, ग्राम रूकनुददीन सराय में स्थित बिजलीघर से करबला को जाने वाले मार्ग पर ग्राम तुर्तीपुर इल्हा, तहसील व जनपद सम्मल के विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की गणना किये जाने के संबंध में।

महोदय,


कृपया उपरोक्त विषयक का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। तत्कम में अवगत कराना है कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित O.A. No. -130/2025 (I.A. No. -224/2025) वरुण गुलाटी बनाम स्टेट आफ उत्तर प्रदेश व अन्य में पारित आदेश दिनांक 28.01.2026 के अनुपालन में जीन्स वांशिग प्लान्ट/इकाई श्री बिलाल पुत्र श्री अनवार, ग्राम रूकनुददीन सराय में स्थित बिजलीघर से करबला को जाने वाले मार्ग पर ग्राम तुर्तीपुर इल्हा, तहसील व जनपद सम्मल के विरुद्ध रु० 61,60,000.00 (इकसठ लाख साठ हजार रुपये मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की गणना की गयी है। आख्या संलग्नकर आपके अवलाकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

भवदीय


16/4/26

(देव कुमार गुप्ता)
क्षेत्रीय अधिकारी

संलग्नक : उपरोक्तानुसार।



माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में गोरिता O.A. No. 110/2026 (I.A. No. 224/2025) वरुण गुलाटी बनाम स्टेट आफ उत्तर प्रदेश व अन्य में भारत आदेश दिनांक 28.01.2020 को अनुपालन में श्री बिलाल पुत्र श्री अनवार, ग्राम रुकनुददीन सराय में स्थित बिजलीघर से करबला को जाने वाले मार्ग पर ग्राम तुर्तीपुर इल्हा, तहसील व जनपद सम्मल के विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की गणना मिये जाने के संबंध में आख्या—

उपरोक्त विषयक के संबंध में अवगत कराना है कि उक्त इकाई की स्थापना/संचालन वर्ष/दिनांक के संबंध में कोई सूचना कार्यालय अभिलेखों में उपलब्ध नहीं है। उक्त इकाई के अवैध संचालन के संदर्भ में उत्सोहनकारी दिवसों की गणना हेतु कार्यालय में उपलब्ध पत्रायली के परिशीलनोपरान्त संज्ञान में आया कि शिकायतकर्ता/शिकायतकर्ता श्री वरुण गुलाटी, निवासी ए-86, फर्स्ट फ्लोर, गणेश नगर, तिलक नगर, नई दिल्ली द्वारा आईओजीआरएस पोर्टल पर संदर्भ दिनांक 15.12.2023 के माध्यम से जनपद सम्मल में अवैध रूप में संचालित जीन्स बांशिंग इकाईयों के विरुद्ध पूर्व में शिकायत की गयी थी।

अग्रेतर अवगत कराना है कि कार्यालय अभिलेखानुसार जिलाधिकारी महोदय, सम्मल के कार्यालय आदेश संख्या- 487/आ0लि0-आ0जि0सं0 दिनांक 17.07.2025 द्वारा गठित संयुक्त जांच समिति द्वारा दिनांक 21.08.2025 को इकाई के औचक निरीक्षण के दौरान शिकायत की पुष्टि की गयी तथा इकाई के विद्युत कनेक्शन को विच्छेदित कराये जाने का कार्य किया गया था।

उपरोक्तानुसार उक्त इकाई की स्थापना/संचालन के संबंध में कोई सूचना कार्यालय अभिलेखों में उपलब्ध न होने के कारण शिकायतकर्ता द्वारा प्रेषित उक्त शिकायत दिनांक 15.12.2023 को इकाई की स्थापना/संचालन का आधार मानकर उक्त इकाई के अवैध संचालन की अवधि दिनांक 15.12.2023 से दिनांक 21.08.2025 (विद्युत विच्छेदन की तिथि तक) तक कुल 616 दिन को डिफाल्टर दिवस मानते हुये केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली के पत्र दिनांक 08.02.2019 द्वारा पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति का आंकलन करते हुये जारी मार्गदर्शिका के अनुसार उक्त इकाई श्री बिलाल पुत्र श्री अनवार, ग्राम रुकनुददीन सराय में स्थित बिजलीघर से करबला को जाने वाले मार्ग पर ग्राम तुर्तीपुर इल्हा, तहसील व जनपद सम्मल के विरुद्ध नियमानुसार पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की गणना की जाती है—

$$\text{Penalty/EC. in (Rs.)} = \text{PI} \times \text{N} \times \text{R} \times \text{S} \times \text{LF}$$

Where

$$\text{PI} = \text{Pollution Index of industrial section (Since the Category Red)} = 80$$

$$\text{N} = \text{Number of days of violation took place} = 616$$

$$\text{R} = \text{A factor in rupees for penalty} = 250$$


$$\text{S} = \text{Factor for scale of opration (small)} = 0.5$$


$$\text{LF} = \text{Location Factor (Based on population)} = 1.0$$

$$\text{Penalty/EC} = 80 \times 616 \times 250 \times 0.5 \times 1.0$$


$$= 61,60,000.00 \text{ only}$$

अतः उपरोक्तानुसार मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा उक्त प्रकरण में दिनांक 28.01.2026 को पारित आदेश के अनुपालन में उक्त इकाई श्री बिलाल पुत्र श्री अनवार, ग्राम रुकनुददीन सराय में स्थित बिजलीघर से करबला को जाने वाले मार्ग पर ग्राम तुर्तीपुर इल्हा, तहसील व जनपद सम्मल के विरुद्ध रु0 61,60,000.00 (इकसठ लाख साठ हजार रुपये मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की गणना की गयी है। आख्या आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।


(अनिल कुमार)
वैज्ञानिक सहायक


(संतोष कुमार)
सहायक पर्यावरण अभियन्ता

क्षेत्रीय अधिकारी महोदय


16/11/26

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-7), महोदय



क्षेत्रीय कार्यालय
उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
1-ए/आई.एन.एस.-1, आवास विकास कालोनी, बौद्ध विहार,
दिल्ली रोड, मुरादाबाद

ई-मेल : romoradabad@uppcb.in, दूरगाय : 0591-2972012

पत्र संख्या : ...८५/...१३/१३०/२५/जनरल

दिनांक : ६/०४/२०२६

सेवा में,

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-7),
उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
लखनऊ।


विषय : माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित O.A. No. -130/2025 (I.A. No. -224/2025) वरुण गुलाटी बनाम स्टेट आफ उत्तर प्रदेश व अन्य में पारित आदेश दिनांक 28.01.2026 के अनुपालन में श्री याकूब पुत्र मो. फेजान, ग्राम रूकनुददीन सराय में स्थित बिजलीघर से करबला को जाने वाले मार्ग पर ग्राम तुर्तीपुर इल्हा, तहसील व जनपद सम्मल के विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की गणना किये जाने के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। तत्कम में अवगत कराना है कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित O.A. No. -130/2025 (I.A. No. -224/2025) वरुण गुलाटी बनाम स्टेट आफ उत्तर प्रदेश व अन्य में पारित आदेश दिनांक 28.01.2026 के अनुपालन में जीन्स वांशिंग प्लान्ट/इकाई श्री याकूब पुत्र मो. फेजान, ग्राम रूकनुददीन सराय में स्थित बिजलीघर से करबला को जाने वाले मार्ग पर ग्राम तुर्तीपुर इल्हा, तहसील व जनपद सम्मल के विरुद्ध रु० 61,60,000.00 (इकसठ लाख साठ हजार रुपये मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की गणना की गयी है। आख्या संलग्नकर आपके अवलाकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्नक : उपरोक्तानुसार।

भवदीय


16/4/26
(देव कुमार गुप्ता)
क्षेत्रीय अधिकारी

माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित O.A. No. -130/2025 (I.A. No. -224/2025) वरुण गुलाटी बनाम स्टेट आफ उत्तर प्रदेश व अन्य में पारित आदेश दिनांक 28.01.2026 के अनुपालन में श्री याकूब पुत्र मो. फेजान, ग्राम रूकनुद्दीन सराय में स्थित बिजलीघर से करबला को जाने वाले मार्ग पर ग्राम तुर्तीपुर इल्हा, तहसील व जनपद सम्मल के विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की गणना किये जाने के संबंध में आख्या-

उपरोक्त विषयक के संबंध में अवगत कराना है कि उक्त इकाई की स्थापना/संचालन वर्ष/दिनांक के संबंध में कोई सूचना कार्यालय अभिलेखों में उपलब्ध नहीं है। उक्त इकाई के अवैध संचालन के संदर्भ में उल्लेखनीय दिवसों की गणना हेतु कार्यालय में उपलब्ध पत्रावली के परिशीलनोपरान्त संज्ञान में आया कि याचिकाकर्ता/शिकायतकर्ता श्री वरुण गुलाटी, निवासी ए-66, फर्स्ट फ्लोर, गणेश नगर, तिलक नगर, नई दिल्ली द्वारा आई0जी0आर0एस0 पोर्टल पर संदर्भ दिनांक 15.12.2023 के माध्यम से जनपद सम्मल में अवैध रूप में संचालित जीन्स वांशिग इकाईयों के विरुद्ध पूर्व में शिकायत की गयी थी।

अग्रेतर अवगत कराना है कि कार्यालय अभिलेखानुसार जिलाधिकारी महोदय, सम्मल के कार्यालय आदेश संख्या- 487/आ0लि0-आ0जि0सं0 दिनांक 17.07.2025 द्वारा गठित संयुक्त जांच समिति द्वारा दिनांक 21.08.2025 को इकाई के औचक निरीक्षण के दौरान शिकायत की पुष्टि की गयी तथा इकाई के विद्युत कनेक्शन को विच्छेदित कराये जाने का कार्य किया गया था।

उपरोक्तानुसार उक्त इकाई की स्थापना/संचालन के संबंध में कोई सूचना कार्यालय अभिलेखों में उपलब्ध न होने के कारण शिकायतकर्ता द्वारा प्रेषित उक्त शिकायत दिनांक 15.12.2023 को इकाई की स्थापना/संचालन का आधार मानकर उक्त इकाई के अवैध संचालन की अवधि दिनांक 15.12.2023 से दिनांक 21.08.2025 (विद्युत विच्छेदन की तिथि तक) तक कुल 616 दिन को डिफाल्टर दिवस मानते हुये केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली के पत्र दिनांक 08.02.2019 द्वारा पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति का आंकलन करते हुये जारी मार्गदर्शिका के अनुसार उक्त इकाई श्री याकूब पुत्र मो. फेजान, ग्राम रूकनुद्दीन सराय में स्थित बिजलीघर से करबला को जाने वाले मार्ग पर ग्राम तुर्तीपुर इल्हा, तहसील व जनपद सम्मल के विरुद्ध नियमानुसार पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की गणना की जाती है-

$$\text{Penalty/E.C. in (Rs.)} = \text{PI} \times \text{N} \times \text{R} \times \text{S} \times \text{LF}$$

Where

PI = Pollution Index of industrial section (Since the Category Red)= 80

N = Number of days of violation took place= 616

R = A factor in rupees for penalty= 250

S = Factor for scale of operation (small)= 0.5

LF = Location Factor (Based on population)= 1.0

$$\text{Penalty/EC} = 80 \times 616 \times 250 \times 0.5 \times 1.0$$

$$= 61,60,000.00 \text{ only}$$

अतः उपरोक्तानुसार मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा उक्त प्रकरण में दिनांक 28.01.2026 को पारित आदेश के अनुपालन में उक्त इकाई श्री याकूब पुत्र मो. फेजान, ग्राम रूकनुद्दीन सराय में स्थित बिजलीघर से करबला को जाने वाले मार्ग पर ग्राम तुर्तीपुर इल्हा, तहसील व जनपद सम्मल के विरुद्ध रु0 61,60,000.00 (इकसठ लाख साठ हजार रुपये मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की गणना की गयी है। आख्या आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

Anil Kumar

(अनिल कुमार)

वैज्ञानिक सहायक

Suman

(संतोष कुमार)

सहायक पर्यावरण अभियन्ता

क्षेत्रीय अधिकारी महोदय

Kumar

16/04/26

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-7), महोदय



क्षेत्रीय कार्यालय
उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
1-ए/आर्इ.एन.एस.-1, आवास विकास फालोनी, बौद्ध विहार,
दिल्ली रोड, गुरादाबाद

ई-मेल : romoradabad@uppcb.in, दूरभाष : 0591-2972012

पत्र संख्या : 848/NB/130/25/जल रक्ष

दिनांक : 16/04/2026

सेवा में,

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-7),
उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
लखनऊ।


विषय : माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित O.A. No. -130/2025 (I.A. No. -224/2025) वरुण गुलाटी बनाम स्टेट आफ उत्तर प्रदेश व अन्य में पारित आदेश दिनांक 28.01.2026 के अनुपालन में श्री इशतेकार पुत्र श्री अख्तर, ग्राम रूकनुद्दीन सराय में स्थित बिजलीघर से करबला को जाने वाले मार्ग पर ग्राम तुर्तीपुर इल्हा, तहसील व जनपद सम्मल के विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की गणना किये जाने के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। तत्कम में अवगत कराना है कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित O.A. No. -130/2025 (I.A. No. -224/2025) वरुण गुलाटी बनाम स्टेट आफ उत्तर प्रदेश व अन्य में पारित आदेश दिनांक 28.01.2026 के अनुपालन में जीन्स वांशिंग प्लान्ट/इकाई श्री इशतेकार पुत्र श्री अख्तर, ग्राम रूकनुद्दीन सराय में स्थित बिजलीघर से करबला को जाने वाले मार्ग पर ग्राम तुर्तीपुर इल्हा, तहसील व जनपद सम्मल के विरुद्ध रु० 61,60,000.00 (इकसठ लाख साठ हजार रुपये मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की गणना की गयी है। आख्या संलग्नकर आपके अवलाकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्नक : उपरोक्तानुसार।

भवदीय


16/4/26
(देव कुमार गुप्ता)
क्षेत्रीय अधिकारी

माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित O.A. No. -130/2025 (I.A. No. -224/2025) वरुण गुलाटी बनाम स्टेट आफ उत्तर प्रदेश व अन्य में पारित आदेश दिनांक 28.01.2026 के अनुपालन में श्री इशतेकार पुत्र श्री अख्तर, ग्राम रूकनुददीन सराय में स्थित बिजलीघर से करबला को जाने वाले मार्ग पर ग्राम तुर्तीपुर इल्हा, तहसील व जनपद सम्मल के विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की गणना गिरे जाने के संबंध में आख्या-

उपरोक्त विषयक के संबंध में अगत कराना है कि उक्त इकाई की स्थापना/संचालन वर्ष/दिनांक के संबंध में कोई सूचना कार्यालय अभिलेखों में उपलब्ध नहीं है। उक्त इकाई के अवैध संचालन के संदर्भ में उत्संघनकारी दिवसों की गणना हेतु कार्यालय में उपलब्ध पत्रावली के परिशीलनोपरान्त संज्ञान में आया कि याचिकाकर्ता/शिकायतकर्ता श्री वरुण गुलाटी, निवासी ए-80, फर्स्ट फ्लोर, गणेश नगर, तिलक नगर, नई दिल्ली द्वारा आई0जी0आर0एस0 पोर्टल पर संदर्भ दिनांक 15.12.2023 के माध्यम से जनपद सम्मल में अवैध रूप में संचालित जीन्स वॉशिंग इकाईयों के विरुद्ध पूर्व में शिकायत की गयी थी।

अग्रेतर अवगत कराना है कि कार्यालय अभिलेखानुसार जिलाधिकारी महोदय, सम्मल के कार्यालय आदेश संख्या- 487/आ0लि0-आ0जि0सं0 दिनांक 17.07.2025 द्वारा गठित संयुक्त जांच समिति द्वारा दिनांक 21.08.2025 को इकाई के औचक निरीक्षण के दौरान शिकायत की पुष्टि की गयी तथा इकाई के विद्युत कनेक्शन को विच्छेदित कराये जाने का कार्य किया गया था।

उपरोक्तानुसार उक्त इकाई की स्थापना/संचालन के संबंध में कोई सूचना कार्यालय अभिलेखों में उपलब्ध न होने के कारण शिकायतकर्ता द्वारा प्रेषित उक्त शिकायत दिनांक 15.12.2023 को इकाई की स्थापना/संचालन का आधार मानकर उक्त इकाई के अवैध संचालन की अवधि दिनांक 15.12.2023 से दिनांक 21.08.2025 (विद्युत विच्छेदन की तिथि तक) तक कुल 616 दिन को डिफाल्टर दिवस मानते हुये केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली के पत्र दिनांक 08.02.2019 द्वारा पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति का आंकलन करते हुये जारी मार्गदर्शिका के अनुसार उक्त इकाई श्री इशतेकार पुत्र श्री अख्तर, ग्राम रूकनुददीन सराय में स्थित बिजलीघर से करबला को जाने वाले मार्ग पर ग्राम तुर्तीपुर इल्हा, तहसील व जनपद सम्मल के विरुद्ध नियमानुसार पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की गणना की जाती है-

$$\text{Penalty/E.C. in (Rs.)} = PI \times N \times R \times S \times LF$$

Where

$$PI = \text{Pollution Index of industrial section (Since the Category Red)} = 80$$

$$N = \text{Number of days of violation took place} = 616$$

$$R = \text{A factor in rupees for penalty} = 250$$

$$S = \text{Factor for scale of operation (small)} = 0.5$$

$$LF = \text{Location Factor (Based on population)} = 1.0$$

$$\text{Penalty/EC} = 80 \times 616 \times 250 \times 0.5 \times 1.0$$

$$= 61,60,000.00 \text{ only}$$

अतः उपरोक्तानुसार मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा उक्त प्रकरण में दिनांक 28.01.2026 को पारित आदेश के अनुपालन में उक्त इकाई श्री इशतेकार पुत्र श्री अख्तर, ग्राम रूकनुददीन सराय में स्थित बिजलीघर से करबला को जाने वाले मार्ग पर ग्राम तुर्तीपुर इल्हा, तहसील व जनपद सम्मल के विरुद्ध रु0 61,60,000.00 (इकसठ लाख साठ हजार रुपये मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की गणना की गयी है। आख्या आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

Anil Kumar
16/4/26
(अनिल कुमार)
वैज्ञानिक सहायक

Suman
16/04/26
(संतोष कुमार)
सहायक पर्यावरण अभियन्ता

क्षेत्रीय अधिकारी महोदय

Suman
16/4/26

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-7), महोदय



क्षेत्रीय कार्यालय
उपरो प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
1-ए/आई.एन.एस.-1, आवास विहार कालोनी, बौद्ध विहार,
दिल्ली रोड, गुराबाबाद
ई-मेल : romoradabad@uppcb.in, दूरगाव : 0591-2972012

पत्र संख्या : 847/13/136/25/नर/न

दिनांक : 16/04/2026

सेवा में,


मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-7),
उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
लखनऊ।


विषय : माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित O.A.No.-130/2025 (I.A.No.-224/2025) वरुण गुलाटी बनाम स्टेट आफ उत्तर प्रदेश व अन्य में पारित आदेश दिनांक 28.01.2026 के अनुपालन में मोठ इकराम, मौहल्ला हयातनगर, तहसील व जनपद सम्मल के विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की गणना किये जाने के संबंध में।

महोदय, कृपया उपरोक्त विषयक का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। तत्कम में अवगत कराना है कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित O.A.No.-130/2025 (I.A.No.-224/2025) वरुण गुलाटी बनाम स्टेट आफ उत्तर प्रदेश व अन्य में पारित आदेश दिनांक 28.01.2026 के अनुपालन में जीन्स वांशिग प्लान्ट/इकाई मोठ इकराम, मौहल्ला हयातनगर, तहसील व जनपद सम्मल के विरुद्ध रु0 61,60,000.00 (इकसठ लाख साठ हजार रुपये मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की गणना की गयी है। आख्या संलग्नकर आपके अवलाकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्नक : उपरोक्तानुसार।

भवदीय


16/4/26
(देव कुमार गुप्ता)
क्षेत्रीय अधिकारी



माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में गोजित O.A. No. -130/2025 (I.A. No. -224/2025) वरुण गुलाटी बनाम स्टेट आफ उत्तर प्रदेश व अन्य में पारित आदेश दिनांक 28.01.2026 के अनुपालन में मोठ इकराम, मौहल्ला हयातनगर, तहसील व जनपद सम्मल के विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की गणना किये जाने के संबंध में आख्या-

उपरोक्त विषयक के संबंध में अवगत कराना है कि उक्त इकाई की स्थापना/संचालन वर्ष/दिनांक के संबंध में कोई सूचना कार्यालय अभिलेखों में उपलब्ध नहीं है। उक्त इकाई के अवैध संचालन के संदर्भ में उत्त्प्रेनकारी दिवसों की गणना हेतु कार्यालय में उपलब्ध पत्रावली के परिशीलनोपरान्त संज्ञान में आया कि जाचिकाकर्ता/शिकायतकर्ता श्री वरुण गुलाटी, निवासी ए-06, फर्स्ट फ्लोर, गणेश नगर, तिलक नगर, नई दिल्ली द्वारा आई0जी0आर0एस0 पोर्टल पर संदर्भ दिनांक 15.12.2023 के माध्यम से जनपद सम्मल में अवैध रूप में संचालित जीन्स वांशिंग इकाईयों के विरुद्ध पूर्व में शिकायत की गयी थी।

अग्रेतर अवगत कराना है कि कार्यालय अभिलेखानुसार जिलाधिकारी महोदय, सम्मल के कार्यालय आदेश संख्या- 487/आ0लि0-आ0जि0सं0 दिनांक 17.07.2025 द्वारा गठित संयुक्त जांच समिति द्वारा दिनांक 21.08.2025 को इकाई के औचक निरीक्षण के दौरान शिकायत की पुष्टि की गयी तथा इकाई के विद्युत कनेक्शन को विच्छेदित कराये जाने का कार्य किया गया था।

उपरोक्तानुसार उक्त इकाई की स्थापना/संचालन के संबंध में कोई सूचना कार्यालय अभिलेखों में उपलब्ध न होने के कारण शिकायतकर्ता द्वारा प्रेषित उक्त शिकायत दिनांक 15.12.2023 को इकाई की स्थापना/संचालन का आधार मानकर उक्त इकाई के अवैध संचालन की अवधि दिनांक 15.12.2023 से दिनांक 21.08.2025 (विद्युत विच्छेदन की तिथि तक) तक कुल 616 दिन को डिफाल्टर दिवस मानते हुये केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली के पत्र दिनांक 08.02.2019 द्वारा पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति का आंकलन करते हुये जारी मार्गदर्शिका के अनुसार उक्त इकाई मोठ इकराम, मौहल्ला हयातनगर, तहसील व जनपद सम्मल के विरुद्ध नियमानुसार पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की गणना की जाती है-

$$\text{Penalty/E.C. in (Rs.)} = \text{PI} \times \text{N} \times \text{R} \times \text{S} \times \text{LF}$$

Where

$$\text{PI} = \text{Pollution Index of industrial section (Since the Category Red)} = 80$$

$$\text{N} = \text{Number of days of violation took place} = 616$$

$$\text{R} = \text{A factor in rupees for penalty} = 250$$

$$\text{S} = \text{Factor for scale of opration (small)} = 0.5$$

$$\text{LF} = \text{Location Factor (Based on population)} = 1.0$$

$$\text{Penalty/EC} = 80 \times 616 \times 250 \times 0.5 \times 1.0$$

$$= 61,60,000.00 \text{ only}$$

अतः उपरोक्तानुसार माठ राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा उक्त प्रकरण में दिनांक 28.01.2026 को पारित आदेश के अनुपालन में उक्त इकाई मोठ इकराम, मौहल्ला हयातनगर, तहसील व जनपद सम्मल के विरुद्ध रु० 61,60,000.00 (इकसठ लाख साठ हजार रुपये मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की गणना की गयी है। आख्या आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

Anil K
16-4-26
(अनिल कुमार)
वैज्ञानिक सहायक

Suman
16/04/26
(संतोष कुमार)
सहायक पर्यावरण अभियन्ता

क्षेत्रीय अधिकारी महोदय

Suman
16/4/26

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-7), महोदय



क्षेत्रीय कार्यालय
उपप्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
1-ए/आई.एन.एस.-1, आवास विकास कालोनी, चौद्ध विहार,
दिल्ली रोड, गुरावावाय
ई-मेल : romoradabad@uppcb.in, दूरभाष : 0591-2972012

दिनांक : 16/04/2026

पत्र संख्या : 848/13/130/25/नलरल

सेवा में

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-7),
उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
लखनऊ।


विषय : माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित O.A. No. -130/2025 (I.A. No. -224/2025) वरुण गुलाटी बनाम स्टेट आफ उत्तर प्रदेश व अन्य में पारित आदेश दिनांक 28.01.2026 के अनुपालन में मैसर्स ओ.जी. जीन्स, मौहल्ला हयातनगर, तहसील व जनपद सम्मल के विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की गणना किये जाने के संबंध में।


नहोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। तत्कम में अवगत कराना है कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित O.A. No. -130/2025 (I.A. No. -224/2025) वरुण गुलाटी बनाम स्टेट आफ उत्तर प्रदेश व अन्य में पारित आदेश दिनांक 28.01.2026 के अनुपालन में जीन्स वांशिग प्लान्ट/इकाई मैसर्स ओ.जी. जीन्स, मौहल्ला हयातनगर, तहसील व जनपद सम्मल के विरुद्ध रु0 61,60,000.00 (इकसठ लाख साठ हजार रुपये मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की गणना की गयी है। आख्या संलग्नकर आपके अवलाकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्नक : उपरोक्तानुसार।

भवदीय


16/4/26
(देव कुमार गुप्ता)
क्षेत्रीय अधिकारी



माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में रोजित O.A. No. 110/2025 (I.A. No. 224/2025) वरुण गुलाटी बनाम स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश व अन्य में पारित आदेश दिनांक 20.01.2026 को अनुपालन में गैररार ओ.जी. जीन्स, मौहल्ला हयातनगर, तहसील व जनपद शामल के विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की गणना विनये जाने के संबंध में आख्या-

उपरोक्त विषयक के संबंध में अवगत कराना है कि उक्त इकाई की स्थापना/संचालन वर्ष/दिनांक के संबंध में कोई सूचना कार्यालय अभिलेखों में उपलब्ध नहीं है। उक्त इकाई के अवैध संचालन के संदर्भ में उत्तरोत्तर शिकायत दिवसों की गणना हेतु कार्यालय में उपलब्ध पत्रावली के परिशीलनोपरान्त संज्ञान में आया कि शिकायतकर्ता/शिकायतकर्ता श्री वरुण गुलाटी, निवासी ए-88, फार्ट पलोर, गणेश नगर, तिलक नगर, नई दिल्ली द्वारा आई0जी0आर0एस0 पोर्टल पर संदर्भ दिनांक 15.12.2023 के माध्यम से जनपद सम्मल में अवैध रूप में संचालित जीन्स वॉशिंग इकाईयों के विरुद्ध पूर्व में शिकायत की गयी थी।

अग्रेतर अवगत कराना है कि कार्यालय अभिलेखानुसार जिलाधिकारी महोदय, सम्मल के कार्यालय आदेश संख्या- 487/आ0लि0-आ0जि0सं0 दिनांक 17.07.2025 द्वारा गठित संयुक्त जांच समिति द्वारा दिनांक 21.08.2025 को इकाई के औचक निरीक्षण के दौरान शिकायत की पुष्टि की गयी तथा इकाई के विद्युत कनेक्शन को विच्छेदित कराये जाने का कार्य किया गया था।

उपरोक्तानुसार उक्त इकाई की स्थापना/संचालन के संबंध में कोई सूचना कार्यालय अभिलेखों में उपलब्ध न होने के कारण शिकायतकर्ता द्वारा प्रेषित उक्त शिकायत दिनांक 15.12.2023 को इकाई की स्थापना/संचालन का आधार मानकर उक्त इकाई के अवैध संचालन की अवधि दिनांक 15.12.2023 से दिनांक 21.08.2025 (विद्युत विच्छेदन की तिथि तक) तक कुल 616 दिन को डिफाल्टर दिवस मानते हुये केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली के पत्र दिनांक 08.02.2019 द्वारा पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति का आंकलन करते हुये जारी मार्गदर्शिका के अनुसार उक्त इकाई मैसर्स ओ.जी. जीन्स, मौहल्ला हयातनगर, तहसील व जनपद सम्मल के विरुद्ध नियमानुसार पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की गणना की जाती है-

$$\text{Penalty/E.C. in (Rs.)} = \text{PI} \times \text{N} \times \text{R} \times \text{S} \times \text{LF}$$

Where

$$\text{PI} = \text{Pollution Index of industrial section (Since the Category Red)} = 80$$

$$\text{N} = \text{Number of days of violation took place} = 616$$

$$\text{R} = \text{A factor in rupees for penalty} = 250$$

$$\text{S} = \text{Factor for scale of operation (small)} = 0.5$$

$$\text{LF} = \text{Location Factor (Based on population)} = 1.0$$

$$\text{Penalty/EC} = 80 \times 616 \times 250 \times 0.5 \times 1.0$$

$$= 61,60,000.00 \text{ only}$$

अतः उपरोक्तानुसार मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा उक्त प्रकरण में दिनांक 28.01.2026 को पारित आदेश के अनुपालन में उक्त इकाई मैसर्स ओ.जी. जीन्स, मौहल्ला हयातनगर, तहसील व जनपद सम्मल के विरुद्ध रु0 61,60,000.00 (इकसठ लाख साठ हजार रुपये मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की गणना की गयी है। आख्या आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

Anil K. 16-4-26
(अनिल कुमार)

वैज्ञानिक सहायक

Suman
16/04/26
(संतोष कुमार)

सहायक पर्यावरण अभियन्ता

क्षेत्रीय अधिकारी महोदय

Suman
16/4/26

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-7), महोदय



क्षेत्रीय कार्यालय
उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
1-ए/आर्.एन.एस.-1, आवास विकास कालोनी, बौद्ध विहार,
दिल्ली रोड, गुरादाबाद

ई-मेल : romoradabad@uppcb.in, दूरगाय : 0591-2972012

पत्र संख्या : 840 / N-13 / 130 / 25 / जनरल

दिनांक : 16/04/2026

सेवा में,


मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-7),
उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
लखनऊ।

विषय : माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित O.A. No. -130/2025 (I.A. No. -224/2025) वरुण गुलाटी बनाम स्टेट आफ उत्तर प्रदेश व अन्य में पारित आदेश दिनांक 28.01.2026 के अनुपालन में श्री नईम मास्टर पुत्र श्री अब्दुल मजीद, मौहल्ला हातिम सराय, हौज भदे सराय, तहसील व जनपद सम्मल के विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की गणना किये जाने के संबंध में।


महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। तत्कम में अवगत कराना है कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित O.A. No. -130/2025 (I.A. No. -224/2025) वरुण गुलाटी बनाम स्टेट आफ उत्तर प्रदेश व अन्य में पारित आदेश दिनांक 28.01.2026 के अनुपालन में जीन्स वॉशिंग प्लान्ट/इकाई श्री नईम मास्टर पुत्र श्री अब्दुल मजीद, मौहल्ला हातिम सराय, हौज भदे सराय, तहसील व जनपद सम्मल के विरुद्ध रु० 60,60,000.00 (साठ लाख साठ हजार रुपये मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की गणना की गयी है। आख्या संलग्नकर आपके अवलाकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

भवदीय


16/4/26
(देव कुमार गुप्ता)
क्षेत्रीय अधिकारी

संलग्नक : उपरोक्तानुसार।



माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित O.A. No. -110/2025 (I.A. No. -224/2025) वरुण गुलाटी बनाम स्टेट आफ उत्तर प्रदेश व अन्य में पारित आदेश दिनांक 28.01.2020 के अनुपालन में श्री नईम मास्टर पुत्र श्री अब्दुल मजीद, मौहल्ला हातिम सराय, हौज भदे सराय, तहसील व जनपद सम्मल के विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की गणना किये जाने के संबंध में आख्या-

उपरोक्त विषयक के संबंध में अवगत कराना है कि उक्त इकाई की स्थापना/संचालन वर्ष/दिनांक के संबंध में कोई सूचना कार्यालय अभिलेखों में उपलब्ध नहीं है। उक्त इकाई के अवैध संचालन के संदर्भ में उत्ल्लंघनकारी दिवसों की गणना हेतु कार्यालय में उपलब्ध पत्रावली के परिशीलनोपरान्त संज्ञान में आया कि याचिकाकर्ता/शिकायतकर्ता श्री वरुण गुलाटी, निवासी ए-66, फर्स्ट फ्लोर, गणेश नगर, तिलक नगर, नई दिल्ली द्वारा आई0जी0आर0एस0 पोर्टल पर संदर्भ दिनांक 15.12.2023 के माध्यम से जनपद सम्मल में अवैध रूप में संचालित जीन्स वांशिंग इकाईयों के विरुद्ध पूर्व में शिकायत की गयी थी।

अग्रेतर अवगत कराना है कि कार्यालय अभिलेखानुसार जिलाधिकारी महोदय, सम्मल के कार्यालय आदेश संख्या- 487/आ0लि0-आ0जि0सं0 दिनांक 17.07.2025 द्वारा गठित संयुक्त जांच समिति द्वारा दिनांक 11.08.2025 को इकाई के औचक निरीक्षण के दौरान शिकायत की पुष्टि की गयी तथा इकाई के विद्युत कनेक्शन को विच्छेदित कराये जाने का कार्य किया गया था।

उपरोक्तानुसार उक्त इकाई की स्थापना/संचालन के संबंध में कोई सूचना कार्यालय अभिलेखों में उपलब्ध न होने के कारण शिकायतकर्ता द्वारा प्रेषित उक्त शिकायत दिनांक 15.12.2023 को इकाई की स्थापना/संचालन का आधार मानकर उक्त इकाई के अवैध संचालन की अवधि दिनांक 15.12.2023 से दिनांक 11.08.2025 (विद्युत विच्छेदन की तिथि तक) तक कुल 606 दिन को डिफाल्टर दिवस मानते हुये केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली के पत्र दिनांक 08.02.2019 द्वारा पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति का आंकलन करते हुये जारी मार्गदर्शिका के अनुसार उक्त इकाई श्री नईम मास्टर पुत्र श्री अब्दुल मजीद, मौहल्ला हातिम सराय, हौज भदे सराय, तहसील व जनपद सम्मल के विरुद्ध नियमानुसार पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की गणना की जाती है-

$$\text{Penalty/E.C. in (Rs.)} = \text{PI} \times \text{N} \times \text{R} \times \text{S} \times \text{LF}$$

Where

PI = Pollution Index of industrial section (Since the Category Red)= 80

N = Number of days of violation took place= 606

R = A factor in rupees for penalty= 250

S = Factor for scale of operation (small)= 0.5

LF = Location Factor (Based on population)= 1.0

$$\text{Penalty/EC} = 80 \times 606 \times 250 \times 0.5 \times 1.0$$

$$= 60,60,000.00 \text{ only}$$

अतः उपरोक्तानुसार मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा उक्त प्रकरण में दिनांक 28.01.2026 को पारित आदेश के अनुपालन में उक्त इकाई श्री नईम मास्टर पुत्र श्री अब्दुल मजीद, मौहल्ला हातिम सराय, हौज भदे सराय, तहसील व जनपद सम्मल के विरुद्ध रु0 60,60,000.00 (साठ लाख साठ हजार रुपये मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की गणना की गयी है। आख्या आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

Anil Kumar
16/04/26
(अनिल कुमार)
वैज्ञानिक सहायक

Shuman
16/04/26
(संतोष कुमार)
सहायक पर्यावरण अभियन्ता

क्षेत्रीय अधिकारी महोदय

Kumar
16/04/26

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-7), महोदय



453

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

1-ए/आई.एन.एस.-1, आचार्य विहारा कालोनी, नौरा विहार,
दिल्ली रोड, मुरावाबाद

ई-मेल : romoradabad@uppecb.in, दूरभाष : 0591-2972012

दिनांक : 16/04/2028

पत्र संख्या : 852/1113/130/25/नर

सेवा में,

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-7),
उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
लखनऊ।

विषय : माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित O.A. No. -130/2025 (I.A. No. -224/2025) वरुण गुलाटी बनाम स्टेट आफ उत्तर प्रदेश व अन्य में पारित आदेश दिनांक 28.01.2028 के अनुपालन में श्री मुनाजिर पुत्र श्री मुज्जफर, मौहल्ला हातिम सराय, हौज भदे सराय, तहसील व जनपद सम्मल के विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की गणना किये जाने के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। तत्कम में अवगत कराना है कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित O.A. No. -130/2025 (I.A. No. -224/2025) वरुण गुलाटी बनाम स्टेट आफ उत्तर प्रदेश व अन्य में पारित आदेश दिनांक 28.01.2028 के अनुपालन में जीन्स वांशिंग प्लांट/इकाई श्री मुनाजिर पुत्र श्री मुज्जफर, मौहल्ला हातिम सराय, हौज भदे सराय, तहसील व जनपद सम्मल के विरुद्ध रु 60,60,000.00 (साठ लाख साठ हजार रुपये मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की गणना की गयी है। आख्या संलग्नक आपके अवलाकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

भवदीय

(Signature)
16/4/28
(देव कुमार गुप्ता)
क्षेत्रीय अधिकारी

संलग्नक : उपरोक्तानुसार।

माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में गीजात O.A. No. -110/2025 (I.A. No. -224/2025) वरुण गुलाटी बनाम स्टेट आफ उत्तर प्रदेश व अन्य में पारित आदेश दिनांक 28.01.2020 के अनुपालन में श्री मुनाजिर पुत्र श्री मुज्जफर, मौहल्ला हातिम सराय, हौज भदे सराय, तहसील व जनपद सम्मल के विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की गणना किये जाने के संबंध में आख्या-

उपरोक्त विषयक के संबंध में अवगत कराना है कि उक्त इकाई की स्थापना/संचालन वर्ष/दिनांक के संबंध में कोई सूचना कार्यालय अभिलेखों में उपलब्ध नहीं है। उक्त इकाई के अवैध संचालन के संदर्भ में उल्लंघनकारी दिवसों की गणना हेतु कार्यालय में उपलब्ध पत्रावली के परिशीलनोपरान्त संज्ञान में आया कि याचिकाकर्ता/शिकायतकर्ता श्री वरुण गुलाटी, निवासी ए-66, फर्स्ट फ्लोर, गणेश नगर, तिलक नगर, नई दिल्ली द्वारा आई0जी0आर0एस0 पोर्टल पर संदर्भ दिनांक 15.12.2023 के माध्यम से जनपद सम्मल में अवैध रूप में संचालित जीन्स वॉशिंग इकाईयों के विरुद्ध पूर्व में शिकायत की गयी थी।

अग्रेतर अवगत कराना है कि कार्यालय अभिलेखानुसार जिलाधिकारी महोदय, सम्मल के कार्यालय आदेश संख्या- 487/आ0लि0-आ0जि0सं0 दिनांक 17.07.2025 द्वारा गठित संयुक्त जांच समिति द्वारा दिनांक 11.08.2025 को इकाई के औचक निरीक्षण के दौरान शिकायत की पुष्टि की गयी तथा इकाई के विद्युत कनेक्शन को विच्छेदित कराये जाने का कार्य किया गया था।

उपरोक्तानुसार उक्त इकाई की स्थापना/संचालन के संबंध में कोई सूचना कार्यालय अभिलेखों में उपलब्ध न होने के कारण शिकायतकर्ता द्वारा प्रेषित उक्त शिकायत दिनांक 15.12.2023 को इकाई की स्थापना/संचालन का आधार मानकर उक्त इकाई के अवैध संचालन की अवधि दिनांक 15.12.2023 से दिनांक 11.08.2025 (विद्युत विच्छेदन की तिथि तक) तक कुल 606 दिन को डिफाल्टर दिवस मानते हुये केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली के पत्र दिनांक 08.02.2019 द्वारा पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति का आंकलन करते हुये जारी मार्गदर्शिका के अनुसार उक्त इकाई श्री मुनाजिर पुत्र श्री मुज्जफर, मौहल्ला हातिम सराय, हौज भदे सराय, तहसील व जनपद सम्मल के विरुद्ध नियमानुसार पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की गणना की जाती है-

$$\text{Penalty/E.C. in (Rs.)} = \text{PI} \times \text{N} \times \text{R} \times \text{S} \times \text{LF}$$

Where

PI = Pollution Index of industrial section (Since the Category Red)= 80

N = Number of days of violation took place= 606

R = A factor in rupees for penalty= 250

S = Factor for scale of opration (small)= 0.5

LF = Location Factor (Based on population)= 1.0

$$\text{Penalty/EC} = 80 \times 606 \times 250 \times 0.5 \times 1.0$$

$$= 60,60,000.00 \text{ only}$$

अतः उपरोक्तानुसार मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा उक्त प्रकरण में दिनांक 28.01.2026 को पारित आदेश के अनुपालन में उक्त इकाई श्री मुनाजिर पुत्र श्री मुज्जफर, मौहल्ला हातिम सराय, हौज भदे सराय, तहसील व जनपद सम्मल के विरुद्ध रु0 60,60,000.00 (साठ लाख साठ हजार रुपये मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की गणना की गयी है। आख्या आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

Anil Kumar
16/11/26

(अनिल कुमार)

वैज्ञानिक सहायक

Suman
16/11/26

(संतोष कुमार)

सहायक पर्यावरण अभियन्ता

क्षेत्रीय अधिकारी महोदय

Suman
16/11/26

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-7), महोदय



क्षेत्रीय कार्यालय
उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
1-ए/आर्.एन.एरा.-1, आयास विकारा कालोनी, चौद विहार,
दिल्ली रोड, गुरादाबाद

ई-मेल : romoradabad@uppcb.in, दूरभाष : 0501-2072012

पत्र संख्या : 851 / N-13 / 130 / 25 / जनरल

दिनांक : 6 / 04 / 2026

सेवा में,

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-7),
उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
लखनऊ।


विषय : माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित O.A. No. -130/2025 (I.A. No. -224/2025) वरुण गुलाटी बनाम स्टेट आफ उत्तर प्रदेश व अन्य में पारित आदेश दिनांक 28.01.2026 के अनुपालन में श्री शकील पुत्र श्री रईस, मौहल्ला हयातनगर, थाना सम्मल, तहसील व जनपद सम्मल के विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की गणना किये जाने के संबंध में।


महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। तत्कम में अवगत कराना है कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित O.A. No. -130/2025 (I.A. No. -224/2025) वरुण गुलाटी बनाम स्टेट आफ उत्तर प्रदेश व अन्य में पारित आदेश दिनांक 28.01.2026 के अनुपालन में जीन्स वांशिंग प्लान्ट/इकाई श्री शकील पुत्र श्री रईस, मौहल्ला हयातनगर, थाना सम्मल, तहसील व जनपद सम्मल के विरुद्ध रु० 59,30,000.00 (उनसठ लाख तीस हजार रुपये मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की गणना की गयी है। आख्या संलग्नकर आपके अवलाकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्नक : उपरोक्तानुसार।

भवदीय


16/4/26
(देव कुमार गुप्ता)
क्षेत्रीय अधिकारी



माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित O.A. No. 110/2026 (I.A. No. 224/2025) वरुण गुलाटी बनाम स्टेट आफ उत्तर प्रदेश व अन्य में पारित आदेश दिनांक 20.01.2026 के अनुपालन में श्री शकील पुत्र श्री रईस, मौहल्ला हयातनगर, थाना सम्मल, तहसील व जनपद सम्मल के विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की गणना किये जाने के संबंध में आख्या-

उपरोक्त विषयक के संबंध में अतगत कराना है कि उक्त इकाई की स्थापना/संचालन वर्ष/दिनांक के संबंध में कोई सूचना कार्यालय अभिलेखों में उपलब्ध नहीं है। उक्त इकाई के अवैध संचालन के संबंध में उत्सोधनकारी दिवसों की गणना हेतु कार्यालय में उपलब्ध पत्रावली के परिशीलनोपरान्त संज्ञान में आया कि शाचिककर्ता/शिकायतकर्ता श्री वरुण गुलाटी, निवासी ए-80, फर्स्ट फ्लोर, गणेश नगर, तिलक नगर, नई दिल्ली द्वारा आई0जी0आर0एस0 पोर्टल पर संदर्भ दिनांक 15.12.2023 के माध्यम से जनपद सम्मल में अवैध रूप में संचालित जीन्स वॉशिंग इकाईयों के विरुद्ध पूर्व में शिकायत की गयी थी।

अग्रेतर अवगत कराना है कि कार्यालय अभिलेखानुसार जिलाधिकारी महोदय, सम्मल के कार्यालय आदेश संख्या- 487/आ0लि0-आ0जि0सं0 दिनांक 17.07.2025 द्वारा गठित संयुक्त जांच समिति द्वारा दिनांक 29.07.2025 को इकाई के औचक निरीक्षण के दौरान शिकायत की पुष्टि की गयी तथा इकाई के विद्युत कनेक्शन को विच्छेदित कराये जाने का कार्य किया गया था।

उपरोक्तानुसार उक्त इकाई की स्थापना/संचालन के संबंध में कोई सूचना कार्यालय अभिलेखों में उपलब्ध न होने के कारण शिकायतकर्ता द्वारा प्रेषित उक्त शिकायत दिनांक 15.12.2023 को इकाई की स्थापना/संचालन का आधार मानकर उक्त इकाई के अवैध संचालन की अवधि दिनांक 15.12.2023 से दिनांक 29.07.2025 (विद्युत विच्छेदन की तिथि तक) तक कुल 593 दिन को डिफाल्टर दिवस मानते हुये केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली के पत्र दिनांक 08.02.2019 द्वारा पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति का आंकलन करते हुये जारी मार्गदर्शिका के अनुसार उक्त इकाई श्री शकील पुत्र श्री रईस, मौहल्ला हयातनगर, थाना सम्मल, तहसील व जनपद सम्मल के विरुद्ध नियमानुसार पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की गणना की जाती है-

$$\text{Penalty/E.C. in (Rs.)} = \text{PI} \times \text{N} \times \text{R} \times \text{S} \times \text{LF}$$

Where

$$\text{PI} = \text{Pollution Index of industrial section (Since the Category Red)} = 80$$

$$\text{N} = \text{Number of days of violation took place} = 593$$

$$\text{R} = \text{A factor in rupees for penalty} = 250$$

$$\text{S} = \text{Factor for scale of operation (small)} = 0.5$$

$$\text{LF} = \text{Location Factor (Based on population)} = 1.0$$

$$\text{Penalty/EC} = 80 \times 593 \times 250 \times 0.5 \times 1.0$$

$$= 59,30,000.00 \text{ only}$$

अतः उपरोक्तानुसार मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा उक्त प्रकरण में दिनांक 28.01.2026 को पारित आदेश के अनुपालन में उक्त इकाई श्री शकील पुत्र श्री रईस, मौहल्ला हयातनगर, थाना सम्मल, तहसील व जनपद सम्मल के विरुद्ध रु0 59,30,000.00 (उनसठ लाख तीस हजार रुपये मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की गणना की गयी है। आख्या आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

Anil K. S.
(अनिल कुमार)
वैज्ञानिक सहायक

Sunam
(संतोष कुमार)
सहायक पर्यावरण अभियन्ता

क्षेत्रीय अधिकारी महोदय

Sunam
16/4/26

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-7), महोदय



क्षेत्रीय कार्यालय
उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
1-ए/आई.एन.एस.-1, आयास गिफारा कालोनी, बौद्ध विहार,
दिल्ली रोड, गुरादाबाद

ई-मेल : romoradabad@uppcb.in, दूरगाय : 0591-2972012

पत्र संख्या : 852/130/25/नगर

दिनांक : 16/04/2028

सेवा में,


मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-7),
उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
लखनऊ।

विषय : माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित O.A. No. -130/2025 (I.A. No. -224/2025) वरुण गुलाटी बनाम स्टेट आफ उत्तर प्रदेश व अन्य में पारित आदेश दिनांक 28.01.2028 के अनुपालन में श्री आजम पुत्र श्री साबिर, मौहल्ला हयातनगर, तहसील व जनपद सम्भल के विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की गणना किये जाने के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। तत्कम में अवगत कराना है कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित O.A. No. -130/2025 (I.A. No. -224/2025) वरुण गुलाटी बनाम स्टेट आफ उत्तर प्रदेश व अन्य में पारित आदेश दिनांक 28.01.2026 के अनुपालन में जीन्स वांशिंग प्लान्ट/इकाई श्री आजम पुत्र श्री साबिर, मौहल्ला हयातनगर, तहसील व जनपद सम्भल के विरुद्ध ₹ 59,30,000.00 (उनसठ लाख तीस हजार रुपये मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की गणना की गयी है। आख्या संलग्नकर आपके अवलाकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

भवदीय


16/4/28

(देव कुमार गुप्ता)
क्षेत्रीय अधिकारी

संलग्नक : उपरोक्तानुसार।

माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित O.A. No. -110/2025 (I.A. No. -224/2025) वरुण गुलाटी बनाम स्टेट आफ उत्तर प्रदेश व अन्य में पारित आदेश दिनांक 28.01.2026 के अनुपालन में श्री आजम पुत्र श्री साबिर, मौहल्ला हयातनगर, तहसील व जनपद सम्मल के विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की गणना किये जाने के संबंध में आख्या-

उपरोक्त विषयक के संबंध में अग्रगत कराना है कि उक्त इकाई की स्थापना/संचालन वर्ष/दिनांक के संबंध में कोई सूचना कार्यालय अभिलेखों में उपलब्ध नहीं है। उक्त इकाई के अवैध संचालन के संदर्भ में उत्सोहनवारी दिवसों की गणना हेतु कार्यालय में उपलब्ध पत्रावली के परिशीलनोपरान्त संज्ञान में आया कि शिकायतकर्ता/शिकायतकर्ता श्री वरुण गुलाटी, निवासी ए-86, फर्स्ट फ्लोर, गणेश नगर, तिलक नगर, नई दिल्ली द्वारा आई0जी0आर0एस0 पोर्टल पर संदर्भ दिनांक 15.12.2023 के माध्यम से जनपद सम्मल में अवैध रूप में संचालित जीन्स वॉशिंग इकाईयों के विरुद्ध पूर्व में शिकायत की गयी थी।

अग्रतर अवगत कराना है कि कार्यालय अभिलेखानुसार जिलाधिकारी महोदय, सम्मल के कार्यालय आदेश संख्या- 487/आ0लि0-आ0जि0स0 दिनांक 17.07.2025 द्वारा गठित संयुक्त जांच समिति द्वारा दिनांक 29.07.2025 को इकाई के औचक निरीक्षण के दौरान शिकायत की पुष्टि की गयी तथा इकाई के विद्युत कनेक्शन को विच्छेदित कराये जाने का कार्य किया गया था।

उपरोक्तानुसार उक्त इकाई की स्थापना/संचालन के संबंध में कोई सूचना कार्यालय अभिलेखों में उपलब्ध न होने के कारण शिकायतकर्ता द्वारा प्रेषित उक्त शिकायत दिनांक 15.12.2023 को इकाई की स्थापना/संचालन का आधार मानकर उक्त इकाई के अवैध संचालन की अवधि दिनांक 15.12.2023 से दिनांक 29.07.2025 (विद्युत विच्छेदन की तिथि तक) तक कुल 593 दिन को डिफाल्टर दिवस मानते हुये केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली के पत्र दिनांक 08.02.2019 द्वारा पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति का आंकलन करते हुये जारी मार्गदर्शिका के अनुसार उक्त इकाई श्री आजम पुत्र श्री साबिर, मौहल्ला हयातनगर, तहसील व जनपद सम्मल के विरुद्ध नियमानुसार पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की गणना की जाती है-

$$\text{Penalty/E.C. in (Rs.)} = \text{PI} \times \text{N} \times \text{R} \times \text{S} \times \text{LF}$$

Where

$$\text{PI} = \text{Pollution Index of industrial section (Since the Category Red)} = 80$$

$$\text{N} = \text{Number of days of violation took place} = 593$$

$$\text{R} = \text{A factor in rupees for penalty} = 250$$

$$\text{S} = \text{Factor for scale of operation (small)} = 0.5$$

$$\text{LF} = \text{Location Factor (Based on population)} = 1.0$$

$$\text{Penalty/EC} = 80 \times 593 \times 250 \times 0.5 \times 1.0$$

$$= 59,30,000.00 \text{ only}$$

अतः उपरोक्तानुसार मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा उक्त प्रकरण में दिनांक 28.01.2026 को पारित आदेश के अनुपालन में उक्त इकाई श्री आजम पुत्र श्री साबिर, मौहल्ला हयातनगर, तहसील व जनपद सम्मल के विरुद्ध ₹ 59,30,000.00 (उनसठ लाख तीस हजार रुपये मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की गणना की गयी है। आख्या आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

Anil Kumar
(अनिल कुमार)
वैज्ञानिक सहायक

Suman
16/04/26
(संतोष कुमार)
सहायक पर्यावरण अभियन्ता

क्षेत्रीय अधिकारी महोदय

Suman
16/04/26

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-7), महोदय



क्षेत्रीय कार्यालय
उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
1-ए/आई.एन.एस.-1, आचारा विकारा कालोनी, चौद्ध विद्यार,
दिल्ली रोड, गुरादाबाद

ई-मेल : romoradabad@uppcb.in, दूरगाय : 0591-2972012

पत्र संख्या : 853 / N-13 / 130 / 25 / जनरल

दिनांक : 16 / 04 / 2026

सेवा में,

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-7),
उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
लखनऊ।


विषय : माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित O.A. No. -130/2025 (I.A. No. -224/2025) वरुण गुलाटी बनाम स्टेट आफ उत्तर प्रदेश व अन्य में पारित आदेश दिनांक 28.01.2026 के अनुपालन में हाजी सलीम पुत्र श्री मोमीन, मौहल्ला पंजू सराय, कब्रिस्तान वाले मार्ग पर, तहसील व जनपद सम्मल के विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की गणना किये जाने के संबंध में।

महोदय,


कृपया उपरोक्त विषयक का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। तत्कम में अवगत कराना है कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित O.A. No. -130/2025 (I.A. No. -224/2025) वरुण गुलाटी बनाम स्टेट आफ उत्तर प्रदेश व अन्य में पारित आदेश दिनांक 28.01.2026 के अनुपालन में जीन्स वांशिंग प्लान्ट/इकाई हाजी सलीम पुत्र श्री मोमीन, मौहल्ला पंजू सराय, कब्रिस्तान वाले मार्ग पर, तहसील व जनपद सम्मल के विरुद्ध रु0 59,90,000.00 (उनसठ लाख नब्बे हजार रुपये मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की गणना की गयी है। आख्या संलग्नकर आपके अवलाकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्नक : उपरोक्तानुसार।

भवदीय


16/4/26

(देव कुमार गुप्ता)
क्षेत्रीय अधिकारी



माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में गोरिात O.A. No.-110/2025 (I.A. No.-224/2025) वरुण गुलाटी बनाम स्टेट आफ उत्तर प्रदेश व अन्य में पारित आपेश दिनांक 28.01.2020 के अनुपालन में हाजी सलीम पुत्र श्री मोमीन, मोहल्ला पंजू सराय, कब्रिस्तान वाले मार्ग पर, तहसील व जनपद सम्मल के विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की गणना किये जाने के संबंध में आस्था-

उपरोक्त विषयक के संबंध में अवगत कराना है कि उक्त इकाई की स्थापना/संचालन वर्ष/दिनांक के संबंध में कोई सूचना कार्यालय अभिलेखों में उपलब्ध नहीं है। उक्त इकाई के अवैध संचालन के संदर्भ में उत्तराखण्ड की गणना हेतु कार्यालय में उपलब्ध पत्रावली के परिशीलनोपरान्त संज्ञान में आया कि शाचिककर्ता/शिकायतकर्ता श्री वरुण गुलाटी, निवासी ए-06, फर्स्ट फ्लोर, गणेश नगर, तिलक नगर, नई दिल्ली द्वारा आई0जी0आर0एस0 पोर्टल पर संदर्भ दिनांक 15.12.2023 के माध्यम से जनपद सम्मल में अवैध रूप में संचालित जीन्स वॉशिंग इकाईयों के विरुद्ध पूर्व में शिकायत की गयी थी।

अग्रेतर अवगत कराना है कि कार्यालय अभिलेखानुसार जिलाधिकारी महोदय, सम्मल के कार्यालय आदेश संख्या- 487/आ0लि0-आ0जि0सं0 दिनांक 17.07.2025 द्वारा गठित संयुक्त जांच समिति द्वारा दिनांक 04.08.2025 को इकाई के औचक निरीक्षण के दौरान शिकायत की पुष्टि की गयी तथा इकाई के विद्युत कनेक्शन को विच्छेदित कराये जाने का कार्य किया गया था।

उपरोक्तानुसार उक्त इकाई की स्थापना/संचालन के संबंध में कोई सूचना कार्यालय अभिलेखों में उपलब्ध न होने के कारण शिकायतकर्ता द्वारा प्रेषित उक्त शिकायत दिनांक 15.12.2023 को इकाई की स्थापना/संचालन का आधार मानकर उक्त इकाई के अवैध संचालन की अवधि दिनांक 15.12.2023 से दिनांक 04.08.2025 (विद्युत विच्छेदन की तिथि तक) तक कुल 599 दिन को डिफाल्टर दिवस मानते हुये केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली के पत्र दिनांक 08.02.2019 द्वारा पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति का आंकलन करते हुये जारी मार्गदर्शिका के अनुसार उक्त इकाई हाजी सलीम पुत्र श्री मोमीन, मोहल्ला पंजू सराय, कब्रिस्तान वाले मार्ग पर, तहसील व जनपद सम्मल के विरुद्ध नियमानुसार पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की गणना की जाती है-

$$\text{Penalty/E.C. in (Rs.)} = \text{PI} \times \text{N} \times \text{R} \times \text{S} \times \text{LF}$$

Where

$$\text{PI} = \text{Pollution Index of industrial section (Since the Category Red)} = 80$$

$$\text{N} = \text{Number of days of violation took place} = 599$$

$$\text{R} = \text{A factor in rupees for penalty} = 250$$

$$\text{S} = \text{Factor for scale of operation (small)} = 0.5$$

$$\text{LF} = \text{Location Factor (Based on population)} = 1.0$$

$$\text{Penalty/EC} = 80 \times 599 \times 250 \times 0.5 \times 1.0$$

$$= 59,90,000.00 \text{ only}$$

अतः उपरोक्तानुसार मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा उक्त प्रकरण में दिनांक 28.01.2026 को पारित आदेश के अनुपालन में उक्त इकाई हाजी सलीम पुत्र श्री मोमीन, मोहल्ला पंजू सराय, कब्रिस्तान वाले मार्ग पर, तहसील व जनपद सम्मल के विरुद्ध रु0 59,90,000.00 (उनसठ लाख नब्बे हजार रुपये मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की गणना की गयी है। आख्या आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।


Anil Kumar
16/04/26
(अनिल कुमार)
वैज्ञानिक सहायक

Suman
16/04/26
(संतोष कुमार)
सहायक पर्यावरण अभियन्ता


क्षेत्रीय अधिकारी महोदय

Suman
16/04/26


मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-7), महोदय




श्री कासिम उर्फ कामिल पुत्र श्री नन्हें, हयातनगर से हसनपुर मुनजब्जा जाने वाले मार्ग पर, सम्भल




मो० जमिरूल हक पुत्र शेख जैनुल निवासी एवं मो० शादिक अनवर पुत्र मो० अमीरूल हक, मौहल्ला नाला, सम्भल, थाना सम्भल।



श्री सालिम पुत्र श्री शब्बीर, चन्दौसी रोड, सम्भल।




श्री मुख्त्यार पुत्र श्री बन्ने, मौहल्ल नाला, सम्भल थाना व जनपद सम्भल।




श्री छविराम यादव पुत्र श्री कन्हई, मौहल्ला नाला, सम्भल




श्री मेहरबान एवं श्री नारायण पुत्रगण श्री सुख सिंह, मौहल्ला नाला, सम्भल।



श्री राजेश कुमार पुत्र श्री बालकराम एवं श्री फखरे आलम, मौहल्ला नाला, सम्भल, थाना सम्भल।




श्री शकील पुत्र मोहम्मद रईस, मौहल्ला हयात नगर थाना हयात नगर सम्भल।




श्री आजम पुत्र श्री षब्बीर, मौहल्ला हयातनगर, सम्भल



श्री अनिल सिंह पुत्र श्री शुभंकर सिंह एवं मौहम्मद हाशिम पुत्र श्री बाबू मौहल्ला पंजू सराय कब्रिस्तान वाले मार्ग पर सम्मल।



श्री हाजी सलीम पुत्र श्री मोमीन, मौहल्ला पंजू सराय कब्रिस्तान वाले मार्ग पर सम्भल।




श्री फैजान पुत्र शेर अली एवं श्री जुबैर, मौहल्ला तिमरदास सराय, बंगले वाली मस्जिद के पास एक गली के
अन्दर सम्भल।




श्री सुबहान पुत्र श्री अब्दुल कययूम एवं मो० खालिद पुत्र श्री अब्दुल कययूम




श्री मुनाजिर पुत्र श्री मुजफ्फर, मौहल्ला हातिम सराय, हौज भदे सराय सम्भल।




श्री नईम मास्टर पुत्र श्री अब्दुल मजीद, मौहल्ला हातिम सराय, हौज भदे सराय, सम्भल।



मो0 इमरान पुत्र मो0 रिजवान, ग्राम अजीजपुर असदपुर, थाना हयातनगर, सम्भल।




मोहम्मद तसलीम पुत्र मोहम्मद शरीफ, मौहल्ला हयात नगर थाना हयात नगर सम्भल।




मो० फैसल पुत्र मो० नन्हें, मौहल्ला एवं थाना हयातनगर, सम्भल।




मैसर्स ब्लैक तुर्की वाशिंग प्लाट, बहजोई रोड, हयात नगर सम्भल।




मो0 रिजवान अन्सारी पुत्र मोहम्मद रफी, मौहल्ला हयातनगर, थाना हयातनगर, सम्भल।




श्री शकील पुत्र श्री रईस, मौहल्ला हयात नगर, सम्भल।



मो0 जुनेद पुत्र मोहम्मद शमशाद, मौहल्ला हयातनगर, थाना हयातनगर, सम्भल।



मो० इशतियाक पुत्र मो० मुस्ताक, बहजोई रोड, हयात नगर, सम्भल।




हाजी शाह आलम पुत्र मोहम्मद काफिल, मौहल्ला कटरा हयात नगर सम्भल।




श्री शकील अहमद पुत्र मोहम्मद अलीमुददीन एवं मोहम्मद तालिब पुत्र मोहम्मद अब्दुल कलीम, मौहल्ला सराय तरीन थाना हयात नगर सम्भल।




मो0 इकराम, मौहल्ला हयातनगर, सम्भल।




मैसर्स ओ.जी. जीन्स, मौहल्ला हयातनगर, सम्भल।



श्री इश्तेकार पुत्र अख्तर, ग्राम रूकनुददीन सराय में स्थित बिजलीघर से करबला को जाने वाले मार्ग पर ग्राम तुरतीपुर इल्हा सम्भल




श्री याकूब पुत्र मो० फेजान, ग्राम रूकनुद्दीन सराय में स्थित बिजलीघर से करबला को जाने वाले मार्ग पर ग्राम तुर्तीपुर इल्हा सम्मल।




श्री बिलाल पुत्र अनवार, ग्राम रूकनुद्दीन सराय में स्थित बिजलीघर से करबला को जाने वाले मार्ग पर ग्राम तुर्तीपुर इल्हा सम्भल।




श्री सफदर पुत्र श्री अकबर, ग्राम रूकनुददीन सराय में स्थित बिजलीघर से करबला को जाने वाले मार्ग पर ग्राम तुरतीपुर इल्हा सम्भल।



श्री अजीमुर्रहमान पुत्र श्री सगीर अहमद, ग्राम रूकनुददीन सराय में स्थित बिजलीघर से करबला को जाने वाले मार्ग पर ग्राम तुर्तीपुर इल्हा सम्भल।




श्री मरगूब पुत्र श्री मकसूद, ग्राम रूकनुददीन सराय में स्थित बिजलीघर से करबला को जाने वाले मार्ग पर ग्राम तुर्तीपुर इल्हा सम्भल।




मो० मोनिस पुत्र रियाजुद्दीन, मौहल्ला मण्डी किशनदास सराय, सम्भल निकट वाहरी मस्जिद।




श्री विलाल, मौहल्ला सरायतरीन, लालकी, सम्भल।




श्री फतेह मौहम्मद, मौहल्ला सरायतरीन, लालकी, सम्भल।




हाजी फरजन्द, मौहल्ला सरायतरीन, लालकी, सम्भल।




श्री सालिम, मौहल्ला सरायतरीन, लालकी, सम्भल।



श्री रजी, मौहल्ला सरायतरीन, लालकी, सम्भल।




श्री शाने आलम, मौहल्ला सरायतरीन, लालकी, सम्भल।




श्री फेजान, मौहल्ला सरायतरीन, लालकी, सम्भल।




श्री रफी, मौहल्ला सरायतरीन, लालकी, सम्भल।



श्री ताहिर, मौहल्ला सरायतरीन, लालकी सम्भल।



श्री संजय यादव, मौहल्ला महमूद खां सराय, सम्भल।



डी0आर0एस0 एन्टरप्राईसेज, ग्राम नाहरठेर, थाना रायसत्ती, सम्भल।